FORM NO. 21

(*See* rule 114)

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, Lko......BENCH

OA/~~TA/RA/CP/MA/PT~~...52...........of 90.......

.................B.N. Singh...Applicant(S)

Versus

..........U.O.I. & others..Respondent(S)

INDEX SHEET

Serial No.	DESCRIPTION OF DOCUMENTS	PAGE
1.	check list	A0 – A1
2	Order Sheet	A2 – A5
3.	final order 27.7.93	A6 – A12
4	Petition	A13 – ~~A34~~ A47
5	Power	~~A35~~ A48
6	~~Annex~~ Annexure	A49 A73
7	C.A.	A74 – A92
	Power	A93
	M.P. 285/93.	A94 – A99

Certified that the file is complete in all respects.

B.C. Weeded out & destroy

....

Signature of S.O.

....13/2/12

Signature of Deal. Hand

D.

A

12.2.90

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW
****

Registration No. 52 of 1989 O(L)

APPLICANT(S) B. N. Singh

RESPONDENT(S) U.O.I.

Particulars to be examined	Endorsement as to result of examination
1. Is the appeal competent ?	Yes
2. a) Is the application in the prescribed form ?	Yes
b) Is the application in paper book form ?	
c) Have six complete sets of the application been filed ?	
3. a) Is the appeal in time ?	Yes
b) If not, by how many days it is beyond time?	
c) Has sufficient case for not making the application in time, been filed?	
4. Has the document of authorisation/ Vakalatnama been filed ?	Yes
5. Is the application accompanied by B.D./Postal Order for Rs.50/-	Yes
6. Has the certified copy/copies of the order(s) against which the application is made been filed?	Yes
7. a). Have the copies of the documents/ relied upon by the applicant and mentioned in the application, been filed ?	Yes
b) Have the documents referred to in (a) above duly attested by a Gazetted Officer and numbered accordingly ?	
c) Are the documents referred to in (a) above neatly typed in double space ?	
8. Has the index of documents been filed and paging done properly ?	Yes
9. Have the chronological details of representation made and the out come of such representation been indicated in the application?	Yes
10. Is the matter raised in the application pending before any court of Law or any other Bench of Tribunal?	No

Particulars to be Examined	Endorsement as to result of examination
11. Are the application/duplicate copy/spare copies signed ?	Yes
12. Are extra copies of the application with Annexures filed ?	Yes
a) Identical with the Original ?	
b) Defective ?	
c) Wanting in Annexures Nos. ______ pages Nos ______ ?	
13. Have the file size envelopes bearing full addresses of the respondents been filed ?	No
14. Are the given address the registered address ?	Yes
15. Do the names of the parties stated in the copies tally with those indicated in the application ?	Yes
16. Are the translations certified to be ture or supported by an Affidavit affirming that they are true ?	NA
17. Are the facts of the case mentioned in item no. 6 of the application ?	Yes
a) Concise ?	
b) Under distinct heads ?	
c) Numbered consectively ?	
d) Typed in double space on one side of the paper ?	
18. Have the particulars for interim order prayed for indicated with reasons ?	Yes
19. Whether all the remedies have been exhausted.	Yes

dinesh/

Serial number of order and date	Brief Order, Mentioning Reference if necessary	How [illegible] with [illegible] date of compliance
21.2.1990	Hon'ble Justice K. Nath, V.C. Hon'ble Mr. K. Obayya, A.M. Admit. Issue notice to respondents to file a counter within four weeks to which the applicant may file rejoinder within two weeks thereafter and list for further orders on 11.4.1990. A.M. V.C. rrm/	O2 on notice issued 1/3/90 OR. Notices were issued on 1-3-90. Neither reply nor any unserved regd. cover has returned back. S.F.O
11-4-90	Hon. P.S. Habeeb Mohammad, AM. Hon J. P. Sharma, JM On the request of ~~both the parties~~ counsel for respondents 4 weeks time is allowed to file reply. Rejoinder 2 weeks thereafter. List for orders/hearing on 31-7-90 JM AM.	
31-7-90.	No sitting. Adj. to 26-x-90	CA filed 20/7
26.10.90	No sitting Adj to 27.11.90	
27.11.90	Case not reached. Adjourn to 2.1.91 for order.	CA filed with [illegible] for condonation of delay. No Reply. S.F.O

Dinesh/

2.1.91	No sitting Adj to 20.2.91	BOC
20.2.91	No sitting Adj to 23.4.91	

OA 52/90 (L)

29-7-92
D.R.

Both the parties are present. Rejoinder has not been filed. Applicant is directed to file rejoinder by 24-9-92.

24-9-92
D.R.

Boath the parties are absent. Rejoinder has not been filed. Applicant is ordered to file rejoinder by 25-11-92

25-11-92
D.R.

Applicant is present. He is ordered to file Rejoinder by 21-1-93.

SR
No R A has been filed before [illegible]
21/1

21/1/93
D.R.

Both the Parties are absent. Applicant is ordered to file rejoinder by 15/3/93.

OR
[illegible] before DR 27
12/3/93

OA 52/90 L A4

20.7.93

Hon'ble. Mr. Justice R.K. Verma V.C.
Hon'ble. Mr. B.K. Singh A.M.

Sri. J.N. Dixit learned counsel for appl. cont. & Dr. D. Chandra for respondents are present.
Arguments heard. W.L. the case in part heard for further arguments on 21.7.93

A.M. RKV V.C.

21.7.93

Hon'ble. Mr. Justice R.K. Verma V.C.
Hon'ble. Mr. B.K. Singh A.M.

Sri. J.N. Dixit learned counsel for appl. cont. & Dr. D. Chandra for respondents are present.

Arguments heard.
Judgement reserved.

A.M. RKV V.C.

28/7/93. Hon.Mr. B.K. Singh, A.M.

Judgement pronounced in the open Court.

A.M.

A5

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH : LUCKNOW

....

ORDER SHEET NO. O.A./T.A No

O.A. 52/90

OFFICE REPORT	DATE	ORDER
	15/3/93 D.R.	Both the parties are not present. R.A. has not been filed. Applicant to file it by 23/4/93. before me:
	23.4.93	[illegible]
[illegible]	5.5.93	[illegible]

MANISH

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

[illegible] BENCH, LUCKNOW

C.A No. 52/90 (L)

[illegible] 1993

Date of Decision 13-7-93

B. N. Singh .... Petitioner

T. N. Tiwari .... Adv. for the Peti.

VS.

Union of India & others .... Respondents

Dr. Dinesh Chandra .... Adv. for the Respondents.

The Hon'ble Mr. Justice R.K. Verma, V.C.

The Hon'ble Mr. B.K. Singh, A.M.

Whether Reporters of local papers may be allowed to see the judgment.

To be referred to the Reporter or not.

Whether their Lordships wish to see the fair copy of the judgment?

Whether to be circulated to all other Benches?

Signature

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL,
LUCKNOW BENCH,
LUCKNOW.

O.A.No.52/90(L)

B.N. Singh :::::::: Applicant

Vs.

Union of India & Others. :::::::: Respondents

Hon. Mr. Justice R.K. Verma, V.C.
Hon. Mr. B.K. Singh, A.M.

(By Hon. Mr. Justice R.K. Verma, V.C.)

By this petition, the petitioner has challenged three orders namely the order dated 14-10-86 (Annexure A-2 to the petition) whereby the petitioner was put off duty, order dated 9-5-89 (Annexure A-10) whereby the petitioner was dismissed from service and order dated 27-8-89 (Annexure A-12) whereby the petitioner's appeal has been rejected and sought directions to respondent No.2, Superintendent of Post Offices, Rae Bareily, to reinstate the petitioner on his original post of Extra Departmental Branch Post Master (EDBPM), Athnasa.

2. The facts giving rise to this petition briefly stated are as follows :-

While the petitioner was serving as E.D.B.P.M., Athnasa, he is said to have received a sum of Rs.2,500/- from the depositors for crediting the same in the Postal Savings Account, but the same was not entered in the relevant Pass Books and other concerned records and it is alleged that the petitioner misappropriated the said sum. The petitioner was consequently put off duty on 27-10-86 in pursuance of the order of respondent No.2 dated 14-10-1986 (Annexure A-2) in contemplation of disciplinary action against him. But it was after elapse

of one year i.e. on 11-11-1987 that he was served with a charge sheet (Annexure A-4) which marked the commencement of disciplinary proceedings. An enquiry was held against the petitioner on the charges levelled against him. The Enquiry Officer submitted the enquiry report to the disciplinary authority, who agreeing with the findings recorded in the enquiry report, found the charges proved against the petitioner and imposed a penalty of dismissal from service with immediate effect by order dated 9-5-89 (Annexure A-10).

2.1 The petitioner filed an appeal before the appellate authority i.e. respondent No.3 raising, inter-alia, the contention that he was not given adequate opportunity of defending himself during enquiry and was also not supplied a copy of the enquiry report submitted by the enquiry officer. The Appellate Authority repelled the contentions of the petitioner and dismissed the appeal.

2.2 Being aggrieved, the petitioner has filed this petition under section 19 of the Central Administrative Tribunal's Act, 1985.

3. The learned Counsel for the petitioner submitted that the petitioner was put off duty on 27-10-1986. But the disciplinary proceedings were commenced after one year i.e. on 11-11-87 and finalised by order of punishment dated 9-5-89. It is pointed out by the learned Counsel that the E.D.A. conduct and service rules provided guidelines as existing at the relevant time, for putting off duty, according to which the disiplinary authority was required to finalise the disciplinary proceedings and pass final orders so that the E.D.A. did not remain

'put off' duty for a period exceeding 120 days. It is, therefore, urged that the petitioner was illegally put off duty beyond a period of 120 days which rendered the order dated 14-10-86 illegal and invalid.

4. But the aforesaid contention of the learned Counsel for the petitioner does not have much subseance since challenging the order of 'putting off duty' can have no bearing on the question of validity or otherwise of the enquiry and the final order of the disciplinary authority imposing the penalty of dismissal against the petitioner.

5. The only point of some substance urged on behalf of the petitioner is that according to the rules of natural justice, it was necessary to furnish the enquiry report to the petitioner on the basis of which the order of dismissal from service was passed, but since the petitioner was not supplied a copy of the enquiry report, the order of punishment cannot be sustained, the same having been passed in violation of the principles of natural justice. A decision of the Supreme Court in the case of Union of India & Others Vs. Mohammad Ramzan Khan was cited before us in support of the aforesaid argument of the Counsel for the petitioner.

6. The relevant observation made by the Supreme Court are as follows :-

> "Deletion of the second opportunity from the scheme of Art. 311 (2) of the Constitution has nothing to do with providing of a copy of the report to the delinquent in the

matter of making his representation. Even though the second stage of the inquiry in Art. 311(2) has been abolished by amendment, the delinquent is still entitled to represent against the conclusion of the Inquiry Officer holding that the charges or some of the charges are established and holding the delinquent guilty of such charges. For doing away with the effect of the enquiry report or to meet the recommendations of the Inquiry Officer in the matter of imposition of punishment, furnishing a copy of the report becomes necessary and to have the proceeding completed by using some material behind the back of the delinquent is a position not countenanced by fair procedure. While by law application of natural justice could be totally ruled out or truncated, nothing has been done here which could be taken as keeping natural justice out of the proceedings and the series of pronouncements of this Court making rules of natural justice applicable to such an inquiry are not affected by the 42nd amendment. We, therefore, come to the conclusion that supply of a copy of the inquiry report along with recommendations, if any, in the matter of proposed punishment to be inflicted would be within the rules of natural justice and the delinquent would, therefore, be entitled to the supply of a copy thereof. The Forty-Second Amendment has not brought about any change in this position."

7. The learned Counsel appearing on behalf of the respondents has submitted that the principles of law laid down by the Supreme Court as above is of no help to the petitioner in this case since the aforesaid law laid down by the Supreme Court is to have prospective application and no punishment imposed would be open to challenge on the ground of non-supply of enquiry report as has been made clear in the said Supreme Court judgement itself.

8. As regards the prospective application of the law as stated by the Supreme Court, the relevant observation reads thus :-

> " But this shall have prospective application and no punishment imposed shall be open to challenge on this ground. "
>
> " We make it clear that wherever there has been an enquiry officer and he has furnished a report to the disciplinary authority at the conclusion of the enquiry holding the delinquent guilty of all or any of the charges with proposal for any particular punishment or not, the delinquent is entitled to a copy of such report and will also be entitled to make a representation against it, if he so desires, and non-furnishing of the report would amount to violation of rules of natural justice and make the final order liable to challenge."

9. In the instant case the order of dismissal was passed against the petitioner on 9-5-89 and his appeal was dismissed on 27-8-89 and the petitioner filed the present petition under section 19 of the C.A.T.Act on 12-2-90. The case of Mohmed Ramzan Khan (Supra) was decided on 20-11-90 and thus the law laid down by the Supreme Court became available on 20-11-90 i.e. during the pendency of the present petition. The ground that the final order of punishment is vitiated on account of violation of the rules of natural justice, due to non-furnishing of enquiry report was taken by the petitioner before the appellate authority itself and according to the submission of the learned Counsel for the petitioner the said ground is liable to be accepted on the authority of law as laid down by the Supreme Court

in Mohmed Ramzan Khan's case (Supra).

10. The learned Counsel for the respondents has, however, cited another case of the Supreme Court decided on 6-3-1991 which is S.P. Viswanathan (I) Vs. Union of India & Others (1991 Supp (2) Supreme Court cases 269) which seem to clarify the meaning of prospective application of law as stated in Mohmed Ramzan Khan's case. The relevant observations in this behalf are as follows :-

> " Learned counsel for the petitioner urged that since a copy of the inquiry report was not supplied to the petitioner, the order of termination is vitiated. He placed reliance on the decision of this Court in Union of India Vs. Mohd. Ramzan Khan. It is true that this Court has held that if inquiry report is not supplied to the delinquent employee before passing the order of punishment, the order would be rendered illegal. But the decision of this Court is given a prospective effect. It will not affect the orders passed prior to the date of rendering of the judgement (November 20, 1990) as would be clear from para 17 of the judgement. "

11. In view of the above clarification, the decision in Mohd. Ramzan Khan's case will not affect the order of punishment passed prior to the date of judgement pronounced (20-11-90) in that case. The order of punishment imposed in this case was passed on 9-5-89 i.e. prior to 20-11-90, the date of judgement rendered in Mohd. Ramzan Khan's case.

12. In view of the clarification made in the case of S.P. Viswanathan Vs. Union of India & Others (Supra), the

R.K.N.

petitioner cannot get support of the law as laid down in Mohd. Ramzan Khan's case (Supra).

13. Accordingly this petition fails without any order as to costs.

Member (A) R.K. Varma
Vice-Chairman.

Dated: 27 /7/1993, Lucknow.

(tgk)

Date 12-2-90 A13

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal,

Additional Bench Allahabad,

Circuit Bench at Lucknow.

O.A. No. 52 of 1990 (L)

Bishwa Nath Singh ...Applicant.

Versus

Union of India & others ...Respondents.

INDEX

Sl. no.	Description of documents relied upon.	page no.
1	Application	1 – 13
2	Annexure A-2, Put off duty order dated 14-10-1986.	14 —
3	Annexure A-10, Dismissal order dated 9-5-1989.	15 – 32
4	Annexure A-12, Appeal rejection order dated 27-8-1989.	33 – 34
5	Postal order.	—
6	Power.	35 —
	Separate	
7	Annexure A-1, Appointment order.	1 —
8	Annexure A-3, Application for putting on duty.	2 —
9	Annexure A-4, Charge Sheet dated 11-11-1987.	3 – 7
10	Annexure A-5, Refusal of Defence Asstt.	8 —
11	Annexure A-6, Application for change of E.O.	9 – 10
12	Annexure A-7, Refusal to change E.O.	11 —
13	Annexure A-8, Statement dt. 28-8-1988.	12 – 13
14	Annexure A-9, Brief facts in form of written statement.	14 – 19
15	Annexure A-11, Appeal to Director Postal Service Allahabad Region.	20 – 25

For use in Tribunal office :

Date of filing

Registration no.

Signature

Applicant through

(T.N. Tiwari)
Advocate

Filed today
listed for 21/2/90
12/2/90

1

A14

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal,

Additional Bench Allahabad,

Circuit Bench at Lucknow.

O.A. No. 52 of 1990 (L)

12-2-90

Bishwa Nath Singh aged about 45 years, son of Shri Lok Nath Singh , resident of village Hathnasa, P.O. Hathnasa, district Rae Bareli.

....Applicant.

Versus

1. Union of India Ministry of Communication, through its Secretary, New Delhi.
2. The Superintendent of Post Offices, Rae Bareli.
3. The Director Postal Services, Allahabad-Region, Allahabad.
4. Sri B.P.Dixit S.D.I. (South), Post Offices Rae Bareli (Inquiry Officer).

...Respondents.

DETAILS OF APPLICATION .

1. Particulars of order against which the application is made :

That the application is made against

विश्वनाथ सिंह

2
A15

the order of put off dated 14-10-1986 (Annexure A-2), order dated 9-5-1989 passed by respondent no. 2 thereby dismissing the applicant from services (Annexure A-10) and dated 27-8-1989 passed by respondent no. 3, thereby rejecting the appeal of the applicant, against the said dismissal order (Annexure A-12).

2. **Jurisdiction of the Tribunal :**

That the applicant declares that the subject matter of orders against which he wants redressal is within the jurisdiction of this Hon'ble Tribunal.

3. **Limitation :**

That the applicant further declares that the application is within the limitation period prescribed in Section 21 of the Central Administrative Tribunal Act, 1985.

4. **Facts of the case :**

(a) That the applicant was initially appointed on the post of Extra Departmental Branch Post Master (herein after referred to as E.D.B.P.M.) Hathnasa on 15-6-1976 and drawn the salary upto 22-7-1979 without

appointment order as the same was not issued. On 23-7-1979 on the repeated request of the applicant an appointment order was issued. True copy of the said appointment order is annexed herewith as <u>ANNEXURE A-1</u> to this application.

(b) That on 23-6-1986 while serving as E.D.B.P.M. Hathnasa, an account holder Sri Birpal Singh (A/c no. 1154969) came to the Post office and deposited a sum of Rs.1500/- which after receiving was recorded in Pass Book and receipt S.B. 28 was accordingly issued. While transcribing the deposit entry in pass-book erroneously total was recorded as 6265.50. After depositing the money said Shri Birpal Singh wanted back the pass book to which the applicant refused because he wanted to send the pass book for interest finalisation. Shri Birpal Singh was adament to take the pass book, resultantly, altercation took place between the depositor and the applicant. Lastly the applicant returned the money to depositor and crossed out the entry in pass book (which was transcribed) and refunded the money. Unfortunately, the S.B. 28 receipt which was supposed to be issued at the last, was issued at first instance and as such as a result of the said altercation the applicant forgot to take back the said S.B. 28 receipt.

ति 29/7/94 अ०

(c) That since the altercation had taken place Sri Birpal Singh taking disadvantage of the said receipt under direction of Sri Ram-Sunder Singh S.P.M. Sareni complained of the matter to S.P.O. Rae Bareli. Respondent no.2 who was already annoyed with the applicant because of non-delivery of Qty 2 Quintal of wheat K-68, having got chance with full of ill-motive directed the complaint Inspector Shri Rai for investigation according to his wishes.

(d) That Sri Rai came to post-office for investigation on 8-10-1986 and the applicant explained all the facts and circumstances to him at length but Sri Rai as he was already led, started abusing by using filthy words and also threatened the applicant to send the applicant jail. Keeping in view the social prestige, the applicant wrote and signed whatever was dictated by Sri Rai and the same was stated before the inquiry officer, the respondent no.4. As such Sri Rai on concocted story, manipulated the facts and submitted his report against the applicant. Consequently, the applicant was ordered "put off" duty w.e.f. 27-10-1986. A true copy of the put off duty order dated 14-10-1986 is annexed herewith as <u>ANNEXURE A-2</u> to this application.

(e) That the applicant was put

विजयपाल सिंह

off duty w.e.f. 29-10-1986 and up to 31-10-1987 there was neither issue of any memo nor the charge sheet and applicant continued to be put off duty. Being very much disappointed the applicant submitted an application to respondent no.2 on 1-11-1987 with a request to put on duty or to take necessary action to that effect. A true copy of the said application is annexed herewith as ANNEXURE A-3 to this application.

(f) That after submitting the application on 13-11-1987 the respondent no.2 issued a charge sheet against the applicant for so called offence which was absolutely false and baseless. A true copy of the charge sheet is annexed herewith as ANNEXURE A-4 to this application.

(g) That after getting the charge-sheet the applicant requested for his defence assistant one Sri Awadh Narain Singh to which the respondent no.2 did not agree because he was one of the most prominent defence assistant. However, at the last one Sri Habib Ahamad Assistant Post Master Rae Bareli was provided as Defence Assistant.

[illegible]

(h) That it is very much pertinent to mention here that the defence assistant of choice was not provided and it was refused for the reasons best known to the respondent no.2 only. A true copy of refusal is annexed herewith as <u>ANNEXURE A-5</u> to this application.

(i) That since the authorities had already adopted despotic attitudes to the detriment of the applicant, one biased and fully prejudiced Inspector Shri B.P. Dixit was detailed as Enquiry Officer and defence assistant was detailed from Rae Bareli Post office only. The Enquiry Officer Shri Dixit the respondent no.4 just after starting the inquiry put a demand of a sum of Rs.5000/- for recording such a proceedings as a result of which the applicant could be ~~[illegible]~~ absolved. The applicant because of his poverty could not meet out the demand and submitted an application to change the Enquiry Officer for fair inquiry. But his request was not considered. A true copy of the application and reply thereof are annexed herewith as <u>ANNEXURE A-6</u> and A-7 to this application.

(j) That the Enquiry officer having malice against the applicant has recorded the

proceedings in an arbitrary manner despite being explained at length by the applicant vide his statement dated 28-3-1988. A true copy of the statement dated 28-3-1988 is annexed herewith as ANNEXURE A-8 to this application.

(k) That it also submitted that the respondent no.4 was so biased and having malice he has manupulated the evidence and supported the respondents by setting a concocted story. The brief facts in form of written statement/ arguments were put before the inquiry officer on 8-2-1989 but the same was not at all considered by respondent no.4 and as such the applicant was made proved guilty. The respondent no.2 on such technically defected proceedings which were suffering from various legal flaws, has dismissed the applicant from service vide his order dated 9-5-1989. A true copyes of the written argument dated 8-2-1989 and dismissal order alongwith enquiry proceedings are annexed herewith as ANNEXURE A-9 and A-10 to this application.

(l) That it will not be out of place to mention here that the complaint inspector Shri Shiv Mandir Rai at the time of inquiry on 8-10-1986 forcibly got deposited a sum of Rs.2500/- from the applicant by

शिवनारायण राय

threatening to get him dismissed from service. As such there is not even single paisa is outstanding.

(m) That it is further submitted that the prosecution witnesses were examined in absence of the applicant and applicant was not allowed to cross-examine the P.Ws. specially Shri Shiv Mandir Rai and Shri Sunder Singh and as such the applicant was not offorded full opportunity to prove his innocence and defend himself from charges. As such all the departmental inquiry rules, principles of natural justice and the provisions laid down in Constitution of India have been violated by the respondents.

(n) That being aggrieved of dismissal order passed by respondent no.2, the applicant preferred an appeal against the said dismissal order addressed to respondent no.3 but that has also invain and appeal was rejected by respondent no.3 vide his order dated 27-8-1989. True copies of the appeal and rejection order thereof are annexed herewith as <u>ANNEXURES A-11 and A-12</u> to this application.

विश्वनाथ सिंह

9 A22

(o) That the applicant has requested all the concerned authorities but none has afforded hearing to the applicant and under such circumstances the interference of this Hon'ble Tribunal is very much essentially invited.

5. <u>Grounds for Relief(s) with legal position :</u>

That the applicant being aggrieved of the illegal acts of the respondents is seeking relief(s) amongst other on the following

GROUNDS

(i) Because the respondent no. 2 was having malice against the applicant and has falsely implicated the applicant in the concocted story.

(ii) Because the inquiry officer was biased and having malice against the applicant.

(iii) Because the applicant was not

विश्वनाथ सिंह

allowed to cross examine the important witnesses namely Sri Shiv Mandir Rai and Shri Sunder Singh.

(iv) Because the provisions of the Constitution of India, Departmental Inquiry Rules and the principles of natural justice have been deliberately violated by the respondents.

(v) Because the applicant had not been afforded an opportunity of being heard and to defend himself in proper way.

(vi) Because the request of the applicant to change the inquiry officer was not at all considered by the concerned authorities.

(vii) Because the clerical error of the applicant was liable to be condoned.

(viii) Because the put off duty order, inquiry reports, dismissal order and appeal

rejection order are illegal and liable to be quashed by this Hon'ble Tribunal.

(ix) Because the impugned orders are illegal, unjust, perverse and are as such liable to be quashed.

(x) Because the applicant is innocence and has been levelled with the baseless charges.

(xi) Because the application being full of merit and based on cogent grounds is liable to be allowed.

6. Details of remedies exhausted :

That the applicant has already exhausted all the remedies available to him by submitting application to respondents but all in vain and there is no other way out left except to approach this Hon'ble Tribunal for judicial intervention.

विश्वनाथ सिंह

7. **Matter not previously filed or pending before any other court :**

That the applicant declares that he had not previously filed any application, writ-petition or suit regarding the matter in which this application has been made before any other Bench of this Tribunal nor any such application, writ petition or suit is pending before any of them.

8. **Relief(s) sought :**

In view of the facts mentioned above the applicant prays for the following reliefs :

(a) Tha the Hon'ble Tribunal may graciously be pleas-ed to allow the application and quash the put off order dated 14-10-1986 (Annexure A-2), dismissal order dated 9-5-1989 (Annexure A-10) and appeal rejection order dated 29-8-1989 (Annexure A-12) and direct the respondent no.2 to re-instate the applicant on his original post of E.D.B.P.M. Hathnasa.

(b) That any other relief which the Hon'ble Tribunal may deem just and proper in the circumstances of the case; and

विश्वनाथ सिंह

13
A26

(c) Cost of the application may also be awarded to the applicant as against the respondents.

9. Interim Relief, if any, prayed for :

That pending final decision the applicant prays that the respondents may kindly be directed to provide some suitable job to the applicant for his survival.

10. N/A.

11. A postal order Sl. No. B/02-409856 dated 1/2/2/90 issued form High Court post office for Rs.50/- is enclosed herewith as court fee.

12. List of Enclossures :

Annexure A-1 to A-12.

Lucknow, dated;
January 30, 1990.

विश्वनाथ सिंह
Applicant.

Verification

I, Bishwa Nath Singh aged about 45 years, son of Shri Lok Nath Singh, resident of village Hathmasa district Rae Bareli, do hereby verify that the contents of paras 1 to 4 and 6 to 12 are true to my personal knowledge and para 5 is believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material fact.

Lucknow, dated;
January 30, 1990.

विश्वनाथ सिंह
Applicant.

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal
Addi Bench, Allahabad
Circuit Bench, Lucknow

O.A. No. ________ of 1990 (L)

Bishwa Nath Singh ....Applicant

Versus

Union of India & Others ... ... Respondents

ANNEXURE- A-2

DEPARTMENT OF POSTS INDIA
O/O Supdt. of Post Offices,
Rae-bareli Div. 229001

Memo No. F-4/2/86-87 dated at RBL, the 14.10.86

Under the provision of Rule-9 of EDAs (Conduct & service) Rules 1964 Shri Vishwanath Singh BPM Hathnasa (Sareni) Distt. Rae-bareli is hereby ordered to be put off duty with immediate effect. Shri Vishwanath Singh will not be entitled to any allowance for the period for which he is ~~remains~~ kept off duty under this rule.

Supdt. of Post Offices,
Rae-bareli Div. 229001

Copy to :-

1. Shri Vishwanath Singh BPM Hathnasa (Sareni) Distt. Rae-bareli.
2. The R.S. Shukla ASPO's Lalganj with one copy of memo meant for BPM for delivery to Sri Vishwanath Singh BPM Hathnasa under receipt & arrange relief of BPM immediately. The ASPO's Lalganj will also immediately verify past work of BPm for the last one year and intimate result by 15.11.86 positively.
3. The P.M. Lalganj for information and necessary action He will please send the F/ Bond of the official to this office immediately with uptodate renewal receipts.

Supdt. of Post offices,
Rae-bareli Div. 229001

विश्वनाथ सिंह
27.10.86

True Attested

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal
Addl Bench, Allahabad
Circuit Bench, Lucknow

O.A. No. ________ of 1990 (L)

Bishwa Nath Singh ....Applicant

Versus

Union of India & Others ... ... Respondents

ANNEXURE- A- 10

15
A-30

कार्यालय : अधीक्षक डाकघर,
रायबरेली मण्डल-229001।

ज्ञापन सं०- एफ-2/86-87 दिनांक रायबरेली 9-5-1989।

श्री विश्वनाथ सिंह अति० वि० शाखा डाकपाल [कार्य मुक्त] हलनाता, रायबरेली को इस कार्यालय के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 11.11.87 के द्वारा/[illegible] के आरोप-पत्र का ज्ञापन, अति०वि० एजेन्ट [आचरण एवं सेवा] नियम 1964 के नियम 8 के अनुसार दिया गया था। [illegible] ज्ञापन, जिसके आधार पर कार्यवाही की जानी थी, निम्न प्रकार है :-

अनुलग्नक I

अनुच्छेद 1

यह कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अति० वि० शाखा डाकपाल हलनाता-रायबरेली के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 23.05.86 को [illegible] खाता संख्या-156990 के खाताधारी श्री [illegible] सिंह से पासबुक और [illegible] जमा करने हेतु रु0 1500/- प्राप्त किया, परन्तु जमा [illegible] को [illegible], शाखा डाकघर दैनिक लेखा एवं शाखा डाकघर [illegible] में न लिए, शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131, 174 एवं 175 का उल्लंघन किया और अति० वि० एजेन्ट [आचरण एवं सेवा] नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाये रखने में असफल रहे।

अनुच्छेद- 2

यह कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह उक्त तिथि, डाकघर में शाखा डाकपाल के पद पर कार्य करते हुए उक्त खाताधारी से पासबुक प्राप्त करके की रसीद एस०बी०-28 संख्या ए एच 196605/86 दिनांक 23.6.86 रु0 6265.50 खाताधारी को दिया परन्तु पासबुक [illegible] लगाने हेतु [illegible] कार्यालय को प्रेषित नहीं किया। इस प्रकार उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने शाखा डाकघर नियमावली के नियम 141 का उल्लंघन किया और अति० वि० एजेन्ट [आचरण एवं सेवा] नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे।

अनुच्छेद- 3

यह कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अति० वि० शाखा डाकपाल हलनाता रायबरेली के पद पर कार्य करते हुए दि0 23.6.86 को एस0बी0-28 रसीद संख्या 196606/86 दिनांक 23.6.86 में दर्शित रकम 6265.50 एवं प्रधान डाकघर लालगंज के लिए कार्ड के बयान के अनुसार रु0 2500/- की कमी पायी गयी। खाताधारी के अनुसार उसने रु0 1000/- मई 86 के किसी कार्य दिवस में शाखा डाकघर हलनाता में जमा किया था, परन्तु बी0ओ0 [illegible] के अनुसार इस खाते में मई 86 में किसी भी दिन रु0 1000/- जमा नहीं दिखाया गया।

[क्रमशः----2 पर]

लेखा कार्यालय रायबरेली और प्रधान डाकघर लालगंज के लेजर के अनुसार इस खाते में रू0 3765.50 ही दर्ज पाये गये । इस प्रकार उचित श्री विश्वनाथ सिंह ने मई में जमा रकम 1000/- को शाखा डाकघर बचत बैंक जरनल में न लेकर शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131 का उल्लंघन किया तथा 2500/- रू0 का दुर्विनियोग कर अति0 वि0 एजेण्ट {आचरण एवं सेवा} नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाये रखने में असफल रहे ।

अनुच्छेद- 4

उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने मई 86 में जमा रकम 1000/- 23.6.86 में तथा 1500/- कुल 2500/- को सरकारी हिसाब में न लेकर उसका दुर्विनियोग किया और दुर्विनियोजित रकम रू0 2500/- को दिनांक 8.10.86 को शाखा डाकघर दैनिक लेखा में अवर्गीकृत मद में जमा किया और अपने लिखित बयान दिनांक 8.10.86 में स्वीकार किया । इस प्रकार उक्त जमा रकम 1000/- तथा 1500/-को सरकारी हिसाब में न लेकर शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131{3} का उल्लंघन किया और रू0 2500/- का दुर्विनियोग कर अपना आचरण, अति0 वि0 एजेन्ट {आचरण एवं सेवा} नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाये रखने में असफल रहे ।

अनुबन्ध- 2
=========

अनुच्छेद- 1

उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अति0 वि0 शाखा डाकपाल हसनासा रायबरेली के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 23.6.86 को बचत बैंक खाता संख्या 1154999 के खाताधारी श्री वीरपाल सिंह ग्राम गौतमन खेड़ा, जिला रायबरेली से उक्त खाते में जमा करने हेतु पासबुक और रू0 1500/- {एक हजार पांच सौ} स्वयं उक्त वीरपाल सिंह से प्राप्त किया । जमा की प्रविष्टि पासबुक में कर दिया और ब्याज के लिए पासबुक रोककर, पासबुक की रसीद एस0पी0-28 संख्या ए0एच0 196606/46 दिनांक 23.6.86 वास्ते रू0 6265.50 दे दिया । इस जमा रकम रू0 1500/- को उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने न तो बचत बैंक जरनल में दर्ज किया और न ही शाखा डाकघर लेखा और शाखा डाकघर दैनिक लेखा में दर्ज किया । इस प्रकार उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने रू0 1500/- का उचित दुर्विनियोग किया । अतः आरोपित किया जाता है कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131, 174 एवं 175 का उल्लंघन किया और अति0 वि0 एजेण्ट {आचरण एवं सेवा} नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे ।

{ क्रमशः===3 पर }

True Attested
Chairman [illegible]

अनुच्छेद- 2

उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अति० वि० शाखा डाकपाल हथनासा के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 23.6.86 को बचत बैंक खाता संख्या 1154999 के जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह से ब्याज के लिए पासबुक प्राप्त किया और जमाकर्ता को पासबुक प्राप्त करने की रसीद, एस०बी०-20 संख्या ए०एच० 176606/46 दिनांक 23.6.86 रु० 6265.50 जमाकर्ता को दिया परन्तु पासबुक ब्याज लगाने हेतु लेखा कार्यालय को प्रेषित नहीं किया । इस प्रकार यह आरोपित किया जाता है कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने शाखा डाकघर नियमावली के नियम 151 का उल्लंघन किया और अति० वि० एजेन्ट ‖आचरण एवं सेवा‖ नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे ।

अनुच्छेद- 3

उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अति० वि० शाखा डाकपाल हथनासा के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 23.6.86 को जारी की गयी एस०बी०-20 रसीद संख्या ए० एच० 196606/46 वाले रुपये 6265.50 एवं प्रधान डाकघर मालगांव के लेजर कार्ड के बकाये रु० 3765.50 के अनुसार बचत बैंक खाता संख्या 1154999 जिसकी पासबुक हेतु उक्त रसीद जारी की गयी थी में रु० 2500/- का अन्तर पाया गया । उक्त खाते के जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह के अनुसार उन्होंने रु० 1000/- मई 86 में किसी कार्य दिवस में उक्त पासबुक में जमा करने के लिए उक्त श्री विश्वनाथ सिंह को दिया था परन्तु मई 86 मास के किसी भी कार्य दिवस में शाखा डाकघर बचत बैंक जरनल में अथवा शाखा डाकघर लेखा में जमा दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार यह आरोपित किया जाता है कि मई 86 मास में जमा रकम 1000/- रु० को शाखा डाकघर जमा जरनल में दर्ज न करके शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131 का उल्लंघन किया तथा एस०बी० 28 एवं लेजर के बकाये के अनुसार रु० 2500/- का दुर्विनियोजन किया । इस प्रकार उन्होंने अति० वि० एजेन्ट ‖आचरण एवं सेवा‖ नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे ।

अनुच्छेद- 4

उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अति० वि० शाखा डाकपाल हथनासा के पद पर कार्य करते हुए मई 86 एवं दिनांक 23.6.86 को क्रमशः रु० 1000/- तथा 2500/- को सरकारी हिसाब में न लेकर उसका कथित दुर्विनियोग किया और दुर्विनियोगित रकम रु० 2500/- को दिनांक 8.10.86 को शाखा डाकघर दैनिक लेखा में अवर्गीकृत मद में जमा कर और अपने लिखित बयान दि० 8.10.86 दुर्विनियोग की पुष्टि किया । इस प्रकार यह आरोपित किया जाता है कि उक्त जमा रकम 1000/- तथा 2500/- को सरकारी हिसाब में न लेकर शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131‖3‖ का उल्लंघन किया और अति० वि० एजेण्ट ‖आचरण

‖क्रमशः —— 4 पर‖

प०स०लेपक

18 A31

एवं सेवा} नियम, 1964 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे।

आरोपित कर्मचारी श्री विश्वनाथ सिंह ने अपने पत्र दिनांक 25.11.87 में समस्त आरोपों को अस्वीकार किया। अत: दिनांक 1.12.87 को श्री भगवती प्रसाद दीक्षित, उपमण्डलीय निरीक्षक डाकघर दक्षिणी रायबरेली को जाँच अधिकारी एवं श्री जगत नरायन त्रिपाठी उपमण्डलीय निरीक्षक डाकघर {उत्तरी} रायबरेली को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। आरोपित कर्मचारी का बचाव, श्री ... सहायक डाकपाल रायबरेली ने किया। जाँच की प्रथम तिथि दिनांक 14.12.87 को आरोपित कर्मचारी जाँच में सम्मिलित नहीं हुआ, दिनांक 26.12.87 को जाँच में भाग लिया और आरोपों को अस्वीकार किया। दिनांक 15.1.88, 20.2.88, 14.3.88 एवं 15.3.88 को जाँच तिथियाँ निर्धारित की गयी। दिनांक 19.3.88 को आरोपित कर्मचारी ने जाँच अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिया। दिनांक 14.3.88 एवं 15.3.88 को बचाव साक्षियों का परीक्षण होना था परन्तु कोई भी बचाव साक्षी उपस्थित नहीं हुआ, अत: जाँच अधिकारी ने जाँच समाप्त करके आरोपित कर्मचारी से अपना बचाव प्रतिवेदन देने हेतु 3 दिन का समय दिया इस पर आरोपित कर्मचारी ने दिनांक 19.3.88 को जाँच अधिकारी के विरुद्ध पूर्वाग्रही होने का आरोप लगाया।

अत: सम्पूर्ण मामला निदेशक डाक सेवा इलाहाबाद को उचित निर्णय हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.4.88 को भेजा गया निदेशक डाक सेवा इलाहाबाद ने पत्र संख्या- विज/17-मिस/88/2 दिनांक 21.11.88 द्वारा जाँच अधिकारी के बदलने का औचित्य नहीं पाया। इसकी सूचना आरोपित कर्मचारी को दिनांक 1.12.88 को दी गयी तथा जाँच अधिकारी को जाँच जारी रखने के लिए लिखा गया।

जाँच अधिकारी ने जाँच जारी रखी और अवगत कराया कि दिनांक 14.12.88 तथा 15.3.88 को जाँच कार्यवाही में आरोपित कर्मचारी ने भाग नहीं लिया। जाँच अधिकारी ने अपनी जाँच आख्या अपने पत्रांक डी०ई०-3/87/दिनांक 23.3.87 द्वारा प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 27.3.87 को प्राप्त हुई।

मैंने जाँच अधिकारी की जाँच आख्या, सूची बद्ध अभिलेखों, साक्षियों के बयानात् एवं मामले से सम्बन्धित सभी पत्रावलियों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया और निम्न निष्कर्ष पर पहुँचा :-

अनुच्छेद- 1.

आरोपित कर्मचारी श्री विश्वनाथ सिंह पर संक्षिप्त में आरोप है कि वह दिनांक 23.6.86 को अति० वि० शाखा डाकपाल हरनासा रायबरेली के पद पर कार्य करते हुए, बचत बैंक खाता संख्या 1154999 के जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह से पासबुक और उसमें जमा करने हेतु रु0 1500/- { रु0 एक हजार पाँच सौ} प्राप्त किया, परन्तु

{ क्रमश:-------5 पर }

जमा प्रविष्टि को बचत पैंक जमाजरनल, शाखा डाकघर दैनिक लेखा, एवं शाखा डाकघर लेखा में न लेकर, शाखा डाकघर नियमावली के नियम, 131, 174 एवं 175 का उल्लंघन करते हुए अति० पि० एजेण्ट ‖आचरण एवं सेवा‖ नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे ।

उपरोक्त आरोप को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने, शाखा डाकघर बचत पैंक जरनल ‖ई एक्पी-एस-2‖ शाखा डाकघर लेखा ‖ई एक्स पी-एस-3‖ शाखा डाकघर दैनिक लेखा दिनांक 23.6.86 ‖ई एक्स पी-एस-7‖ii‖, जमाकर्ता का लिखित बयान दिनांक 8.10.86 ‖ई एक्स पी-6‖, श्री वीरपाल सिंह, जमाकर्ता की लिखित शिकायत दिनांक 23.8.86 ‖ई एक्स पी-डी-1‖ शाखा डाकपाल, श्री विश्वनाथ सिंह के लिखित बयान दिनांक 8.10.86 तथा 16.10.86 ‖ईएक्सपी-11 तथा ई एक्स पी-एस-5‖ एवं हथनासा डाकघर की त्रुटि पुस्तिका ‖ई एक्स पी-एस-16‖ अभिलेख प्रस्तुत किया तथा साक्षियों में श्री वीरपाल सिंह, जमाकर्ता, श्री शिव मन्दिर राय ‖प्रारम्भिक परीक्षक‖ तथा श्री सुन्दर सिंह तत्कालीन उपडाकपाल सरेनी को प्रस्तुत किया । श्री वीरपाल सिंह ने अपने बयान दिनांक 5.3.88 में स्पष्ट किया कि दिनांक 8.10.86 को जो बयान, परिवाद निरीक्षक रायबरेली ने लिया था, उस पर उसके हस्ताक्षर है और उसे वह स्वीकार करता है । बयान दिनांक 8.10.86 के अनुसार उसने स्वीकार किया कि दिनांक 23.6.86 को रु0 1500/= ‖ एक हज़ार पाँच सौ‖ जमा करने हेतु डाकघर हथनासा गया था । डाकपाल हथनासा ने उसकी पासबुक खाता संख्या 1154999 में 1500/- जमा करके रसीद संख्या 46 दिनांक 23.6.86 जिसमें कुल बकाया 6265.50 रु0 अंकित था, दे दिया और ब्याज लगाने के लिए पासबुक ले लिया । उसने दिनांक 5.3.88 के बयान में स्पष्ट किया कि जब शाखा डाकपाल हथनासा से उसकी पासबुक प्राप्त नहीं हुयी तो उसने पोस्टमास्टर जनरल उ0प्र0 सर्किल लखनऊ को दिनांक 23.8.86 को शिकायत किया था । प्रति परीक्षण किए जाने पर जमाकर्ता ने बताया कि शाखा डाकपाल श्री विश्वनाथ सिंह एक जमाकर्ता करते थे परन्तु जमा पर्ची का अधपन्ना उसे नहीं देते थे । उसने आगे स्पष्ट किया कि मई 86 में भी किसी दिन ‖तारीख याद नहीं‖ रु0 1000/- ‖एक हजार‖ जमा किया था उस समय शाखा डाकपाल ने उसकी पासबुक वापस कर दिया था । दिनांक 23.6.86 को शाखा डाकपाल ने उसकी पासबुक वापस नहीं किया था, जमाकर्ता ने बताया कि दिनांक 23.6.86 को पासबुक में जमा लिखने की बात उसे 23.8.86 को मालूम हुयी जब वह पासबुक विश्वनाथ सिंह से मांगने गया तब श्री विश्वनाथ सिंह पासबुकों का बण्डल ला कर उसकी पासबुक दिखाई जिसमें 23.6.86 को 1500/- जमा लिखा था परन्तु तारीख मोहर नहीं लगी थी । उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसका श्री विश्वनाथ सिंह से कोई झगड़ा नहीं हुआ था ।

‖ क्रमशः——6 पर ‖

20

A33

श्री सुन्दर सिंह तत्कालीन उपडाकपाल सरेनी रायबरेली ने अपने बयान दिनांक 15.3.88 में स्पष्ट किया कि बचत बैंक खाता संख्या 1154999 का जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह उनके डाकघर आया और उसने शाखा डाकपाल हथनासा द्वारा [illegible] एस0बी0-28 रसीद संख्या- ए एच 196606/46 दिनांक 23.6.86 दिखाई- जिस पर बकाया रू0 6265.50 अंकित था और यह भी बताया कि शाखा डाकपाल उसे (वीरपाल सिंह) को पासबुक नहीं दे रहे हैं। श्री सुन्दर सिंह ने आगे स्पष्ट किया कि जमाकर्ता द्वारा मई और जून में रुपया उसके लेजर में जमा न होने की बात, जमाकर्ता को बताई थी। दिनांक [illegible] 25.6.86 के दैनिक लेखा पर एस.बी.-28 रसीद संख्या 46 किसी अन्य खाते के लिए जारी दिखायी गयी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एस बी-28 रसीद 46 खाता संख्या 1156048 के लिए जारी की गयी। जाँच में हस्त निर्मित एस0बी0-28 रसीद संख्या 46 खाता संख्या 1156048 बकाया 201.70 के लिए, शाखा डाकपाल द्वारा दिनांक 23.6.86 प्रस्तुत की गयी जिसका प्रदर्श (ईएक्सपी-एस-13) है। इसी रसीद का विवरण शाखा डाकपाल ने दिनांक 25.6.86 के शाखा डाकघर दैनिक लेखा (प्रदर्श ई एक्सपी-एस-7)(1) में किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह को सही एसबी0-28 रसीद बुक संख्या 46 जारी किया और खाता संख्या 1156048 के लिए दिनांक 25.6.86 को एस0बी0-28 रसीद संख्या ए एच 196606/47 जारी किया। दिनांक 23.6.86 के दैनिक लेखा (प्रदर्श ई एक्सपी-एस-7)(1) में किसी भी रसीद संख्या 46 का वर्णन नहीं किया है।

आरोपित कर्मचारी श्री विश्वनाथ सिंह ने अपने बयान दिनांक 28.3.88 में स्पष्ट किया कि दिनांक 23.6.86 को श्री वीरपाल सिंह ने रू0 1500/- जमा किया था और उसको एस0बी0-28 रसीद काट कर दे दिया था लेकिन गलती से बकाया रू0 6265.50 लिख दिया था, उसने यह भी [illegible] लिखा कि जाँच अधिकारी श्री शिव मन्दिर राय ने धमकी दी थी परन्तु जाँच के समय यह साबित नहीं कर सका कि जाँच अधिकारी ने धमकी दी थी। आरोपित कर्मचारी ने अपने बचाव सार में उल्लेख किया कि जाँच अधिकारी ने उसका बयान 8.10.86 को न लेकर दिनांक 14.10.86 को लिया था। श्री शिव मन्दिर राय ने अपने बयान दिनांक 14.3.88 में स्पष्ट किया कि उन्होंने श्री विश्वनाथ सिंह का बयान दिनांक 8.10.86 को रिकार्ड किया था जिसका (प्रदर्श ईएक्स-एस-11) है।

शाखा डाकघर हथनासा त्रुटि पुस्तिका (प्रदर्श ईएक्स-एस-14) के अनुसार दिनांक 23.6.86 को निम्न त्रुटि नोट पायी गयी :-

"श्रीमान् उपडाकपाल सरेनी, रायबरेली एसबी एकाउण्ट नं0 1154999 में दिनांक 23.6.86 को रू0 2500/- (दो हजार पाँच सौ रू0) जमा किया थो कि कुल से हिसाब में नहीं पाया हूँ अतः श्रीमान् जी आपको प्रार्थना पत्र प्रेषित करके आशा करता हूँ कि जमा करने की आज्ञा दी जाये ताकि कोई तरह का विवाद [illegible] न हो महान दया होगी, जिसकी एस बी-28 नं0 46 काट चुका हूँ।"

(क्रमशः----7 पर)

True Attested
[illegible]

21

A34

इस त्रुटि पुस्तिका को जाँच अधिकारी ने अपनी अभिरक्षा में दिनांक 8.10.86 को ले लिया था ।

श्री सुन्दर सिंह उपडाकपाल, सरेनी ने अपने बयान दिनांक 15.3.88 में इस त्रुटि की पुष्टि करने से इनकार किया है तथा शाखा डाकपाल ने स्वीकार किया है कि उसने साधारण डाक से त्रुटि भेजी थी । शाखा डाकघर बचत बैंक जर्नल (ई एक्स पी-एस-2) के अनुसार दिनांक 23.6.86 को कोई लेन-देन नहीं हुआ है । शाखा डाकघर लेखा (प्रदर्श ई. एक्स-एस-3) के अनुसार बचत बैंक में कोई राशि जमा नहीं की गयी और न ही अवर्गीकृत मद्द में राशि ली गयी ।

बचाव पक्ष ने बचाव साक्षी श्री राम सुन्दर सिंह पुत्र श्री चंद्रिका सिंह ग्राम पोस्ट बेहीटा जिला- रायबरेली को प्रस्तुत किया, उन्होंने अपने बयान दिनांक 21.1.89 में स्पष्ट किया कि दिनांक 23.6.86 को वह हथनासा डाकघर अपने सगे चचाजात भाई श्री शीतला बख्श सिंह के खाते में रुपये निकलवाने में गवाही हेतु गया था, उसी दिन श्री वीरपाल सिंह ने भी अपनी पासबुक में रुपये जमा किया था, श्री विश्वनाथ सिंह ने कहा कि किताब ब्याज के लिए भेजेंगे परन्तु श्री वीरपाल सिंह ने किताब देने से इनकार किया । इस पर दोनों में गरमा-गरमी हो गयी । इस पर श्री विश्वनाथ सिंह ने किताब में लिखा पर्ची काटकर पैसा लौटा दिया और कहा कि पैसा नहीं जमा करूँगा इस पर श्री वीरपाल सिंह अपनी पासबुक तथा पैसा लेकर चले गये ।

यहाँ पर यह स्पष्ट है कि दिनांक 23.6.86 को बचत बैंक से कोई निकासी नहीं हुई है । यदि थोड़े समय के लिए श्री राम सुन्दर सिंह को विश्वसनीय गवाह मान लिया जाय । यद्यपि मानने का कोई आधार नहीं है तो भी शाखा डाकपाल श्री विश्वनाथ सिंह ने एसबी-28 रसीद ए०एच० 196606/46 दिनांक 23.6.86 खाता संख्या 1154999 के लिए जारी किया और बकाया रु0 6205.50 लिखा, जो कि जमाकर्ता के पास है और यह अभिलेख स्वयं में स्पष्ट है कि डाकघर के बकाए और रसीद संख्या 46 के बकाये में रु0 2500/- का अन्तर है । दिनांक 23.6.86 (तारीख की मोहर साफ नहीं) के, जो हस्त लिखित रसीद 1156048 के लिए जारी की गई, उस पर रसीद संख्या 46 लिखा तथा दिनांक 25.6.86 को दैनिक लेखे में दर्ज किया । अपने आप में स्पष्ट है । इस प्रकार अभिलेखीय साक्ष्य पर आरोप पूर्णतः सिद्ध है और उक्त श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131, 174 एवं 175 के उल्लंघन का दोषी है और अति0 वि0 एजेण्ट (आचरण एवं सेवा) नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार आचरण बनाए रखने में असफल रहे । मैं जाँच अधिकारी की जाँच आख्या से सहमत हूँ ।

(क्रमशः——8 पर)

True Attested

अनुच्छेद- 2.

आरोपित कर्मचारी श्री विश्वनाथ सिंह अति0वि0 शाखा डाकपाल हथनासा रायबरेली पर संक्षिप्त में यह आरोप है कि दिनांक 23.6.86 को शाखा डाकपाल हथनासा के पद पर कार्य करते हुए जमाकर्ता से रसीद एस0बी0-28 संख्या ए एच 196606/46 दिनांक 23.6.86 रू0 6265.50 § रू0 छः हजार दो सौ पैंसठ पैसे पचास§ जमाकर्ता को दिया, परन्तु पासबुक ब्याज लगाने के लिए लेखा कार्यालय को प्रेषित नहीं किया, इस प्रकार उन्होंने शाखा डाकघर नियमावली के नियम 141 का उल्लंघन किया और अति0 वि0 एजेन्ट §आचरण एवं सेवा§ नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे ।

इस आरोप की पुष्टि में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने एस0बी0-28 रसीद ए एच 196606/46 §प्रदर्श ई एक्सपी-एस-12§ मूल एस.बी.-28 रसीद संख्या 46 दिनांक 23.6.86 §ई एक्स पी-एस-1§ दैनिक लेखा §ई एक्स पी-एस-7§i§ दिनांक 23.6.86 दैनिक लेखा 25.6.86 §ई एक्स पी-एस-7§ii§ शाखा डाकघर जरनल §ई.एक्स.पी.-एस-10§ तथा शाखा डाकपाल हथनासा द्वारा दिनांक 25.6.86 को पासबुक संख्या 1156048 के साथ प्रेषित पर्ची §ई एक्स पी एस-13§ जिस पर ~~एसबी-28~~ एसबी-28 संख्या 46 पड़ा है, जाँच में प्रस्तुत की गयी । इन सभी अभिलेखों से स्वयं स्पष्ट है कि दिनांक 23.6.86 को उक्त एस0बी0-28 रसीद जारी की गयी, पासबुक खाता संख्या 1154999 प्राप्त की गयी परन्तु पासबुक लेखा कार्यालय नहीं भेजी गयी । शाखा डाकपाल ने दिनांक 25.6.86 पर अंकित करके पासबुक संख्या 1156048 बकाया रू0 201.70 लेखा डाकघर सरेनी को प्रेषित की गयी , परन्तु इसे एस.बी.-28 रसीद संख्या 46 द्वारा प्राप्त दिखायी गई, जबकि उक्त रसीद संख्या 46 पासबुक खाता संख्या 1154999 के लिए जारी की गयी । इसकी पुष्टि ~~उक्त~~ शाखा डाकघर जरनल दैनिक 23.6.86 द्वारा भी हुई । इसके अनुसार गलत रसीद संख्या लिखकर लेखा कार्यालय को गुमराह करने का असफल प्रयास किया गया ।

साक्षियों श्री ~~ठाकुर~~ वीरपाल सिंह , श्री सुन्दर सिंह तथा श्री शिव मन्हिर राय के बयानात एवं स्वयं श्री विश्वनाथ सिंह के बयान से स्पष्ट है कि पासबुक प्राप्त करने के बाद ब्याज के लिए लेखा कार्यालय प्रेषित नहीं की गयी और आरोपित कर्मचारी शाखा डाकघर नियम 141 के उल्लंघन का दोषी है तथा अ0 वि0 एजेन्ट §आचरण एवं सेवा§ नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाये रखने में असफल रहे हैं । आरोप स्वयं सिद्ध है । मैं जाँच अधिकारी की जाँच आख्या से सहमत हूँ ।

अनुच्छेद- 3.

उक्त श्री विश्वनाथ सिंह पर संक्षेप में यह आरोप है कि दिनांक 23.6.86 को शाखा डाकपाल हथनासा के पद पर ~~बतौर~~ कार्य करते हुए एसबी0-28 रसीद ए एच 196606/46 दिनांक 23.6.86 में वर्णित रकम रू0 6265.50 §रूपये छः हजार दो सौ पैंसठ पैसे पचास§ एवं प्रधान डाकघर लालगंज के लेजर कार्ड के बकाए के अनुसार रू0 2500/- § रूपये दो हजार पांच सौ§ की कमी पायी गयी । जमाकर्ता के अनुसार उसने रू0 1000/-

§क्रमशः----9 पर §

[signatures]

§ एन0 एवार रू0§ मई 86 में किसी कार्य दिवस में शाखा डाकघर हथनाता में जमा किया था परन्तु बी0ओ0 बचत बैंक जरनल के अनुसार इस खाते में मई 86 में किसी भी दिन रू0 1000/- जमा नहीं दिखाया गया । लेखा कार्यालय सरेनी और प्रधान डाकघर लालगंज के लेजर के अनुसार इस खाते में रू0 3765.50 ही दर्ज पाये गये । इस प्रकार कथित श्री विश्वनाथ सिंह ने मई में जमा रकम रू0 1000/- को शाखा डाकघर बचत बैंक जरनल में न लेकर शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131 का उल्लंघन किया तथा रू0 2500/- का दुर्विनियोग कर अति0 वि0 एजेण्ट §आचरण एवं सेवा§ नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे ।

उपरोक्त आरोप की पुष्टि हेतु प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने जमाकर्ता का बयान दिनांक 8.10.86 §ई एक्स पी-एस-6§ एसबी-28 रसीद संख्या 46 तथा त्रुटि पुस्तिका में अंकित त्रुटि संख्या 16 §ई0एक्सपी-एस-14§ जाँच में तथा प्रधान डाकघर लालगंज में लेजर कार्ड के प्रति §ईएक्सपी-एस-9§ तथा सरेनी बचत बैंक लेजर खाता संख्या 1154999 की प्रति §ईएक्सपी-एस-8§ प्रस्तुत किया । दोनों लेजर कार्ड प्रतियों में बकाया रू0 3765.50 दिनांक 28.2.86, 11.3.86 जमा रूपये 150/- के बाद है । एसबी-28 रसीद संख्या 46 जो कि खाता संख्या 1154999 के जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह को दी गयी उसमें बकाया 6265.50 रू0 अंकित है । इस प्रकार 2500/- रू0 का स्पष्ट अन्तर लेखा कार्यालय, प्रधान डाकघर और शाखा डाकघर के बीच स्थापित हुआ । दिनांक 23.6.86 में जमा किए जाने की त्रुटि संख्या 16 §ई एक्स.पी.-एस-14§ शाखा डाकपाल द्वारा अंकित पायी गयी । इस प्रकार अभिलेखीय आधार पर यह स्थापित हुआ कि मई मास की किसी तिथि को रू0 1000/- जमाकर्ता ने जमा किया था । श्री विश्वनाथ सिंह ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि दिनांक 23.6.86 को एस0बी0-28 रसीद जारी करते समय गल्ती से रू0 1000/- के बकाया ज्यादा लिख गया परन्तु इस संदर्भ में कोई त्रुटि, त्रुटि पुस्तिका में अंकित नहीं पायी गयी । इस प्रकार आरोप अभिलेखीय साक्ष्य पर आधारित है और सिद्ध है। आरोपित कर्मचारी, शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131 के उल्लंघन का दोषी है । और अति0 वि0 एजेण्ट §आचरण एवं सेवा § नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे । मैं जाँच अधिकारी की जाँच आख्या से सहमत हूँ ।

अनुच्छेद- 4.

आरोपित कर्मचारी श्री विश्वनाथ सिंह अति0 वि0 शाखा डाकपाल हथनाता रायबरेली पर सेवा में यह आरोप है कि मई 86 में जमा रकम रू0 1000/- दिनांक 23.6.86 में जमा रकम रू0 1500/- कुल 2500/- को सरकारी हिसाब में न लेकर उसका दुर्विनियोग किया और दुर्विनियोगित रकम रू0 2500/- को दिनांक 8.10.86 को शाखा डाकघर दैनिक लेखा में अवर्गीकृत मद में जमा किया और अपने लिखित बयान दिनांक 8.10.86 में स्वीकार किया । इस प्रकार उक्त जमा रकम रू0 1000/- तथा 1500/-

§क्रमशः:------10 पर §

True Attested
[signature]

को सरकारी हिसाब में न लेकर शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131§3§ का उल्लंघन किया और रू0 2500/- का दुर्विनियोग कर अपना आचरण अति0 वि0 एजेण्ट § आचरण एवं सेवा§ नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल — रहे ।

इस आरोप की पुष्टि में जैसा कि अनुच्छेद 1 एवं 3 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है । श्री विश्वनाथ सिंह ने त्रुटि पुस्तिका में लिखा है कि दिनांक 23.6.86 को खाता संख्या 1154999 में 2500/- जमा किया जो कि भूल से हिसाब में नहीं आया । शाखा डाकपाल ने यह रकम रू0 2500/- दिनांक 8.10.86 को दैनिक लेखे में लेकर जमा किया तथा अपने बयान में भी लिखा । बचाव सार में आरोपित कर्मचारी ने यह स्पष्ट किया कि रूपये 2500/- श्री शिव मन्दिर राय §प्रारम्भिक जाँचकर्ता§ के डराने धमकाने पर जमा किया परन्तु डराने धमकाने का सबूत प्रस्तुत नहीं किया । आरोपित कर्मचारी ने अपने बचाव सार में उद्धृत किया कि मामले की रिपोर्ट पुलिस में नहीं की गयी नहीं तो सत्य स्पष्ट होता, यह सत्य नहीं है । श्री शिव मंदिर राय, परिवाद निरीक्षक रायबरेली ने अपने पत्र सं0 सी0आई0/इन्क्वारी/हथनासा/86-87 दिनांक 3.11.86 को शिकायत, थानाध्यक्ष थाना-सरैनी रायबरेली में पंजीकृत करायी थी ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आरोपित कर्मचारी श्री विश्वनाथ सिंह ने रू0 2500/- का दुर्विनियोग कर शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131§3§ का उल्लंघन कर अति0 वि0 एजेण्ट §आचरण एवं सेवा§ नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार आचरण बनाए रखने में असफल रहे । आरोप सिद्ध है । मैं जाँच अधिकारी की ~~xxxxx~~ जाँच आख्या से सहमत हूँ ।

आदेश

अतः मैं, एम0 के0 सिद्दीकी, डाक अधीक्षक, रायबरेली मण्डल, एतद् द्वारा श्री विश्वनाथ सिंह अ0 वि0 शाखा डाकपाल हथनासा, रायबरेली को सेवा से निकालने § Dismissal from Service § का दण्ड §Penalty§ पारित § impose § करता हूँ, जो तुरन्त प्रभावी होगा ।

§ एम0 के0 सिद्दीकी §
अधीक्षक डाकघर,
रायबरेली मण्डल- 229001.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. ✓ श्री विश्वनाथ सिंह, अति0 वि0 शाखा डाकपाल § कार्य पृथक§ हथनासा, रायबरेली, जाँच आख्या की प्रति 8 पृष्ठों में संलग्न है ।
2. पोस्टमास्टर, लालगंज, रायबरेली ।
3. स्थापना अनुभाग प्रखण्डीय कार्यालय, रायबरेली ।
4-7. कार्यालय प्रति एवं अतिरिक्त ।

Regd. A.D.

Attested
Advocate

25
A38

जाँच आख्या Enquiry Report

अधोहस्ताक्षरकर्ता को डाक अधीक्षक रायबरेली के ज्ञापन संख्या प्रथम-4/2/86-87 दिनांक 1.12-87 द्वारा श्री विश्वनाथ सिंह शाखाडाकपाल हुसनामा रायबरेली के विरुद्ध डाक अधीक्षक रायबरेली के ज्ञापन संख्या प्रथम 4/2/86-87 दिनांक 11-11-87 के साथ संलग्न श्री विश्वनाथ सिंह अ०वि० शाखाडाकपाल हुसनामा के विरुद्ध लगाये गये कदाचार एवं अवचार के आरोप के अनुच्छेदों का विवरण (अनुबन्ध-1) में वर्णित आरोपों की जाँच हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जाँच की प्रथम तिथि दिनांक 14.XII-87 निश्चित की गई थी जिसमें आरोपित अ०वि० एजेन्ट श्री विश्वनाथ सिंह उपस्थित नहीं हुए थे। जाँच की अगली तिथि 26-XII-87 को आरोपित श्री विश्वनाथ सिंह को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया गया था जिसमें श्री विश्वनाथ सिंह ने आरोपों को अस्वीकार किया था। आरोपित अ० वि० एजेन्ट द्वारा आरोपों को अस्वीकार किए जाने पर मामले की जाँच दिनांक 15-1-88, 20-2-88, 5-3-88, 14/15-3-88, [illegible], 26-XII-88 तथा 21-1-89 कुल तिथियों में की गई। इन तिथियों में 14-XII-87 तथा 15-3-88 को छोड़कर शेष सभी तिथियों में आरोपित अ० वि० एजेन्ट ने भाग लिया। आरोपित अ० वि० एजेन्ट के अपने बचाव सहायक श्री हबीब अहमद सहायक डाकपाल रायबरेली के बजाय था जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से श्री जे० एन० त्रिपाठी उपमण्डलीय निरीक्षक उपमण्डल रायबरेली ने प्रस्तुत कर्ता अधिकारी के रूप में भाग लिया। मैंने उपलब्ध अभिलेखों एवं जाँच के दौरान प्रस्तुत मौखिक प्रमाणों के आधार पर उक्त मामले की जाँच की है जिसकी आख्या इस प्रकार है :-

श्री विश्वनाथ सिंह अति० वि० शाखाडाकपाल हुसनामा के विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों का विवरण जो कि आरोप पत्र के अनुबन्ध-1 में वर्णित है इस प्रकार है :-

अनुच्छेद-1 - यह कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अ० वि० शाखाडाकपाल हुसनामा रायबरेली के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 23-6-86 को बचत बैंक खाता संख्या 1154999 के जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह से पासबुक और उसमें जमा करने हेतु रु० 1500/- प्राप्त किया, परन्तु जमा प्रविष्टि को बचत बैंक जमा जरनल, शाखा डाकघर दैनिक लेखा एवं शाखाडाकघर लेखा में न लेकर, शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131, 174 एवं 175 का उल्लंघन किया और अ० वि० एजेन्ट (आचरण एवं सेवा) नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने में असफल रहे।

अनुच्छेद-2 - यह कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह उक्त तिथि, डाकघर में शाखाडाकपाल के पद पर कार्य करते हुए उक्त जमाकर्ता से पासबुक प्राप्त करने की रसीद एम० ओ० बी०-25 प्राप्ति संख्या 1966606/46 दिनांक 23-6-86 रु० 6265.50 जमाकर्ता को दिया परन्तु पासबुक प्राप्त करने हेतु लेखा कार्यालय को प्रेषित नहीं किया। इस प्रकार कथित श्री विश्वनाथ सिंह ने शाखाडाकघर नियमावली के नियम 141 का उल्लंघन किया और अ० वि० एजेन्ट (आचरण एवं सेवा) नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने में असफल रहे।

File attested
Sd/- [illegible] SDI

अनुच्छेद-3 - यह कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अति० वि० शाखा डाकपाल हुसैनाबाद इमलौली के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 23-6-86 को भारती-28 रसीद संख्या 196606/46 दिनांक 23-6-86 में वर्णित रकम 6265.50 एवं प्रधान डाकघर लालगंज के लेजर कार्ड के अनुसार रु० 2500/- की कमी पाई गई। जमाकर्ता के अनुसार उसने रु० 1000/- मई 86 के किसी कार्य दिवस में शाखा डाकघर हुसैनाबाद में जमा किया था, परन्तु डी०ओ० बचत बैंक जर्नल के अनुसार इस खाते में मई 86 में किसी भी दिन रु० 1000/- जमा नहीं दिखाया गया।

लेखा कार्यालय मोदी और प्रधान डाकघर लालगंज के लेखा के अनुसार इस खाते में रु० 3765.50 ही दर्ज पाये गये। इस प्रकार कथित श्री विश्वनाथ सिंह ने मई में जमा रकम 1000/- को शाखा डाकघर बचत बैंक जर्नल में न लेकर शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131 का उल्लंघन किया तथा 2500/- रु० का दुर्विनियोग कर अति० वि० एजेन्ट (आचरण एवं सेवा) नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने में असफल रहे।

अनुच्छेद-4 - कथित श्री विश्वनाथ सिंह ने मई 86 में जमा रकम 1000/- 23-6-86 में तथा 1500/- कुल 2500/- को सरकारी हिसाब में न लेकर उसका दुर्विनियोग किया और दुर्विनियोजित रकम रु० 2500/- को दिनांक 8-10-86 को शाखा डाकघर बैंकिंग लेखा में अवर्गीकृत मद में जमा किया और अपने लिखित बयान दिनांक 8-10-86 में स्वीकार किया। इस प्रकार उक्त जमा रकम 1000/- तथा 1500/- को सरकारी हिसाब में न लेकर शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131 (3) का उल्लंघन किया और रु० 2500/- का दुर्विनियोग कर अपना आचरण अति० वि० एजेन्ट (आचरण एवं सेवा) नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने में असफल रहे।

उक्त जाँच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री जे०एन० त्रिपाठी ने अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित अभियोजन अभिलेख। साक्षी को प्रस्तुत किया :-

(अ) अभियोजन अभिलेख -

1 हुसैनाबाद शाखा डाकघर भा०-28 रसीद संख्या 196606/46 दिनांक 23-6-86 (Exb S-1)
2 हुसैनाबाद शाखा डाकघर का बचत बैंक जर्नल 22-7-85 से 10-10-86 (Exb S-2)
3 हुसैनाबाद डाकघर का शाखा डाकपाल लेखा अगस्त 85 से 8-10-86 (Exb S-3)
4 लेखा डाकघर मोदी की औ खाता सं० 15-4086 से 21-7-86 तक (Exb S-4)
5 लिखित बयान श्री विश्वनाथ सिंह दिनांक 14-10-86 (Exb S-5)
6 " " " नरेन्द्र सिंह दिनांक 8-10-86 (Exb S-6)
7 हुसैनाबाद डाकघर का बैंकिंग लेखा दिनांक 23-6-86 (Exb S-7(i))
8 " " " " " 25-6-86 (Exb S-7(ii))
9 " " " " " 8-10-86 (Exb S-7(iii))
10 लेजर कार्ड मोदी खाता सं० 1154999 (Exb S-8)

True Attested
[signature] Adv

(पृष्ठ: 3)

11. प्रधानाध्यापक द्वारा भेजे गए पत्रांक 1154 दिनांक (Exb S-9)
12. हनुमान प्रसाद का धानाध्यापक के निलंबन 12-8-86 को 8-10-86 (Exb S-10)
13. श्री विश्वनाथ सिंह द्वारा उन्हें हनुमाना का निलम्बन दिनांक 8-10-86 (Exb S-11)
14. हनुमाना प्राथमिक SB-28 पंजिका A/c 126606 जिसमें संदर्भ 46 दिनांक 23-6-86 को आहरित की (Exb S-12)
15. श्याम प्रसाद हनुमाना की संदर्भ 46 की अध्यापक की मुद्रित प्रति (manuscript) (Exb S-13)
16. हनुमाना उपडाकघर की कुंजी उपयोग (Exb S-14)

(ख) अभियोजन साक्ष्य

1. श्री वीरप्रताप सिंह निवासी गौतमनगर पोस्ट हनुमाना पालमनी SW-II
2. श्री शिवमणि प्रसाद तत्कालीन मार्गदर्शक/शिक्षक सेवक SW-I
3. श्री मुन्नालाल सिंह तत्कालीन उपडाकपाल रीवाँ SW-III

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने उपरोक्त व्यक्तियों का जाँच में बयान लिया गया। पुनरीक्षण एवं अभिलेखों के आधार श्री विश्वनाथ सिंह पर लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने हेतु जैसा कि उन्होंने अपने लिखित अभियोग संक्षेप संलग्न है। जाँच। हनुमाना (8) दिनांक 2-2-89 से मिला है।

बचाव पक्ष की ओर से श्री हवील अहमद बचाव सहायक ने आरोपित पक्ष की ओर से निम्नलिखित अभिलेखों की माँग जाँच के दौरान की थी

1. श्री वीरप्रताप सिंह की शिकायत दिनांक 23-8-86 जिसकी जाँच निरीक्षक द्वारा 8-10-86 को की गई थी (Exb D-1)

उपरोक्त अभिलेख (Exb D-1) जाँच के दिनांक 5-3-88 को प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष द्वारा दिनांक 5-3-88 को निम्न तीन बचाव व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की गई थी जिसे स्वीकार किया गया था :-

1. श्री पृथ्वीराज सिंह ग्राम व पोस्ट हनुमाना
2. श्री रामकुमार सिंह ग्राम व पो वैकैया पालमनी
3. श्री विश्वनाथ सिंह ग्राम देहात पो० हनुमाना

उपरोक्त तीन व्यक्तियों में क्रमांक 3 वाले साक्षी की मृत्यु हो गई तथा क्रमांक 1 के साक्षी की ओर से बचाव पक्ष ने प्रस्तुत नहीं किया। केवल क्रमांक 2 का साक्षी ही बचाव साक्षी के रूप में दिनांक 21-1-89 को प्रस्तुत हुआ।

(ग) उपरोक्त/साक्ष्य/विश्लेषण मामले की जाँच में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों, उपलब्ध अभिलेखों आदि के आधार पर आरोपों की विवेचना की गई जो कि निम्न प्रकार है :—

आरोप क्रमांक - 1 श्री विश्वनाथ सिंह अतिरिक्त शाखाडाकपाल हनुमाना पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने दिनांक 23-6-86 को बचत बैंक खाता क्रमांक 1154992 के जमाकर्ता श्री वीरप्रताप सिंह के

[signatures]

उपरोक्त शाखा ने भी पासबुक तथा उक्त जमा करने हेतु 1500/- प्राप्त किया परन्तु जमा प्रविष्टि को कैश बैंक जनरल, शाखा डाकघर दैनिक लेखा एवं शाखा डाकघर लेखा में न लेकर शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131, 174 तथा 175 का उल्लंघन किया तथा तदनुसार वह [illegible] (आचरण [illegible]) नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार अपेक्षित कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे। इस आरोप की पुष्टि हेतु अभिलेख स्वरूप उक्त डाकघर का कैश बैंक जर्नल (Exb S-2) [illegible] (Exb S-3), हलवासा डाकघर के दैनिक लेखा दिनांक 23-6-86 (Exb S 7(i)) जमाकर्ता का लिखित बयान दिनांक 8-10-86 (Exb S-6) श्री वीरपाल सिंह जमाकर्ता की शिकायत दिनांक 23-9-86 (Exb D-1) शाखा डाकपाल श्री विश्वनाथ सिंह के बयान दिनांक 8-10-86 तथा 14-10-86 (Exb S-11 तथा Exb S-5) एवं हलवासा डाकघर की [illegible] (Exb S-14) आदि अभिलेख प्रस्तुत किए गये तथा अभियोजन साक्षियों के रूप में श्री वीरपाल सिंह जमाकर्ता, श्री [illegible] (प्राथमिक जाँच कर्ता) तथा श्री [illegible] सिंह तत्कालीन उपडाकपाल [illegible] को प्रस्तुत किया गया। जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह ने अपने बयान दिनांक 5-3-88 में बताया कि उसने दिनांक 23-6-86 को अपनी पासबुक में 1500/- जमा किए थे। उसने बताया कि शाखा डाकपाल ने उसे यह कहा था कि पासबुक [illegible] हेतु भेजना है पासबुक ले ली थी तथा उसे 58-28 [illegible] 46 दि. 23-6-86 [illegible] उसकी पासबुक का [illegible] 6265.50 [illegible] की थी। [illegible] डाकघर पासबुक नहीं आई है। पासबुक न मिलने पर जब वह दिनांक 23-8-86 को [illegible] शाखा डाकपाल हलवासा के पास गया तो विश्वनाथ सिंह ने अपने [illegible] पासबुक का [illegible] पासबुक दिखाई थी जिसमें 23-6-86 को 1500/- जमा दिखाया परन्तु उसके तारीख मुहर नहीं लगी थी जिसके लिए शाखा डाकपाल ने कहा था कि इसमें तारीख मुहर लगाने को रह गई थी इसलिए पासबुक [illegible] गई। जमाकर्ता ने बताया कि इसके बाद वह [illegible] डाकघर गया तथा उसने उपडाकपाल [illegible] को इस बात की जब शिकायत की तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पासबुक [illegible] नहीं हो सकी थी। जमाकर्ता के उपरोक्त बयान की पुष्टि अन्य साक्षी श्री [illegible] सिंह उपडाकपाल [illegible] ने भी की है। स्वयं श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाकपाल हलवासा आरोपी दिनांक 23-6-86 को अपने [illegible] जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह का उक्त [illegible] 1500/- जमा करना स्वीकार किया गया है परन्तु उन्होंने अपने लिखित बयानों में उक्त रकम आरोपित जमाकर्ता को वापस करना बताया है तथा बचाव में एक गवाह श्री राजकुमार सिंह निवासी ग्राम [illegible] को जाँच में पेश किया परन्तु इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा प्रेषित लिखित बचाव बयान, बचाव [illegible] तथा अभिलेखों में [illegible] नहीं है। श्री विश्वनाथ सिंह ने अपने लिखित बयान दिनांक 28-3-88 तथा 21-1-87 में लिखा है कि [illegible] बयान दिनांक 8-10-86 को नहीं का जाँच अधिकारी ने 14-10-86 को [illegible] जमा करने [illegible] लिया तथा कहा कि जब तक [illegible] नहीं जमा करोगे बयान नहीं दूँगा तथा जेल भी भेजना हुआ उसी [illegible] अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं [illegible]-10-86 को रु० 2500/- [illegible] [illegible] अर्जित करने के [illegible] मैंने इस सम्बन्ध में कोई त्रुटि और नहीं की थी तथा न इस प्रकार की त्रुटि और करने का प्रश्न ही होता है क्योंकि मैंने पैसा उसी समय पासबुक [illegible] के

True Attested [illegible]

लिए मना करते थे पैसा- किताब जमा की प्रविष्टि कर दूं वादा कर दी थी लेकिन बातचीत गलतफहमी के होने के कारण 53.28 की प्रविष्टि वापस लेने को कहा गया "। इसी प्रकार श्री विश्वनाथ सिंह ने पुनः अपने बयान की अंतिम पंक्तियों में लिखा है कि " मैंने कोई त्रुटि संख्या 16 दिनांक 23.6.86 नहीं लिखी तथा न इसका कोई औचित्य है अतः रु. 2500/- अन्तर्गत करने से इन्कार का प्रमाण मान्य जाय। जाँच में उपलब्ध अभिलेखों में श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाकपाल हुल्लासा का दिनांक 8.10.86 का बयान (Exb S-H) भी है तथा त्रुटि पुस्तक Exb S-14 भी है जो श्री विश्वनाथ सिंह के बयान दिनांक 28.3.87 तथा 21.1.89 की उपरोक्त पंक्तियों को असत्य सिद्ध करते हैं। इन दोनों अभिलेखों की सत्यता जाँच में प्रतिवादी निरीक्षक श्री शिवनन्दन राम SW 2 द्वारा प्रमाणित की गई है अतः इन अभिलेखों को असत्य नहीं माना जा सकता। त्रुटि संख्या 16 दिनांक 23.6.86 जो Exb S-14 पर अंकित है की भाषा निम्न है

" श्रीमान उपडाकपाल जी SB A/c no 1154668 में दिनांक 23.6.86 को 2500/ देहाती पाँच सौ रुपया जमा किया आकि भूल से छिपा नहीं पाया हूँ अतः श्रीमान जी आपसे प्रार्थना पत्र प्रेषित कर आग्रह करता हूँ कि जमा करने की आज्ञा दी जाय ताकि कोई तरह का विवाद न हो। दिनांक हस्ताक्षर विश्वनाथ 23.6.86 कर दुबारा।

स्पष्ट है कि यदि शाखा डाकपाल हुल्लासा खाता संख्या 1154668 में दिनांक 23.6.86 को जमा करने हेतु प्राप्त 2500/- जमाकर्ता को वापस कर देते तो वह इसका स्पष्ट उल्लेख अपनी त्रुटि में करते परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। बचाव पक्ष द्वारा दिनांक 21.1.89 को बचाव साक्षी के रूप में श्री रामसुन्दर सिंह निवासी ग्राम कमोरा को प्रस्तुत किया गया जिन्होंने अपने बयान में बताया कि वह दिनांक 23.6.86 को हुल्लासा डाकघर अपने चचेरे भाई श्री शीतलाप्रसाद सिंह पुत्र रामनरेश सिंह के खाते के सम्बन्ध में शिकायत करने गवाही हेतु गया था जब कि हुल्लासा डाकघर के अभिलेखों के अनुसार दिनांक 23.6.86 को अवकाश अर्धावकाश नहीं था तथा श्री शीतलाप्रसाद सिंह ने कोई लेनदेन नहीं किया गया। इसी प्रकार जब उक्त गवाह श्री रामसुन्दर सिंह से पूछा गया कि क्या उसे 23.6.86 को बैंक का दिनांक याद है तो उन्होंने कहा नहीं दिनांक याद नहीं है। ताकि याद रहने के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि चूँकि उस दिन विश्वनाथ सिंह व शीतला सिंह के झगड़ा हो गया था इसलिए उन्हें दिन याद है। यद्यपि उक्त गवाह ने बताया कि वह शाखा डाकघर में मात्र एक गज की दूरी पर बैठा था परन्तु वह यह नहीं बता सका कि श्री विश्वनाथ सिंह ने स्वयं सीमा पर था या नहीं। उसने यह भी बताया कि वह जब डाकघर पहुँचा तो श्री शीतला सिंह वहाँ पर मौजूद थे तथा शीतला सिंह ने जब अभिदाता के खाते जमा किया तो विश्वनाथ सिंह ने कहा कि किताब जमा के लिए अंग्रेजी पर्चे श्री शीतला सिंह द्वारा किताब देने लगा करते थे। गवाह गुस्से में हो गई और इसके विश्वनाथ सिंह ने किताब में जो लिखा था उसे काट कर पैसा लौटा दिया और कहा कि मैं पैसा नहीं जमा करूँगा। गवाह द्वारा यह नहीं बता सका कि श्री विश्वनाथ सिंह ने इस लेनदेन की प्रविष्टि अन्य किसी अभिलेख में की थी या नहीं। उक्त के कारण भी श्री विश्वनाथ सिंह द्वारा 53.28 की पूर्ति भी स्पष्ट नहीं है। गवाह का बयान रटा रटाया जैसा प्रतीत होता दिया गया है जिसमें उसके अलावा किसी अन्य प्रश्न का वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। अधिकार वापस लेने के घटना के समय उपस्थित रहा होगा

True Attested

और इस तरह की स्थिति पैदा हुआ प्रतीत नहीं होता तो फायदा का आरोपान्त वर्णन का होता अतः इस साक्षी का बयान सत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि अभिलेखों के अनुसार जैसा कि उसने बताया कि वह श्री शीतलाप्रसाद सिंह के लड़के से विवाह में गवाही के समय आए थे, श्री [illegible] हस्ताक्षर से उपस्थिति सिद्ध नहीं होती। बचाव पक्ष द्वारा अपने लिखित संक्षेप में लिखा गया है कि उपरोक्त मामले की साक्षी श्री मुन्नासिंह उपाध्याय ने सही बात की है क्योंकि आरोप [illegible] BPM con BO के हिसाब से देने से संबंधित कुछ मतभेद। मातहत [illegible] बचाव पक्ष द्वारा न तो जाँच के दौरान श्री मुन्नासिंह कैटी [illegible] का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया और न जमाकर्ता श्री [illegible] सिंह कैटी [illegible] का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया। प्रारम्भिक जाँच अधिकारी श्री शिवकांत राय के सम्बन्ध में भी

लिखित संक्षेप — मैं लिखा गया है कि उन्होंने जैसे ही [illegible] की कोई चीज नहीं कहा था कि जब तक 2500/- जमा नहीं करोगे तब तक [illegible] नहीं लूँगा तथा पुलिस के हवाले कर दूँगा इस प्रकार वे दिनांक 8-10-86 को मेरे पास आए लेकिन कोई बयान नहीं लिया [illegible] लगभग 5 मिनट रहे मैं डर गया तथा अपनी इज्जत बचाने के लिए 2500/- UCR में जमा कर दिया जो दिनांक 14-10-86 को जमा कराया गया। बचाव पक्ष की यह सारी बातें भी असत्य है क्योंकि श्री शिवकांत राय ने शाखाडाकपाल तथा जमाकर्ता दोनों कैटी बयान हस्ताक्षर उपस्थित में ही लिए थे तथा कोई धमकी नहीं दी थी जैसा कि श्री शिवकांत राय SW 1 के बयान से स्पष्ट है तथा श्री विश्वनाथ सिंह का यह कहना कि उनका दिनांक 8-10-86 को कोई बयान नहीं लिया गया भी गलत है क्योंकि उनका दिनांक 8-10-86 का बयान (Exb S-11) जाँच के अभिलेखों में उपलब्ध है।

इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा बचाव के लिए झूठे गवाह तथा असत्य [illegible] लेख का सहारा लिया गया है जो आरोप को झुठलाने में पूर्णतया असफल रहे हैं तथा उपलब्ध अभिलेखों तथा साक्ष्यों के आधार पर यह आरोप पूर्णतया सिद्ध होता है।

आरोप संख्या - 2 श्री विश्वनाथ सिंह पर दूसरा आरोप यह है कि उन्होंने दिनांक 23-6-86 को [illegible] खाता संख्या 1154 [illegible] जमाकर्ता से ब्याज के लिए पासबुक प्राप्त किया और जमाकर्ता को पासबुक वापस करते समय स्लिप SB-28 संख्या [illegible] 106606/46 दिनांक 23-6-86 [illegible] 6265.50 जमाकर्ता को दिया परन्तु पासबुक व्याज लगाने हेतु लेखा कार्यालय को प्रेषित नहीं किया तथा इस प्रकार उन्होंने शाखा डाकघर नियमावली के नियम 141 का उल्लंघन किया। इस आरोप की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त डाकघर की SB-28 स्लिप बुक संख्या [illegible] संख्या 46 दिनांक [illegible] K6606 (Exb S-12), कुल SB-28 स्लिप संख्या 46 दिनांक 23-6-86 (Exb S-1) हस्ताक्षर डाकघर का दैनिक लेखा (Exb S-7(ii)) शाखा दिनांक 23-6-86, दैनिक लेखा दिनांक 25-6-86 (Exb S 7(iii)) शाखा डाकघर जर्नल (Exb S-10) तथा शाखाडाकपाल हस्ताक्षर [illegible] दिनांक 25-6-86 को SB00K संख्या 1156048 के साथ [illegible] (Exb S-13) जिसमें SB-28 [illegible] 46 [illegible] है जाँच में प्रस्तुत की गई। इन अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 23-6-86 को

[illegible] Attested [illegible]

3/ A44

(पृष्ठ-7)

शाखाडाकपाल द्वारा खाता संख्या 1154991 की पासबुक प्राप्त की गई तथा उनके लिए SB-28 रसीद संख्या 46 जारी की गई परन्तु पासबुक लेखाकार्यालय को नहीं भेजी गई। शाखाडाकपाल ने दिनांक 25-6-86 को दैनिक लेखे दिनांक 25-6-86 पर अंकित करके पासबुक संख्या 1156048 रकम 201.70 लेखाकार्यालय को प्रेषित की परन्तु इसके SB-28 रसीद संख्या 46 [illegible] का प्राप्त दिखाया जिससे यह साबित होता है कि उन्होंने लेखा कार्यालय को SB-28 रसीद का गलत नंबर सूचित कर लेखाकार्यालय को भी अंधेरे में रखने का प्रयास किया। शाखाडाकपाल [illegible] के अनुसार दिनांक 25-6-86 को लेखाकार्यालय को निम्न पासबुकें भेजी गईं:-

1156048 / 201.70 = 1 — SB 28 No 46

SB004 WD 11.54602 / 1181/- = 1 — SB 28 No 47

[illegible] यही प्रविष्टियां दिनांक 25-6-86 के दैनिक लेखे पर भी हैं जबकि SB-28 रसीदबुक के अनुसार SBPR No 46, 47 तथा 48 निम्न पासबुकों के लिए जारी की गई हैं:-

46 - A/c No 1154991
47 - 1156048
48 - 1154602

उपरोक्त आरोप की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से खाता संख्या 1154991 के जमाकर्ता श्री धीरसिंह, उपडाकपाल [illegible] श्री [illegible] सिंह तथा प्राथमिक जाँचकर्ता श्री [illegible] राय को प्रस्तुत किया गया जिन्होंने आरोपकर्ता के इस बात की पुष्टि की कि जमाकर्ता श्री धीरसिंह द्वारा पासबुक दिनांक 23-6-86 को [illegible] पासबुक शाखाडाकपाल द्वारा ले ली गई परन्तु लेखाकार्यालय नहीं भेजा गया। इस प्रकार श्री विक्रमादित्य सिंह पर लगाया गया यह आरोप भी पूर्णतया सिद्ध होता है।

आरोप संख्या -3 इस आरोप में श्री विक्रमादित्य सिंह शाखाडाकपाल [illegible] पर यह आरोपित है कि उन्होंने माह मई 86 के किसी कार्यदिवस में खाता संख्या 1154998 की पासबुक तथा 1000/- उक्त खाते में जमा करने हेतु जमाकर्ता से प्राप्त किया परन्तु इस जमा की प्रविष्टि उन्होंने शाखाडाकघर बचत बैंक जर्नल में नहीं की तथा इस प्रकार उन्होंने शाखाडाकपाल नियमावली के नियम 131 का उल्लंघन किया। इस आरोप के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से तीन अभिलेख प्रस्तुत हुये प्रथम जमाकर्ता का बयान दिनांक 8-10-86 (Exb S-6) द्वितीय SB-28 रसीद संख्या 46 (Exb S-1) तथा तृतीय त्रुटि प्रतिवेदन में अंकित त्रुटि संख्या 16 (Exb S-14)। जाँच में भी जमाकर्ता ने अपने बयान (लिखित) दिनांक 5-3-88 में यही कहा है कि उसने मई 86 के किसी कार्यदिवस में 1000/- अपनी पासबुक में जमा किए थे। शाखाडाकपाल द्वारा दिनांक 23-6-86 को भेजी गई रसीद SB-28 की रसीद संख्या 46 के दर्शाये गये बकाये के अनुसार भी जमाकर्ता द्वारा 1000/- मई 86 में जमा किए जाने की पुष्टि होती है। जैसा कि आरोप -3 (अनुच्छेद 3) में उल्लिखित है कि दिनांक 23-6-86 को शाखा डाकपाल द्वारा जारी SB-28 रसीद संख्या 46 में दिखाये गये बकाये तथा प्रधान डाकघर के लेजर में दिखाये गये बकाये में 2500/- का अन्तर था क्योंकि शाखाडाकपाल द्वारा 2500/- दिनांक 23-6-86 को जमा किये जाने की त्रुटि

[signature]

संलग्न 16 (Exb S-14) शाखा डाकपाल द्वारा अंकित की गई इन्द्राज बातों से यह स्पष्ट होता है कि जमाकर्ताओं द्वारा मई 86 में 1000/- खाते में अवश्य दिए गए किए गए थे। श्री बिशननाथ सिंह द्वारा अपने बचाव आदि में यह कहा/लिखा गया है कि दिनांक 23-6-86 को SB-28 रसीद जारी करते समय गलती से बढ़ के रूप में 1000/- अधिक लिख गये परन्तु बताया 1000/- अधिक लिख दिये जाने के सम्बन्ध में शाखा डाकपाल के अनौपचारिक संलग्न 16 दि 23-6-86 में कुछ नहीं लिखा है और न इस बात की पुष्टि ही बचाव पक्ष जांच में सकारण इस प्रकार श्री बिशननाथ सिंह पर लगाया गया यह आरोप भी प्रमाणित सिद्ध पाया गया।

<u>आरोप संख्या -5-</u> श्री बिशननाथ सिंह शाखा डाकपाल हनुमाना पर चतुर्थ आरोप यह है कि उन्होंने मई 86 में जमा राशि 1000/- तथा 23-6-86 को जमा राशि 1500/- को सरकारी हिसाब में न लेकर अस्थायी दुर्विनियोजन किया और दुर्विनियोजित राशि 2500/- को दिनांक 8-10-86 को शाखा डाकपाल ने सेविंग बैंक में जमा किया और अपने लिखित बयान दिनांक 8-10-86 में स्वीकार किया। अर्थात राशि 1000/- तथा 1500/- के खाता संख्या 1154999 में मई 86 तथा 23-6-86 को जमा होनी थी वाले आरोप संख्या 1 तथा 3 में स्पष्ट की जा चुकी है। शाखा डाकपाल के अनौपचारिक संलग्न 16 दिनांक 23-6-86 (Exb S-14) में भी लिखा है कि खाता संख्या 1154999 में दिनांक 23-6-86 को 2500/- की रकम [illegible] जमा किया जो कि खाते के हिसाब में नहीं आया। शाखा डाकपाल ने 2500/- की यह रकम स्वयं से दिनांक 8-10-86 को सेविंग बैंक में जमा की थी तथा अपने बयान में भी लिखा था। यद्यपि शाखा डाकपाल ने 2500/- जमा करने के सम्बन्ध में अपने बचाव बयान तथा लिखित ब्यान में लिखा है कि उन्होंने यह रकम श्री हीरामणि लाल [illegible] के द्वारा प्रलोभन व मजबूर करने पर जमा किया था परन्तु जांच में बचाव पक्ष इस बात की पुष्टि नहीं कर सका जबकि अभियोजन पक्ष के साक्षी श्री हीरामणि लाल ने बताया कि उन्होंने श्री बिशननाथ सिंह को कोई भय आदि नहीं दिखाया और न कोई दबाव डाला तथा उन्होंने श्री [illegible] सिंह [illegible] तथा श्री बिशननाथ सिंह शाखा डाकपाल हनुमाना डाकघर जो कि श्री बिशननाथ सिंह का ही निवास स्थान है पर लिखा था। इस प्रकार जांच में शाखा डाकपाल द्वारा मजबूरन 2500/- जमा करना सिद्ध नहीं होता बल्कि यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने 2500/- का दुर्विनियोजन किया तथा इस बाबत सारा प्रमाण के अनुसार आरोप सही है।

<u>निष्कर्ष</u>

इस प्रकार, श्री बिशननाथ सिंह अ० वि० शाखा डाकपाल हनुमाना के ऊपर लगाये गये चारों आरोप पूर्णतया सिद्ध पाये गये तथा तदनुसार श्री बिशननाथ सिंह ने शाखा डाकपाल नियमावली के विभिन्न नियमों का उल्लंघन तथा अ० वि० सेवा (आचरण एवं सेवा) नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य एवं कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखने में असमर्थता भी पूर्णतया स्पष्ट होती है।

[signature]
(ज्ञानेन्द्र [illegible])
(जांच अधिकारी)

File attested
[signature]

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal
Addl Bench, Allahabad
Circuit Bench, Lucknow

O.A. No. ________ of 1990 (L)

Bishwa Nath Singh ....Applicant

Versus

Union of India & Others ... ... Respondents

ANNEXURE- A- 12

13
A46

भारत सरकार, संचार मंत्रालय
डाक विभाग

कार्यालय निदेशक डाक सेवा इलाहाबाद-211001

सं0 विज/एपीपी-ई-28/89/2
दिनांक: इलाहाबाद 27-8-89

अपीलीय आदेश

§1§ श्री विश्वनाथ सिंह भू0पू0 शाखा डाकपाल हथनासा §रायबरेली§ को अधीक्षक डाकघर रायबरेली के ज्ञापनांक एफ-4/2-86-87 दि0 9-5-89 द्वारा पारित सेवा से निकालने §डिसमिसल§ के दण्डादेश के विरुद्ध अपील दिनांक 30-5-89 का अवलोकन किया । अपीलकर्त्ता के विरुद्ध आरोप थे कि शाखा डाकपाल हथनासा के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 23-6-86 को बचत बैंक खाता संख्या 1154999 के जमाकर्त्ता से पास बुक व 1500/- रु0 जमा करने हेतु प्राप्त किया परन्तु उसे सरकारी लेखा में नहीं लिया, उक्त खाता की पास बुक जमाकर्त्ता से रसीद देकर प्राप्त की परन्तु ब्याज लगने के लिए लेखा कार्यालय को नहीं प्रेषित की, मई 86 में उक्त खाता में 1000/- रु0 की जमा रकम को बचत बैंक जनरल में न लेकर 2500/- रु0 का दुर्विनियोजन किया, क्योंकि जमाकर्त्ता को दी गई रसीद पर 6265•50 रु0 बकाया दिखाया जब कि लेखा कार्यालय व प्रधान डाकघर के लेजर के अनुसार इस खाते में 3765•50 रु0 ही दर्ज पाए गए । उक्त आरोपों की विधिवत जाँच पूर्ण होने पर अपीलित दण्डादेश जारी किया गया ।

§2§ अपीलकर्त्ता ने अपील में निम्नवत मुद्दे/तर्क विचारार्थ उठाए/ि...

क- यह कि आरोप पत्र निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं दिया गया अत: यह Void है ।

ख- यह कि 23-6-86 के 1500/- रु0 जमा करने के बाद बकाया 5265/50 रु0 के बजाय 6265•50 रु0 हो गया था तथा एस0बी0-28 रसीद को उसी गलत बकाया के साथ खातेदार द्वारा ब्याज के लिए पैसा मना करने पर उसी दिन पास बुक तथा रुपया दोनों वापिस कर दिए थे परन्तु रसीद लेना भूल गया । शिकायत निरीक्षक के धमकी तथा दबाव पर 8-10-86 को पैसा अवर्गीकृत खाते में जमा किया । बचाव साक्ष्य श्री राम सुन्दर सिंह ने अपने बयान में पास बुक व पैसा जमाकर्त्ता को वापिस करने की बात प्रमाणित की है ।

ग- यह कि जमापर्ची का अधपन्ना जमाकर्त्ता के पास से नहीं मिला जिससे उक्त धनराशि उसके द्वारा जमा करने की बात बेबुनियाद व मनगढ़ंत है जो कि अपीलकर्त्ता की छवि धूमिल करने के लिए है ।

घ- यह कि उसे अपने बचाव का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया क्योंकि जाँच अधिकारी को बदलने की उसकी प्रार्थना पर सुनवाई नहीं हुई तथा जाँच अधिकारी ने नियमों के विपरीत जाँच प्रक्रिया अपनाई । जाँच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सीधे अनुशासनिक अधिकारी के पास भेज दी जबकि उसकी प्रति उसे प्राप्त होनी चाहिए थी जिसका वह जवाब पेश करता अत: जाँच अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय की भावना के विरुद्ध कार्य किया ।

Attested
Bishwa Nath Singh
26.10.89

CAT

-2-

34
A47

ङ• यह कि मामले के संबंध में पुलिस में एफ०आई०आर० नहीं दर्ज कराई गई।

च- यह कि आदेश अनुशासनिक अधिकारी की अपनी हस्तलिपि में न होने के कारण Void करार दिया जाना चाहिए। निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

3- मामले से संबंधित सभी अभिलेखों/दस्तावेजों व परिस्थितियों का भली भाँति विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। यह तथ्य है कि अपीलकर्ता ने जाँच अधिकारी को बदलने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु जाँच अधिकारी को बदलने का औचित्य नहीं पाया गया। अतः यह कहना कि अपीलकर्ता के साथ इस संबंध में अन्याय हुआ है कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता का कहना कि जमाकर्ता को पैसा व पास बुक वापिस कर दी थी तथा गलत बकाया वाली रसीद वापिस लेना भूल गया अभिलेखों के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में बचाव साक्ष्य का बयान विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि अभिलेख/दस्तावेज उसके बयान की पुष्टि नहीं करते। यह तर्क कि पैसा शिकायत निरीक्षक के दबाव में आकर अवर्गीकृत खाता में जमा किया गया विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इस संबंध में अपीलकर्ता ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। जमाकर्ता द्वारा जमापर्ची का अधमन्ना प्रस्तुत न करने से अभिलेखों की सत्यता को नहीं झुठलाया जा सकता। सारी जाँच प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण की गई इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलकर्ता को अपने बचाव का उचित अवसर प्रदान किया गया। जाँच अधिकारी की आख्या अनुशासनिक अधिकारी को ही भेजी जाती है। नियम में ऐसा प्राविधान नहीं है कि इसकी प्रति पहले दोषारोपित अधिकारी को अपना जवाब देने के लिए दी जाए। सभी संबंधित अभिलेख/दस्तावेज व मामले की परिस्थितियाँ आरोपों को प्रमाणित करती है। दण्डादेश में कोई त्रुटि नहीं है जैसा कि अपीलकर्ता ने कहा है। चार्ज शीट देर से जारी करने से Void नहीं मानी जा सकती।

(4) उपरोक्त चर्चा अनुसार व संबंधित सभी अभिलेखों/दस्तावेजों व मामले की परिस्थितियों के अनुसार आरोप अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रमाणित होते हैं। अपीलकर्ता ने कोई ऐसा ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे आरोपों का खण्डन हो सके। अतः अपील में कोई दम न होने से अस्वीकार की जाती है।

(signature)
(पी०आर० कुमार)
निदेशक डाक सेवा
इलाहाबाद

True Attested
(signature)

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal
Addl Bench, Allahabad
Circuit Bench, Lucknow

O.A. No. 52 of 1990 (L)

Bishwa Nath Singh ....Applicant

Versus

Union of India & Others ... ... Respondents

ANNEXURE- A-1

Karyalay Dak Adhikshak
Raebareli Prakhand Raebareli-229001

Memo No H. 120-PW Dated at RBL the 23.7.79

Sri Vishwa Nath S/O Shri Lok Nath Singh

R/O village Hathnasa PO Hathnasa

Distt. Raebareli is hereby provisionally appointed as EDBPM Hathnasa .... subject to his personal income and character and antecedent are found with satisfactory result. He shall be paid such allowances as admissible from time to time.

Shri Vishwa Nath should clearly understand that his employement as EDBPM Hathnasa shall be in the nature of a contract liable to be terminated by him or the undersigned by notifying the other, in writing, and that he shall also be governed by the posts and telegraphs extra Departmental (Conduct and service) rules, 1964, as amended from time to time. Shri Vishwa Nath.... will locate the post office in main village. If these conditions are acceptable to him he should communicate his acceptance in the proforma attached.

DAK ADHIKSHAK
RAEBARELI PRAKHAND- 229001

Copy to:-

1. The Postmaster Raebareli for information and n/a.
2. The IPOs West Raebareli. he will obtain and submit descriptive particulars of the EDBPM to this office immediately. He should also have a security of Rs. 500/- furnished to the EDBPM. HC may be obtained before handing over charge
3. Shri Vishwa Nath....S/O Sri Lok Nath Singh R/O vill. and P.O. Hathnasa (Sareni) and Distt. Raebareli. He will send the acknowledgement and declaration form duly signed to this office immediately in the proforma attached.

Sd
DAK ADHIKSHAK
Raebareli Prakhand-229001

DPS/
1.12.76

T/C attested
[signature]

2

A80

इन दि आनरेबुल सेन्ट्रल एडमिनिसेटिटव ट्रिबुनल,
एडी0 बेन्च, इलाहाबाद
सर्किट बेन्च, लखनऊ ।

ओ0 ए0 नं0 आफ 1990 (एल)

विश्वनाथ सिंह ---------- अप्लीकेण्ट

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स ---------- ~~अफ~~ रेस्पान्डेन्टस

एनेक्जर-ए-3

सेवा में,

श्रीमान डाक अधीक्षक महोदय,
रायबरेली ।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी शाखा डाकपाल हथनामा एस·ओ· सरैनी में कार्यरत था प्रार्थी दिनांक 27·10·86 को पुट आफ कर दिया गया है। प्रार्थी को ~~न~~ अभी तक चार्ज सीट नही दी गई और न कोई कारण ही बताया गया कि प्रार्थी को किसलिए पुट आफ किया जा रहा है। आज तक प्रार्थी के खिलाफ कोई जॉच की गई और न कोई जुर्म साबित किया गया अकारण ही प्रार्थी को कार्य पृथक कर दिया गया आज से करीब एक साल पहले कार्य पृथक कर दिया गया था परन्तु आज तक कोई सूचना विभाग की तरफ से दी गई ।

अतः श्रीमान जी निवेदन है कि औचित्य कार्यवाही करके प्रार्थी को पुनः काम पर लगाया जावे ।

महान दया होगी ।

प्रार्थी

1·11·1987

विश्वनाथ सिंह कार्यपृथक
शाखा डाकपाल हथनासा
रायबरेली ।

सत्य-प्रतिलिपि

True Attested

[signature]

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal
Addl Bench, Allahabad
Circuit Bench, Lucknow

3

A9

O.A. No. ________ of 1990 (L)

Bishwa Nath Singh ....Applicant

Versus

Union of India & Others ... ... Respondents

ANNEXURE- A-4

"भारतीय डाक विभाग"

कार्यालय : अधीक्षक डाकघर,
रायबरेली मण्डल-229001.

[illegible] संख्या- एफ-4/2/86-87 स्थान रायबरेली दिनांक....11-11-87.....

श्री विश्वनाथ सिंह अति० वि० शाखा डाकपाल (कार्य छवक) [illegible] [illegible]रेली को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी अ०वि० आचार एवं [illegible] नियम 1964 के नियम 8 एवं 8ए के अन्तर्गत जाँच कराने की प्रस्थापना करते हैं। [illegible] आरोपों का सारांश परिशिष्ट नं0 1 में दर्शाया गया है जो कि संलग्न है। कदाचार/ [illegible] के आरोपों का विवरण जिनपर सारांश आधारित है परिशिष्ट-2 में दिखाया [illegible] तथा अभिलेखों की सूची परिशिष्ट नं0 3 तथा साक्षियों की सूची परिशिष्ट नं0 [illegible] [illegible] गई है, संलग्न है जिनके आधार पर परिशिष्ट नं0 1 पर दर्शाये गये आरोपों [illegible] प्रमाणित होना अपेक्षित है।

श्री विश्वनाथ सिंह [illegible] को निर्देश दिया जाता है कि उन्हें इस ज्ञापन की प्रति के 10 दिन के भीतर [illegible] बचाव प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए और यह भी बताना चाहिए क्या वह [illegible] जाँच के इच्छुक हैं।

श्री विश्वनाथ सिंह रायबरेली को यह सूचित किया जाता है कि वह अनुच्छेद 2 में बताई गई अवधि में [illegible] बचाव प्रतिवेदन देने में असमर्थ रहेंगे अथवा जाँच अधिकारी के समक्ष जाँच के समय [illegible] जाँच अधिकारी के आदेशों का पालन जैसा कि उक्त प्रतिच्छेद नं0 1 में चर्चित [illegible] का प्रावधान है, करने में असफल पाये गये या अस्वीकार किया तो उक्त नियम के प्राविधानों में श्री...विश्वनाथ सिंह.............................. [illegible] विरुद्ध एक पक्षीय जाँच की जा सकती है।

श्री विश्वनाथ सिंह [illegible]रेली को यह भी ध्यान रखना है कि यदि इस मामले में किसी प्रकार का राजनैतिक अथवा बाहरी दबाव डाला जायेगा तो यह समझा जायेगा कि श्री...... ...विश्वनाथ सिंह..............................रायबरेली को यह जानकारी है और यदि जाँच से सम्बन्धित मुद्दों पर किसी ओर से कोई [illegible] प्रतिवेदन या संस्तुति आई तो समझा जायेगा कि श्री..विश्वनाथ..सिंह ....को इस बात का ज्ञान है और इसके लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इस ज्ञापन की प्राप्ति श्री विश्वनाथ सिंह ------------------------------रायबरेली द्वारा अभिस्वीकृत की जानी चाहिए।

[signature]
अधीक्षक डाकघर,
रायबरेली मण्डल-229001.

True Attested
[signature]

प्रतिलिपि :-
1- श्री वि[illegible]नाथ सिंह अति० वि० शाखा डाकपाल (कार्य छवक) [illegible] राय०
2- स्थापना [illegible] प मण्डलीय कार्यालय रायबरेली।

4

ASV

अनुबन्ध-।

श्री विश्वनाथ सिंह, अति० वि० शाखा डाकपाल (कार्य पृथक) हथनासा, ~~असम~~ रायबरेली के विरुद्ध विरचित आरोपों के अनुच्छेदों का विवरण :-

अनुच्छेद- 1

यह कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अति0 वि0 शाखा डाकपाल हथनासा रायबरेली के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 23.06.86 को बचत बैंक खाता संख्या 1154999 के जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह से पासबुक और उसमें जमा करने हेतु रू0 1500/- प्राप्त किया, परन्तु जमा प्रविष्ट को बचत बैंक जमा जरनल, शाखा डाकघर दैनिक लेखा एवं शाखा डाकघर लेखा में न लेकर, शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131, 174 एवं 175 का उल्लंघन किया और अति0वि0 एजेन्ट (आचरण एवं सेवा) नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाये रखने में असफल रहे ।

अनुच्छेद- 2

यह कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह उक्त तिथि, डाकघर में शाखा डाकपाल के पद पर कार्य करते हुए उक्त जमाकर्ता से पासबुक प्राप्त करने की रसीद एस.बी-28 संख्या ए एच 196606/46 दिनांक 23.6.86 रू0 6265.50, जमाकर्ता श्री को दिया परन्तु पासबुक ब्याज लगाने हेतु लेखा कार्यालय को प्रेषित नहीं किया । इस प्रकार कथित श्री विश्वनाथ सिंह ने शाखा डाकघर नियमावली के नियम 141 का उल्लंघन किया और अति0वि0 एजेन्ट (आचरण एवं सेवा) नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे ।

अनुच्छेद- 3

यह कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अति0 वि0 शाखा डाकपाल हथनासा रायबरेली के पद पर कार्य करते हुए दि0 23.6.86 को एस0बी0-28 रसीद संख्या 196606/46 दिनांक 23.6.86 में विर्णित रकम 6265.50 एवं प्रधान डाकघर लालगंज के लेजर कार्ड के बकाये के अनुसार रू0 2500/- की कमी पायी गयी । जमाकर्ता के अनुसार उसने रू0 1000/-मई 86 के किसी कार्य दिवस में शाखा डाकघर हथनासा में जमा किया था, परन्तु बी0ओ0 बचत बैंक जरनल के अनुसार इस खाते में मई 86 में किसी भी दिन रू0 1000/- ~~मई~~ जमा नहीं दिखाया गया ।

लेखा कार्यालय सरेनी और प्रधान डाकघर लालगंज के लेजर के अनुसार इस खाते में रू0 3765.50 ही दर्ज पाये गये । इस प्रकार कथित श्री विश्वनाथ सिंह ने मई में जमा रकम 1000/- को शाखा डाकघर बचत बैंक जरनल में न लेकर शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131 का उल्लंघन किया तथा 2500/-रू0 का दुर्विनियोग कर अति0वि0 एजेण्ट (आचरण एवं सेवा) नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्त्तव्य निष्ठा बनाये रखने में असफल रहे ।

क्रमशः:---2--

3765
1500
5265

True Attested

Advocate

5
A53

अनुच्छेद-4

कथित श्री विश्वनाथ सिंह ने मई 86 में जमा रकम 1000/-, 23.6.86 में तथा 1500/- कुल 2500/-को सरकारी हिसाब में न लेकर उसका दुर्विनियोग किया और दुर्विनियोजित रकम रू0 2500/- को दिनांक 8.10.86 को शाखा डाकघर दैनिक लेखा में अवर्गीकृत मद में जमा किया और अपने लिखित बयान दिनांक 8.10.86 में स्वीकार किया। इस प्रकार उक्त जमा रकम 1000/-, तथा 1500/- को सरकारी हिसाब में न लेकर शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131§3§ का उल्लंघन किया और रू0 2500/- का दुर्विनियोग कर अपना आचरण, अति0वि0 एजेण्ट §आचरण एवं सेवा§ नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाये रखने में असफल रहे।

वरि० पधीक्षक डाकघर
रायबरेली मण्डल-229001

अनुबन्ध- 2

श्री विश्वनाथ सिंह अति0 वि0 शाखा डाकपाल §कार्य पृथक§ हथनासा हथनासा रायबरेली के विरूद्ध विरचित आरोपों के समर्थन में अवचार अथवा कदाचार के आरोपों का विवरण :-

अनुच्छेद- 1

उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अति0 वि0 शाखा डाकपाल हथनासा रायबरेली के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 23.6.86 को बचत बैंक खाता संख्या 1154999 के जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह ग्राम गौतमन खेड़ा, जिला रायबरेली से उक्त खाते में जमा करने हेतु पासबुक और रू0 1500/- §एक हजार पांच सौ§ रूपये उक्त वीरपाल सिंह से प्राप्त किया। जमा की प्रविष्टि पासबुक में कर दिया और ब्याज के लिए पासबुक रोककर, पासबुक की रसीद एस0बी0-28 संख्या ए0एच0 196606/46 दिनांक 23.6.86 वास्ते रू0 6265.50 दे दिया। इस जमा रकम रू0 1500/- को उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने न तो बचत बैंक जरनल में दर्ज किया और न ही शाखा डाकघर लेखा, और शाखा डाकघर दैनिक लेखा में दर्ज किया। इस प्रकार उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने रू0 1500/- का कथित दुर्विनियोग किया। अत: आरोपित किया जाता है कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131, 174 एवं 175 का उल्लंघन किया और अति0 वि0 एजेन्ट §आचरण एवं सेवा§ नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे।

अनुच्छेद- 2

उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अति0 वि0 शाखा डाकपाल हथनासा के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 23.6.86 को बचत बैंक खाता संख्या 1154999 के जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह से ब्याज के लिए पासबुक प्राप्त किया और जमाकर्ता को पासबुक प्राप्त करने की रशीद, एस0बी0-28 संख्या ए0 एच0 176606/46 §दिनांक 23.6.86 रू0 6265.50 जमाकर्ता को दिया परन्तु पासबुक ब्याज लगाने हेतु लेखा कार्यालय को प्रेषित नहीं किया।

§क्रमश:----3 पर§

True Attested

6

ASW

इस प्रकार यह आरोपित किया जाता है कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने शाखा डाकघर नियमावली के नियम 14 का उल्लंघन किया और अति० वि० एजेन्ट §आचरण एवं सेवा§ नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे ।

अनुच्छेद- 3

उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अति०वि० शाखा डाकपाल हथनासा के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 23.6.86 को जारी की गयी एस०बी०-28 रसीद संख्या ए०एच० 196606/46 वास्ते रूपये 6265.50 एवं प्रधान डाकघर लालगंज के लेजर कार्ड के बकाये रू० 3765.50 के अनुसार बचत बैंक खाता संख्या 1154999 जिसकी पासबुक हेतु उक्त रसीद जारी की गयी थी में रू० 2500/- का अन्तर पाया गया । उक्त खाते के जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह के अनुसारउसने रू० 1000/- मई 86 में किसी कार्य दिवस में उक्त पास बुक में जमा करने के लिए उक्त श्री विश्वनाथ सिंह को दिया था परन्तु मई 86 मास के किसी भी कार्य दिवस में शाखा डाकघर बचत बैंक जरनल में अथवा शाखा डाकघरलेखा में जमा दर्ज दिया गया इस प्रकार यह आरोपित किया जाता है कि मई 86 मास में जमा रकम 1000/- रू० को शाखा डाकघर जमा जरनल में दर्ज न करके शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131 का उल्लंघन किया तथा एस०बी० 28 एवं लेजर के बकाए के अनुसार रू० 2500/- का दुर्विनियोग किया । इस प्रकार उन्होंने अति०वि० एजेन्ट§आचरण एवं सेवा§ नियम 1964 के नियम 17 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे ।

अनुच्छेद-4

उक्त श्री विश्वनाथ सिंह अति० वि० शाखा डाकपाल हथनासा के पद पर कार्य करते हुए मई 86 एवं दिनांक 23.6.86 को क्रमशः रू० 1000/- तथा 2500/- को सरकारी हिसाब में न लेकर उसका कथित दुर्विनियोग किया और और दुर्विनियोगित रकम रू० 2500/- को दिनांक 8.10.86 को शाखा डाकघर दैनिक लेखा में अवर्गीकृत मद में जमा कर और अपने लिखित बयान दि० 8.10.86 दुर्विनियोग की पुष्टि किया । इस प्रकार यह आरोपित किया जाता है कि उक्त जमा रकम 1000/- तथा 2500/- को सरकारी हिसाब में न लेकर शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131§3§ का उल्लंघन किया और अति० वि० एजेन्ट §आचरण एवं सेवा नियम 1964 के अनुसार सत्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे ।

[signature]
अधीक्षक डाकघर
रायबरेली मण्डल-229001

अनुबन्ध- 3

श्री विश्वनाथ सिंह अति० वि० शाखा डाकपाल §कार्य पृथक§ हथनासा रायबरेली के विरूद्ध विरचित अवचार/कदाचार के आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभिलेखों की सूची :-

§1§ एस०बी०-28 रसीद बुक संख्या ए०एच० 196606/46 दि० 23.6.86.

§2§ शाखा डाकघर बचत बैंक जरनल मई 86 एवं दिनांक 23.6.86.

§क्रमशः----4 पर §

True Attested
[signature]

7
A56

§3§ शाखा डाकघर लेखा मई 86 एवं 23.6.86.

§4§ लेखा कार्यालय सरेनी ब0ओ0ओ0समरी दिनांक 15.4.86 से 21.7.86 तक।

§5§ लिखित बयान श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाकपाल हथनासा दिनांक 14.10.86.

§6§ लिखित बयान श्री वीरपाल सिंह दिनांक 8.10.86.

§7§ शाखा डाकघर दैनिक लेखा दिनांक 23.6.86, 25.6.86, एवं 8.10.86§3§

§8§ लेजर कापी सरेनी खाता संख्या 1154999.

§9§ प्रधान डाकघर लालगंज लेजर कार्ड संख्या 1154999.

§10§ शाखा डाकघर लेखा अगस्त 85 से 8.10.86

अधीक्षक डाकघर
रायबरेली मण्डल-229001

अनुबन्ध- 4
=========

श्री विश्वनाथ सिंह अति0 वि0 शाखा डाकपाल §कार्य पृथक§ हथनासा, रायबरेली के विरुद्ध विचित दुराचार/कदाचार के आरोपों को सिद्ध करने के लिए साक्षियों की सूची :-

§1§ श्री शिव मन्दिर राय तत्कालीन कार्य वाहक परिवाद निरीक्षक, रायबरेली सम्प्रति बचत विकास अधिकारी इटावा ।

§2§ श्री वीर पाल सिंह ग्राम गौतमन खेड़ा पोस्ट हथनासा, रायबरेली ।

§3§ श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाकपाल §कार्य पृथक§ हथनासा, रायबरेली ।

अधीक्षक डाकघर,
रायबरेली मण्डल-229001.

Attested

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal
Addl Bench, Allahabad
Circuit Bench, Lucknow

O.A. No. ________ of 1990 (L)

Bishwa Nath Singh ....Applicant

Versus

Union of India & Others ... ... Respondents

ANNEXURE- A-5

RL No 259
16.12.87

...-7/Corr.-7

भारतीय डाक-तार विभाग/INDIAN P. & T. DEPARTMENT

कार्यालय/Office of the

डाक प्रधीक्षक
रायबरेली २२९००१

श्री विश्वनाथ सिंह
शाखा डाकपाल (कार्यवाहक)
हथगांव - रायबरेली

पत्रांक- बी/आर०एन०सिंह रायबरेली दि० 16 12/87

विषय:- बचत सहायक की नियुक्ति

— x —

सन्दर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दि० शून्य

— x —

आपके अपने उक्त प्रार्थना पत्र के द्वारा श्री रामेश्वर नारायण सिंह का नाम को अपने निजी उत्तरदायित्व पर अपना बचत अभिकर्ता नियुक्त करने का निवेदन किया है जिसके सन्दर्भ में सूचित करना है कि उक्त अधिकारी को इस कार्य को करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है।

(signature)
डाक प्रधीक्षक
रायबरेली २२९००१

प्रतिलिपि श्री रामेश्वर नारायण सिंह को उनके पत्रांक शून्य दि० 16.12.87 के सन्दर्भ में सूचनार्थ कि बचत सहायक का कार्य करने की अनुमति नहीं है।

MGIPAh.—74 P. & T./83—23-7-83—20,00,000 Pads.

(signature)
डाक प्रधीक्षक
रायबरेली २२...

True Attested
(signature)

In the Hon'blo Contral Administrative Tribunal
Addl Bench, Allahabad
Circuit Bench, Lucknow

9
A57

O.A. No. ________ of 1990 (L)

Bishwa Nath Singh ....Applicant

Versus

Union of India & Others ... ... Respondents

ANNEXURE- A-6

श्रीमान डाक अधीक्षक रायबरेली प्राप्त अधिकारी
RL No 2903
22-3-88
डाक अधीक्षक महोदय
RL No 2904
22-3-88

विषय:- आपका ज्ञापन संख्या एफ-4/2/86-87 दिनांक 11-11-87

आपके उपरोक्त पत्र संख्या के सम्बन्ध में निम्न आवेदन करना है :----

RL No 2903
2904
22.3.88

दिनांक 14-3-87 को मेरे केस की जांच लालगंज डाकघर में रखा था जिसमें मैं हाजिर हुआ एक दिन पहले मैंने अपने सहायक श्री हबीब अहमद जो उप डाकपाल तिलोई के पास केस की पैरवी के सम्बन्ध में तिलोई में मिला था। तभी उन्होंने कहा कि, चूंकि इस कार्यालय के एक डाक सहायक के लड़के की शादी है वह छुट्टी पर है तथा केवल दो ही बाबू ड्यूटी पर है तथा एस०एस०पी० आफिस तहसील हेडक्वार्टर पर होने के कारण तथा सोमवार के दिन होने के कारण आफिस का कार्य केवल दो बाबुओं से नहीं हो सकता। तथा किसी आर०सी० की व्यवस्था भी नहीं की गयी है। इस कारण इस पेशी में न आ पाऊंगा मैंने जाकर लालगंज डाकघर में श्री दीक्षित जांच अधिकारी से यह बात कही तथा लिखकर दी थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना तथा अपनी मनमानी ढंग से जांच की कार्यवाही सभी सरकारी नियमों को तोड़ते हुये की तथा जो बयान चाहा लिखवाये मेरे इतराज करने पर मुझे जेल भिजवाने की आलोकतान्त्रिक भाषाओं का प्रयोग भी किया इस सम्बन्ध में मैंने दिनांक 15-3-88 को एक टेलीग्राम रजिस्टरी भी आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था। जिसका नम्बर रजिस्टर्ड 682 दिनांक 15-3-88 लालगंज आफिस से किया।

इस सम्बन्ध में मैंने आपसे नियमों का उल्लंघन करते हुये यह भी आश्वासन चाहेंगे कि बिना समुचित अवसर दिये किसी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने अवसर दिया है सभी को ताक पर रखते हुये अलोकतान्त्रिक तौर पर जांच की कार्यवाही करने तथा मनमाने ढंग से अभियोजन साक्षियों का बयान लेना तथा अतिरिक्त अभियोजन साक्षियों का बयान करवाना बिना किसी पूर्व सूचना के तथा अतिरिक्त अभियोजन अभिलेखों को प्रस्तुत करना बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना उसकी अवहेलना (इनवेस्टीगेशन) (तथा) तथा उसकी बिना प्रति दिये हुये पूर्व आयोजित ढंग से श्री सुन्दर सिंह उपडाकपाल निहस्था को शायद टेलीफोन आदेशों से बुलाकर बयान करवाना जो कि अभियोजन साक्ष्य की लिस्ट में नहीं थे तथा यदि 14-3-88 को रजिस्ट्री की जाती तो भी 15-3-88 को सुबह न छूट पाती तथा बिना कन्ट्रोलिंग अथारिटी के आदेशों के उनको लालगंज डाकघर बुलाकर सभी विभागीय नियमों की अवहेलना करते हुये एक गरीब की हत्या तथा जेल भिजवाने की धमकियों का गड़गड़ाहट के साथ डाइरेक्ट जांच कार्यवाही करना उनके दुरे इरादों (Prejudicious) लोगों का पूरा-पूरा प्रमाण स्वयं में निहस्था का परिलक्षित होता है।

विश्वनाथ सिंह
19.3.88

True Attested
[signature]

10

A58

इसी सम्बन्ध में मैं एक बार आपसे पुनः जानना चाहूंगा कि मुझे दिनांक 14-10-86 को आपके पत्र संख्या एफ0 4/2-86-87 को ड्यूटी से पुटआफ किया गया तथा 13 माह बाद दिनांक 11-1-87 को मेमो आफ चार्जेज दिये गये हैं। जब कि भारत सरकार के यहां अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की अति शीघ्र अधिक से अधिक चार माह में जांच समाप्त कर देनी चाहिये। डी0जी0 पोस्ट एन0डी0 लेटर नं0 151/3/8 पीज 2 दिनांक 25 अगस्त 1981। जहां तक विभाग के कानूनों को ताक पर रखते मुझे श्रीक गरीब को 13 माह पुटआफ ड्यूटी रखने के बाद मेमो आफ चार्जेज दिये, क्या वहीं पर मुझे अगली तिथि अपने बचाव सहायक को प्रस्तुत करने का मौका देना विभागीय नियमों का घोर उल्लंघन होता है इसी सम्बन्ध में मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि चूंकि बचाव सहायक भी आपके विभाग का विभागीय कर्मचारी होता है जिसे समय से जांच में पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों पर ही है। क्योंकि मैं तो पुटआफ ड्यूटी अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हूं तथा आप लोगों की दया दृष्टि पर ही जीवित हूं। आप उनसे कारण पूछ सकते थे तथा सन्तुष्ट होने पर जांच की कार्यवाही आगे की तिथियों में बढ़ायी जा सकती है। जहां केवल मेमो देने में 13 माह बीत सकते हैं क्या वहीं पर श्रीक गरीब को एक दो सप्ताह का अवसर नहीं मिल सकता था तथा मैंने लिखित रूप से जांच अधिकारी से निवेदन किया था यह तो मैं आरोपित कर्मचारी शायद के लिये निवेदन कर सकते हैं न कि आप लोग जो कि सक्षम हैं तथा डेढ़ वर्ष तक केश को लटकाये रहे और अब बिना विदआउट गीविंग फुल अपारच्युन्टी टू दि डिफेन्स दि केश पूर्ण समय अपने बचाव के लिये प्रस्तुत करने के अपने सरकारी गवाहों को पूरा तथा अलिखेड़ तथा मेरे बचाव के गवाहों को जिन्हें जांच अधिकारी स्वयं मन्जूर कर चुके थे को ड्राफ्ट करना विभागीय नियमों की हत्या करने के समान तथा श्रीक गरीब को जान के [illegible] की बेदी पर चढ़ाना कितना हास्यास्पद तथा भर्त्सना के लायक है। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं आपसे डिस्पेलनरी अथारिटी अनुरोध प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रकार कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले जांच अधिकारी को बदल कर तथा [illegible] से गवाहों को पुनः प्रतिनिरीक्षण करने तथा बचाव गवाहों को प्रस्तुत करने का मौका देंगे तथा जांच अधिकारी जो प्रिज्यूडिशियल हो चुका है उनको भी मुहरबानी करेंगे जिससे कि श्रीक गरीब को न्याय मिल सके। मैं आपसे न्याय और इन्साफ की भीख चाहता हूं।

मुझे आशा है कि आप गहराई से उपरोक्त तथ्यों पर विचार करके मुझे अपना पक्ष साबित करने तथा सही तथ्यों को पेश करने का अवसर प्रदान करेंगे तथा जांच अधिकारी के प्रेजुडिशियल अथारिटी को [illegible] भी करेंगे। अपना लिखित बयान शीघ्र भेज रहा हूं जैसा कि जांच अधिकारी ने रजिस्ट्री द्वारा मांगा है। पूर्ण आशा के साथ।

आपका विश्वनाथ सिंह

विश्वनाथ सिंह
शाखा डाकपाल कोर्ट [illegible]
हथिगवां, सरेनी, रायबरेली।

19-3-88

प्रतिलिपि श्री पी0पी0 दीक्षित [illegible]
दक्षिणी जांच अधिकारी रायबरेली।
[illegible] को आवश्यक सूचनार्थ प्रेषित।

Attested
[illegible]

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal
Addl Bench, Allahabad
Circuit Bench, Lucknow

O.A. No. ________ of 1990 (L)

Bishwa Nath Singh ....Applicant

Versus

Union of India & Others ... ... Respondents

ANNEXURE- A-7

भारतीय डाक विभाग
अधीक्षक डाकघर
राय... [illegible] 229001

श्री विश्वनाथ सिंह
अति० वि० शाखाडाकपाल
(कार्य पृथक) हथनासा
रायबरेली

पत्रांक - एफ-4/2/85 86 दिनांक 21/12/88

विषय - अनुशासनात्मक कार्यवाही

— x —

निदेशक इलाहाबाद ने आपके मामले पर गम्भीरता से विचार किया और जांच अधिकारी के बदलने का औचित्य नहीं पाया गया।

अधीक्षक डाकघर
रायबरेली मण्डल-229001

प्रतिलिपि - श्री भगवती प्रसाद दीक्षित जांच अधिकारी उपमण्डलीय निरीक्षक (पश्चिमी) रायबरेली को जांच पत्रावली जो कि 44 क्रमांक तक है एवं बयानों की 7 प्रति वापस की जा रही है। कृपया लगातार तारीख निश्चित कर जांच रिपोर्ट इस कार्यालय में [illegible]

प्रमाणक
उपाधीक्षक
कृते अधीक्षक डाकघर [illegible]

[illegible signatures]

12

A60

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal
Addl Bench, Allahabad
Circuit Bench, Lucknow

O.A. No. ________ of 1990 (L)

Bishwa Nath Singh ....Applicant

Versus

Union of India & Others ... ... Respondents

ANNEXURE- A-8

बयान श्री विश्वनाथ सिंह कार्य पृथक शाखा डाक पाल हथनासा ।

मैं दिनांक 15 जुलाई 1976 से लगातार शाखा डाक पाल के पद पर कार्य कर रहा हूं आरोपित 23.6.86 को जमाकर्ता श्री बीर पाल सिंह बचत बैंक खाता संख्या 1154999 पासबुक पैसा लेकर मेरे डाकघर आये जमा पर्ची भरी तथा 1500 रु० एक हजार पांच सौ रु० दिये मैंने किताब में जमाकर दिया तथा रसीद SB28 जिसमें 1500/ जमा के बाद होना चाहिए था काट दी लेकिन गलती से टोटल किताब में 6265.50 लिख दिया था तथा रसीद भी उसी से काटकर दे दी लेकिन जमाकर्ता ने कहा कि अभी ब्याज हेतु पासबुक नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि अभी इसी माह में पुनः लेन देन करना है इसी बाद विवाद में मैंने पैसा वापस कर दिया व की इन्ट्री भी काट दी चूंकि बातचीत कुछ गरमा गर्मी में हुई इसलिए मैं SB.28 जो रसीद जमाकर्ता को 1500) जमा करने के बाद दी थी जिसमें गलती से टोटल एक हजार रु० का अंतर था वापस लेने को भूल गया। जांच अधिकारी श्री राय जब दिनांक 8.10.86 को जांच के संबंध में आये तब भी मैंने उनके सामने भी यही सही बात बताई थी लेकिन जब उन्होंने धमकी दी कि पुलिस के हवाले कर दिया जायेगा तब मैं घबड़ा कर दिनांक 8.10.86 को मैंने 2500) अवर्गीकृत खाते में जमा कर दिया। मेरा बयान दि० 8.10.86 को न लेकर जांच अधिकारी महोदय ने 14.10.86 को रुपया जमा कराने के बाद लिया तथा कहा कि जब तक रु० नहीं जमा करते हो बयान नहीं लूंगा तथा जेल में जवा दूंगा इसी कारण अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं 8.10.86 को 2500) अवर्गीकृत खाते में पैसा जमा कर दिया था। मैंने कोई एरर इस संबंध में नोट नहीं की थी न इस प्रकार की एरर नोट करने का प्रश्न ही होता है क्योंकि मैंने पैसा उसी समय पासबुक ब्याज के लिए मना करने पर मैंने पैसा - किताब जमा की इन्ट्री काट कर वापस कर दी थी लेकिन बातचीत गरमा गरमी में होने के कारण SB.28 की रसीद वापस लेने को भूल गया यदि पैसा जमा हुआ होता तथा हिसाब में लेने को भूल जाता तो निश्चित ही रुपया बच जाता जिसे मैं अवर्गीकृत खाते में डाल देता क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मेल ओवरसियर ने मुझे बताया था।

True Attested [signature]

13
A61

तथा मोआयना के समय डाक निरीक्षक ने भी मुझे बताया था।

मैंने अपने बयान दिनांक 14.10.86 में साफ-साफ लिखा था केवल 1500) एक हजार पांच सौ रुपया सो दि० 23.6.86 को जमा करने के लिए आया था जिसकी प्रवृष्टि करने के बाद टोटल मिस्टेक मैंने 1000) को करके 5265.50 के बजाय 6265.50 रसीद SB.28 तथा पासबुक पर कर दी थी लेकिन बाद में जांच अधिकारी के धमकी देने जेल भेज देने की तथा पुलिस के हवाले कर देने की पर वे जो बोलते गये लिख दिया तथा उन्हीं के कहने पर ही मैंने 2500) दो हजार पांच सौ रु० अवर्गीकृत खाते में जमा कर दिया मैंने कोई त्रुटि (रव्या 16 दिनांक 23.6.86 नहीं लिखी तथा न इसका कोई औचित्य है। अतः मेरा 2500) अवर्गीकृत रक[म] निकाल कर भुगतान कराया जाय।

A.W.
28/3/88
Compiled Lalganj

प्रार्थी
विश्वनाथ सिंह भाय हथर्क
शाखा डाक पाल
[illegible]
[illegible]

T.C. Attested
[signature]

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal
Addl Bench, Allahabad
Circuit Bench, Lucknow

O.A. No. ________ of 1990 (L)

Bishwa Nath Singh ....Applicant

Versus

Union of India & Others ... ... Respondents

ANNEXURE- A- 9

94

A82

सेवा में,
श्रीमान जाँच अधिकारी
डाक निरीक्षक दक्षिणी रायबरेली

विषय- संक्षिप्त व्याख्या आप के केस नं डी ई/3-87 तथा डाक अधीक्षक के मैमो आफ चार्जेज संख्या एफ-4/2/86-87 दि० 11-1-87

Cage No 3022
8/4/88

आप के पत्र संख्या दिनांक 31-1-89 के संदर्भ में जिसमें आप ने प्रस्तुत कर्ता को लिखित सार तीन दिन के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहा था लेकिन आज दिनांक 6-2-89 तक लिखित सार न प्राप्त होने के कारण बिना सार (प्रस्तुत कर्ता के) अपना लिखित सार इस आशय से प्रेषित कर रहा हूँ कि इसे गम्भीरता पूर्वक विचार करके न्याय दिलाया जाय।

प्रार्थी को दिनांक 27-10-86 को डाक अधीक्षक के पत्र संख्या दिनांक 14-10-86 द्वारा ड्यूटी से Put off कर दिया गया था तथा मैमो आफ चार्जेज दिनांक 11-11-87 द्वारा भेजा गया जब कि नियमत: तीन माह के अंदर ही जाँच कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार नियमों का घोर उल्लंघन करके प्रार्थी को 13 महीने बाद चार्जशीट दी गई जो कि void करार दी जानी चाहिए तथा अनुशासन अधिकारी का परेशान करने की पूरी झलक प्रतीत होती है।

अनुशासन अधिकारी ने अपने अनुच्छेद नं० 1 में दि० 23-6-86 को बचत बैंक खाता सं. 115499 जो वीरपाल सिंह के नाम से था, मु० 1500) एक हजार पाँच सौ रुपये पासबुक तथा हिसाब में न लेने संबन्धित है। इस संबन्ध में प्रार्थी ने आपने लिखित बयान में स्पष्ट रूप से बताया था कि उक्त श्री वीरपाल बं० बैंक खाता सं. 115499 दि० 23-6-86 को डाकघर आया मु० 1500)- भी दिया तथा पासबुक में चढ़ा भी दिया था चूँकि मार्च के बाद पासबुके HO को ब्याज हेतु भेजनी आवश्यक होती है इसलिए SB 28 जिसने जमा के बाद की रकम मु० 5265.50 होना चाहिए था

PTO

Attested
[signature]

गल्ती से 6265.50 लिख कर दे दिया जब किताब के स्थान
पर मैंने SB 28 रसीद जमाकर्त्ता को दिया तो उसने कहा
कि अभी पासबुक ब्याज हेतु नही भेजूंगा क्योंकि अभी
मुझे जल्द ही और लेन देन करना है इस पर मेरे
तथा जमाकर्त्ता के बीच वाद विवाद हो गया। मैंने जमाकर्ता
से कहा कि बिना किताब ब्याज हेतु दिए पैसा नही जमा
करूंगा इस पर वाद विवाद अधिक हो गया तथा मैंने किताब
पर लिखी रकम, मोहर काट कर हस्ताक्षर कर दिया
तथा पैसा मु० 1500) वापस कर दिया लेकिन गल्ती से
SB 28 रसीद वापस नहीं लिया जिस पर मैंने गल्ती
से चूंकि किताब पर गलत टोटल मु० 1000) एक हजार हो
गया थी उसी से SB 28 पर भी एक हजार की गलत रकम
मु० 6265.50 लिख दिया था। जमाकर्त्ता से वाद विवाद
तथा झगड़े की बात स्वयं वीर पाल सिंह (जमाकर्त्ता) ने
अपने बयान दिनांक 5-3-88 में स्वीकार किया था। तथा प्रार्थी
को परेशान करने की साजिश श्री सुन्दर सिंह उपडाकपाल
सरेनी द्वारा की गई थी क्योंकि उनसे NSC/TD BPM com
Bill में हिस्सा न देने से संबन्धित कुछ मतभेद/
मनमुटाव था। SB 28 रसीद जो गल्ती से वापस नही
लिया था उसका फायदा उठाते हुए श्री सुन्दर सिंह
उपडाक पाल सरेनी ने शिकायत कराई थी जो सत्य नही
थी। पैसा के जमा करने के दिन श्री राम सुन्दर सिंह पुत्र
चन्द्रिका प्रसाद ग्राम-पोस्ट तेयौरा जो प्रत्यक्ष दर्शी है ने
अपने बयान दि० 21-1-89 में स्पष्ट रूप से बताया है कि
जमा कर्त्ता ने दि० 23-6-86 को कुछ पैसा जमा करने को
पोस्ट मास्टर को दिया था जब किताब ब्याज के लिए भेजने
के लिए पोस्टमास्टर से कहा तो जमाकर्त्ता ने किताब भेजने
से इंकार किया इसपर दोनों में गरमागरमी हो गई इस
पर पोस्ट मास्टर ने किताब ~~की~~ पर लिखी जमा रकम काट
दी तथा किताब एवं रुपया वापस कर दिया और वीरपाल सिंह किताब
लेकर वापस चले गये। चूंकि बात चीत गरमी गरमा
माहौल में हुई इससे स्वतः लगता है कि SB 28 रसीद
वापस लेना भूल गये जिसका नाजायज फायदा जमाकर्ता
उठाकर मेरी छवि धूमिल करना चाहता है। इस प्रकार
चार्ज नं. 1 साबित नहीं होता है.

True Attested
[signature]

अनुशासन अधिकारी ने अपने अनुच्छेद नं. 2 में दिनांक
23-6-86 को SB 28 नं० 46 जिसमें मु० 6265.50 जमा-
कर्ता को दिया लेकिन किताब ब्याज के लिए नहीं भेजा
इस संबंध में प्रार्थी ने अनुच्छेद नं. 1 में स्पष्ट रूप
से बताया कि चूंकि जमाकर्ता पासबुक ब्याज के लिए
भेजने से मना किया था इसलिए जमारकम वापस कर
तथा जमा की प्रविष्टि काट कर पास बुक जमाकर्ता
को वापस कर दिया था जैसा कि प्रार्थी ने अपने लिखित
बयान में बताया था तथा प्रत्यक्ष दर्शी गवाह श्री राम
सुन्दर सिंह ग्रा० पो० बेमौरा ने भी अपने बयान दिनांक
21-1-89 द्वारा भी स्पष्ट किया था। चूंकि जमा करते समय
वार्तालाप गरमा गरमी माहोल में हुई थी इसलिए SB28
रसीद वापस लेना भूल गये। बाद में चूंकि जमाकर्ता
श्री वीर पाल सिंह से झगड़ा हो गया जैसा कि जमाकर्ता ने
अपने बयान में कहा है इसी वजह से प्रार्थी को परेशान तथा
छवि धूमिल करने के बुरे इरादे से उस SB28 रसीद को
जो गलती से लेने को भूल गये थे अस्त्र के रूप में प्रयोग
कर रहा है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से पूर्णरूप से
चार्ज नं. 2 साबित नहीं होता।

अनुशासन अधिकारी ने अपने चार्ज नं. 3 में मु०
1000) मई 86 में जमाकर्ता से प्राप्त कर तथा हिसाब में
न लेकर दुर्विनियोग का आरोप लगाया है। इस संबंध
में प्रार्थी ने उपरोक्त पैरा में स्पष्ट कर चुका है कि
दिनांक 23/6/86 को मु० 1500) जमा किया था तथा भूल
गलती से किताब में टोटल में 1000) की अधिक
लिख दिया था इस प्रकार किताब का टोटल मु०
5265.50 के बजाय मु० 6265.50 हो गया था तथा
उसी से SB28 मु० 6265.50 जारी कर दिया था
लेकिन सत्य यह है कि जमाकर्ता कभी भी मु० 1000)
जमा नहीं किया था और यदि मई 86 में एक
हजार जमा किया होता तो जमा के बाद उसकी
किताब में चढ़ाकर उसे पासबुक वापस करना
ऐसी गलती न करता लेकिन चूंकि जमाकर्ता ने
मई 86 में कोई पैसा नहीं जमा किया यदि जमा
किया होता तो तारीख सही 2 बताता क्योंकि
केवल एक माह पहले की ही घटना थी लेकिन

PTO

IV

चूंकि जमाकर्ता से झगड़ा हो गया था तथा रसीद SB 28
लेना भूल गये थे तथा जिसमें गलती से टोटल मिस्टेक
1000/- एकहजार रु० की हो गई थी इसलिए वे मनस्यता
वस जमाकर्ता ने बदले की भावना से तथा परेशान करने
की मंशा से ऐसा आरोप लगाया था। यह आरोप
बिल्कुल असत्य तथा निराधार है।

अनुशासन अधिकारी ने अपने अनुच्छेद नं. 4 में मु०
1000/ मई 86 में तथा मु० 1500/- 23-6-86 कुल मु०
2500/- का दुर्विनियोग करके तथा दिनांक 8-10-86 को
रु० हथनासा में मु० 2500/- अवर्गीकृत खाते में जमा
करना अपने बयान दिनांक 8-10-86 में स्वीकार करने के
आरोप के संबंध में प्रार्थी यह विश्वास के साथ कहना
चाहता है कि मु० 1500/- जमाकर्ता दि० 23-6-86 में लाया
था तथा इसका पूर्ण विवरण उपरोक्त के पैरों में स्पष्ट
कर चुका है जहाँ तक प्रश्न मु० 2500/- का UCR में
जमा करने का इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता
हूँ कि CI श्री शिवमंदिर राय जब जाँच में आये
तो उन्होंने जेल भेजवाने की धमकी मौखिक रूप से दी
तथा यह भी कहा कि जब तक पैसा मु० 2500/- जमा नहीं
करोगे बयान नहीं लूंगा तथा पुलिस के हवाले कर दूंगा
इस प्रकार वे दिनांक 8-10-86 को मेरे पास आये लेकिन
कोई बयान नहीं लिया धमकी लगातार 5 दिनों तक
देते रहे मैं घबड़ाकर तथा अपनी इज्जत बचाने
के लिए मु० 2500/ UCR में जमा कर दिया तब दि०
14-10-86 को मेरा बयान लिया गया जिसमें प्रार्थी
ने स्पष्ट रूप से वस्तु स्थिति का वर्णन किया।
था तथा यही बात मैंने अपने लिखित बयान में
भी दिया था। सबसे मुख्य विडंबना यह है कि यदि
गबन मु० 2500/ का था तो पुलिस में FIR कराना चाहिए
था जिससे पूरे केस की असलियत प्रकाश में आ जाती
तथा मैं अपने को निर्दोष साबित कर देता लेकिन
चूंकि डाक अधिकारियों को भली भांति पता था कि
जमाकर्ता 420 कर रहा है और प्रार्थी को परेशान
करने के Mala fide इरादे से FIR पुलिस में दर्ज
न कराकर दबाव डालकर मुझसे मु० 2500/- रु०
UCR में जमा करा दिया। दूसरी विडंबना यह
है कि श्री शिवमंदिर राय C I जिन्होंने केस की

PTO

[signature]

18
A66

Preliminary Enquiry की थी, का बयान किया मेरे बचाव सहायक के उपस्थित के ही मनमानी ढंग से कराया उनका तथा Cross करने का अवसर नहीं दिया गया उनका बयान दि० 14-3-88 को लिया गया जब कि प्रार्थी ने लिखित रूप से निवेदन किया था कि चूंकि बचाव सहायक नहीं आ पाये हैं इसलिए एक अवसर दिया जाय लेकिन जाँच अधिकारी ने सोचा कि Preliminary Enquiry में काफी मनमानी की गई है जिसका पर्दाफाश हो जायेगा इसलिए प्रार्थी को (without Providing Full opportunity to defend the case" जाँच अधिकारी श्री शिवमंदिर का बयान लिया गया (which is against the spirit of natural Justice) इसी प्रकार अरोपक दिनांक 15-3-88 को श्री सुन्दर सिंह उपडाकपाल निहस्था जो न तो listed witness था तथा न तो पहले से मेरे बचाव सहायक की उपस्थिति में Additional witness तथा Additional Document की Requirement पेश किये ही मेरे बचाव सहायक की अनुपस्थित का अनुचित लाभ उठाकर रातो रात बिना पूर्व अनुमति तथा बिना Relieve के आदेश के श्री सुन्दर सिंह उपडाकपाल निहस्था जो Direct डाक अधीक्षक के under में हैं तथा बिना उनकी अनुमति के कहीं जाकर बयान नहीं दे सकते हैं, उनका बयान मेरी तथा मेरे बचाव सहायक के गैर हाजिरी में बयान मनमानी ढंग से लेना कानून को अपने हाथों में लेना तथा Against the spirit of Govt orders and natural Justice जब कि यदि यह मान लिया जाय कि बहुत जल्दी थी तो मुझे चार्जशीट 13 महीनों बाद हुई तथा पुनः 15-3-88 के बाद 20.1.88 को तारीख 10 महीनों बाद रखना स्पष्ट करता है कि कोई जल्दी का प्रश्न ही नहीं उठता। इस अन्याय के लिए प्रार्थी ने एक XP Docket दिनांक 15-3-88 को लालगंज प्रधान डाकघर से रजिस्ट्री सं. 602 दिनांक 15/3/88 को डाक अधिकारी को दिया था जिसमें दि० की कार्यवाही तथा बदलने का निवेदन किया था। यही नहीं अपने ऊपर अन्याय की नौबत का पूर्ण विवरण डाक अधीक्षक को रजिस्ट्री सं० दि० को भेजा था।

PTO

True Attested
Advocate

-2-

उपरोक्त तथ्यों से पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि प्रार्थी को पूरा अवसर अपने को निर्दोष सावित करने का नही मिला तथा मु० 2500/ UCR में जमा कराना व्यग्मकीतशा तथा अपनी इज्जत को बचाना मात्र था। तथा सशपथ पूर्वक कह सकता हूँ कि मैंने 1500/ का दुर्विनियोग नही किया यह वैमनस्यता वश तथा परेशान करने के सुनियोजित ढंग से प्रार्थी की छवि धूमिल कराना मात्र था तथा मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ कभी भी बुरे इरादे से कोई दुर्विनियोग नही किया तथा चूंकि वार्तालाप गरम माहोल में हुई इसलिए SB28 रसीद वापस लेना भूल गया था। तथा यदि सत्य था तो चूंकि मु० 2500/ का मामला था इसलिए FIR पुलिस में दर्ज करानी चाहिए थी जिससे मैं अपने को निर्दोष सावित कर सकता। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है तथा आप से अनुरोध है कि charge sheet may be remitted back as charges not proved.

(2) And also advice learned Disciplinary authority for allowing period of Put off Duty as Duty for all purposes and also all the arrears may be paid to me.

3- And also Rs 2500/ two thousand five hundred only lying under UCR may be ordered to be released in my favour

For this act of Justice. I will remain ever grateful to you.

Yours faithfully
Sd/-
Bishwanath Singh
BPM Hathnasa
RBL
(Put off Duty)

True Attested
[signature] Sd/-

20
A68

इन दि आनरेबुल सेन्ट्रल एडमिनिसेटिव ट्रिबुनल,
एडी0 बेन्च, इलाहाबाद,
सर्किट बेन्च, लखनऊ ।

ओ0 ए0 नं0 आफ 1990 (एल)

विश्वनाथ सिंह ------ अपलीकैण्ट

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स ------ रेस्पान्डेन्टस

एनेक्जर नं0-"ए" 11"

सेवा में,

श्रीमान डाक निदेशक इलाहाबाद रीजन
इलाहाबाद ।

"द्वारा- डाक अधीक्षक रायबरेली"

विषय: विद्वान डाक अधीक्षक रायबरेली के पारित आदेश संख्या एफ 4/2/86-87 दिनांक 9.5.89 के विरूद्ध अपील भेजना

महोदय जी,

प्रार्थी एक भूतपूर्व सैनिक है, सेवामुक्त होने के बाद से दिनांक 15.7.1976 से शाखा डाकपाल के पद पर कार्यरत हूं प्रार्थी को ड्यूटी से पुट आफ डाक अधीक्षक के मेमो नं0 एफ-4/2/86-87 दिनांक 14.10.86 द्वारा किया गया जो कि प्रार्थी को दि0 27.10.86 को प्राप्त हुआ ।

मुझे दिनांक 11.11.87 को मेमो नं0 एफ-4/2/86-87 द्वारा चार्जशीट दी गई जो नियमत: गलत है। डी.जी.पेट न्यू देहली लेटर नं0 151/3/81/विग 11 दिनांक 25.8.81 के पत्र के अनुसार अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियो को अतिशीघ्र अधिक से अधिक 4 माह में जाँच समाप्त कर देनी चाहिए जब कि चार्जशीट देने में ही 13 माह लगे । इस प्रकार चार्जशीट देना ही नियमो के विपरीत है अत: चार्जशीट (void) करार दी जानी चाहिए।

चार्जशीट की प्रति एनेक्जर नं0-1 साथ में संलग्न है। जिसमें प्रार्थी पर आरोप लगाया गया कि मु0 2500/- जमा कर्ता खाता सं0 1154999 में जमा करके तथा हिसाब में न लेने से संबंधित है। इस सम्बंध में

--2/-

प्रार्थी ने अपने बयान दि0 14·10·86 जो शिकायत इंसपेक्टर श्री शिव मन्दिर राय के समक्ष दिया था जो कि सूची में क्रम संख्या 5 पर फर्द है जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से बयान दिया था "खाता संख्या 1154999 में दिनांक 23·6·86 को 3765·50 के बाद 1500/- जमा की प्रविष्टि करने के बाद योग 5265·50 के बजाय 6265·50 हो गया था तथा SB28 संख्या 46 दिनांक 23·6·86 को उसी गलत बकाया रूपया 6265·50 से काट कर खातेदार द्वारा ब्याज के लिए पैसा गना करने पर मैंने पासबुक तथा रूपया दोनों उसी दिन वापस कर दिया था परन्तु रसीद संख्या 46 लेना भूल गया था तथा शिकायत इंसपेक्टर के दबाव डालने पर तथा धमकी देने पर ही मैंने दिनांक 8·10·86 को अपने डाकघर में अवर्गीकृत खाते में जमा कर दिया था ।

इस संबंध में मैंने अपनी तरह से तीन साक्ष्य भी प्रस्तुत करने के लिए जाँच के दौरान दिया था जिसमें सर्वश्री शिव बक्श सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण प्रस्तुत कर न कर सका तथा श्री प्रदीप कुमार सिंह के बाहर लखनऊ में नौकरी करने चले जाने के कारण प्रस्तुत न कर सका श्री राम सुन्दर सिंह जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह है उन्होंने अपने बयान दि0 21·1·89 में स्पष्ट रूप से रूपया जमा करने एवं किताब ब्याज के लिए न देने पर रूपया, किताब वापस कर देने की बात बताई है पर न विश्वास करने का कोई औचित्य नहीं है तथा उसने बातचीत में गरमीगरमा (जमाकर्ता वीरपाल एवं शाखा डाकपाल के मध्य) की बात भी बताई । जिससे स्वभावत: रसीद वापस लेने को भूल जाना परिलक्षित करता है स्वाभाविक है जिसको जमाकर्ता एवं विभाग दोनों हथियार के रूप में ले रहे हैं जो ठीक नहीं प्रतीत होता है।

जमाकर्ता ने अपने बयान दिनांक 5·3·88 में जमापर्ची अपने हाथों द्वारा भरने की बात स्वीकार की है तथा अधपन्ना जो जमाकर्ता को प्रमाण के तौर पर वापस करने का प्राविधान है जो प्रार्थी प्रत्येक जमाकर्ता को देता था उसे न देने का कोई औचित्य नहीं है तथा यदि जमा किया होता तो अवश्य उसके पास होता इससे साफ-2 जाहिर है कि जमाकर्ता ने मु0 1000/- एक हजार रूपया मई 86 में तथा 1500/- 23·6·86 को जमा करने की दलील बेबुनियाद, मनगढंत तथा प्रार्थी की

He Attested [signature]

22
A20

छवि धूमिल करने के सिवाय कुछ भी नही है।

इस संबंध में मुख्य ध्यान देने योग्य मामला दिनांक 14.3.88 एवं 15.3.88 जाँच कार्यवाही से संबंधित है दिन 14.3.88 को प्रार्थी के बचाव सहायक श्री हबीब अहमद खाँ {उप डाकपाल तिलोई रायबरेली} का जाँच कार्यवाही में न पहुँच पाने का मामला है उन्होंने भी तारीख पर न पहुँच पाये। संबंधित रजिस्ट्री द्वारा जाँच अधिकारी को सूचित कर दिया था एवं मैंने भी लिखित रूप से निवेदन किया था कि चूँकि बचाव सहायक नही आ पाये है इसलिए मौका दिया जाय अगली तिथि पर हाजिर करेंगे लेकिन जाँच अधिकारी ने एक भी नही मानी तथा जाँच कार्यवाही बिना मेरे बचाव सहायक के जारी रखी ~~जाय~~ तथा मुख्य गवाह श्री शिवमन्दिर राय जाँच अधिकारी का बयान लिया यही नही दूसरे दिन दिनांक 15.3.88 को श्री सुन्दर सिंह उप डाकपाल निहस्था का बयान दर्ज कराना जो डाक अधीक्षक के डायरेक्ट कन्ट्रोल में है तथा उनकी अनुमति के बिना कहीं भी नही जा सकते है। रातोरात लालगंज बुलाकर बिना मेरी एवं बचाव सहायक की उपस्थिति के बयान दर्ज कराना, ऊदर्ज करना लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ एवं पीठ में छूरा भोंकने की संज्ञा ही हो सकती है, जो सरकारी नियमो के विपरीत है जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने दिनांक 15.3.88 को लालगंज डाकघर रजिस्ट्री संख्या 682 द्वारा डाक अधीक्षक को रिपोर्ट भेजी थी दिनांक 22.3.88 को विस्तृत दरख्वास्त भी रजिस्ट्री संख्या 2904 दिनांक 22.3.88 द्वारा डाक अधीक्षक को भेजी थी जिसकी प्रति एनेक्चर नं0-2 संलग्न है। तथा जाँच अधिकारी को बदलने {पीजुडिशनल} के बारे में निवेदन किया था लेकिन एक भी नही सुनी गई तथा पुन: 10.12.88 को उसी जाँच अधिकारी ने जाँच कार्यवाही शुरू की जिससे श्री शिव मंदी राय डाक निरीक्षक, एवं श्री सुन्दर सिंह उप डाकपाल निहस्था को क्रास एक्जामनेशन करने का मौका देने का निवेदन किया था लेकिन एक नही सुनी गई, सरकारी कानूनो को ताख पर रख दिया तथा पूरा मौका बचाव का न देकर कानूनो का मखौल उड़ाया है। {विदआउट गिविंग फुल अपारचुनिटी टू डिफेंड दि केस} अन्यथा मैं अपने को निर्दोष साबित कर देता।

True Attested
[signature]

-----4/-

23
A71

विद्वान डाक अधीक्षक ने मामले को पुलिस में एफ·आई·आर· दर्ज कराने की बात लिखी है जो बिलकुल असत्य मनगढन्त है क्योंकि मैंने जाँच के दारान एफ·आई·आर· की प्रति माँगी थी जो नही दी गई तथा यदि एफ·आई·आर· की प्रति है तो दिखाई जाय क्योंकि पुलिस में एफ·आई·आर· दर्ज कराई होती तो मामला साफ-2 प्रकाश में आ गया होता तथा मै अपने को निर्दोष साबित कर देता मालूम पडता है कि डाक विभाग के अधिकारी दीपपाल सिंह जमानतदार जो 420 कर रहा है को बचाने के लिए ही पुलिस में एफ·आई·आर· दर्ज नही करायी जब कि मु0 2000/- दो हजार रुपये से अधिक के गबन को पुलिस में एफ0 आई0आर0 कराना आवश्यक है।

जाँच अधिकारी ने दिनांक 21·1·89 को अपनी जाँच कार्यवाही में प्रस्तुतकर्ता को तीन दिन के अन्दर अपना लिखी सार भेजने के लिए लिखा था लेकिन प्रस्तुतकर्ता का लिखित सार दिनांक 8·2·89 तक न प्राप्त होने एवं जाँच अधिकारी के पुन: दबाव डालने पर प्रार्थी ने दि0 8·2·89 को रजिस्ट्री सं0 3022 द्वारा अपना लिखित सार भेज दिया था इससे भी लगता है कि प्रस्तुतकर्ता को कुछ नही लिखना था।

जाँच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सीधे अनुशासनिक अधिकारी के पास भेज दिया जबकि उसकी प्रति पहले मुझे प्राप्त होनी चाहिए थी जिसका जवाब मै पेश करता लेकिन जाँच अधिकारी ने मेरे इस अधिकार से वंचित रखकर प्राकृतिक न्याय के खिलाफ कार्य किया एक्टेड अगेस्ट दि स्पिरिट आफ नेचुरल जस्टिस। सी·ए·टी·मद्रास बेन्च ने सुपीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें जाँच अधिकारी की रिपोर्ट को अभियुक्त को न देने के सम्बन्धी थी जिसको सुपीम कोर्ट ने नही माना तथा अपील बहाल करते हुए अपनी फाइनिंग्स दी थी कि 'Action may therefore be caused to be taken for ~~de-novo~~ De-Novo action from the stage of furnishing report of the Enquiry Officer to the official.(D G Dept. of Telecom. New Delhi letter No.5-.26/88-Vig.III dt.18.8.1988).

True Attested
[signature]

94
A22

अंत मे मै यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत सरकार के कानून के तहत आदेश अनुशासन अधिकारी को अपनी हस्तलिपि में लिखना चाहिए जबकि आदेश टाइप तथा बाबू की हस्तलिपि से लिखा गया है जो नियमत: गलत है अत: आदेश वाइड करार दिया जाना चाहिए ।

अपने जजमेण्ट के पृष्ट नं04 के पैरा नं0 3 मैं जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट दिनांक 23.3.87 द्वारा प्रस्तुत तथा डाक अधीक्षक कार्यालय में दि0 27.3.87 को प्राप्त होना दर्शाया है जो गलत तथा मनघढ़ंत है इस प्रकार निर्णय वाइड तथा फुल आफ मिस्टेक्स है जिसे निरस्त किया जाय ।

अंत मैं प्रार्थी आप से अनुरोध करना चाहता है कि मेरे डाक घर के कार्यों की पूरी छानबीन पिछले कई वर्षों की की गई थी लेकिन गलती या गबन नहीं निकला। मै इलाके का एक प्रतिष्ठित मिलिट्री का रिटायर्ड सैनिक हूँ। मेरी रंजिश श्री सुन्दर सिंह उपडाकपाल तरेनी (मौजूदा निहस्त।) से बी.पी.एम. कमिश्नशान के संबंध मैं थी इसी वजह से उन्होंने अकारण शिकायत कराकर तथा डाक अधिकारियों से मिलकर मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की थी। डाक निरीक्षक के कहने पर मैंने फौरन 2500/- दो हजार पाँच सौ रूपये अस्वीकृत खाते मैं जमा कर दिया था ।

अंत मे मै यह भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि जाँच मेरे बचाव सहायक की उपस्थित मे चलायी गई होती तो मामला साफ-साफ प्रकाश मे आ जाता तथा मै अपने को ~~विल्कु~~ निर्दोष साबित कर देता। प्रार्थी को 13 महीने तक पुट आफ रखने के बाद चार्जशीट देना, तथा जाँच कार्यवाही बिना मेरे बचाव सहायक तथा बिना मेरी उपस्थित के चलाना तथा मेरे प्रार्थना पत्र देने पर भी ~~बक~~ भ्रष्ट जाँच अधिकारी को न बदलना एवं जाँच की रिपोर्ट फैसला से पहले जाँच अधिकारी द्वारा न प्राप्त होना सरकारी कानूनो का घोर उलंघन एवं विदआउट प्रोवाइडिंग ~~फुड~~ फुल अपारचुन्यटी टू डिफेंड दि केस? एवं अगेन्स्ट दि स्पिरिट आफ रूल्स एण्ड अगेन्स्ट दि स्प्रिट आफ नेचुरल जस्टिस? है।

---6/-

He Attested
[signature]

अत: आप से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मेरी अपील जो नियमत: सही है मंजूर की जाय एवं विद्वान डाक अधीक्षक के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुये उनके द्वारा अलोकतांत्रिक ढंग से जाँच प्रकृया चलाने एवं मनमानी ढंग से किये गये आदेशों की भर्त्सना की जाय एवं मेरे द्वारा जमा किया गया मु० 2500/- दो हजार पाँच सौ देने अस्वीकृत खाते से भुगतान भी कराने की व्यवस्था की जाय ।

प्रतिलिपि--

~~डायरेक्टर~~ ×

डारेक्टर प्रति डाक निदेशक
इलाहाबाद रीजन
इलाहाबाद ।

आपका
प्रार्थी
विश्वनाथ सिंह
कार्यप्रभारी शाखा डाकपाल
हथनासा
रायबरेली

सत्य प्रतिलिपि

(signatures)

A74

In the Central Administrative Tribunal at Allahabad,

Circuit Bench, Lucknow.

Misc. Application No. _______ of 1990

on Behalf of Respondents.

M.P. No. 438/90 (L)

In

Case No. 5 of 1990

Bishwa Nath Singh .... Applicant.

Versus.

Union of India & Others .... Respondents.

APPLICATION FOR CONDONATION OF DELAY

The respondents respectfully beg to submit as under :-

1. That the written reply on behalf of the respondents could not be filed within the time allotted by the Hon'ble Tribunal on account of the fact that after receipt of the parawise comments from the respondents, the draft-reply was sent to the department for vetting.

2. That the approved written reply has been received and is being filed without any further loss of time.

3. That the delay in filing the written reply is bonafide and not deliberates and is liable to be condoned.

WHEREFORE, it is prayed that the delay in filing the written reply may be condoned and the same may be brought on record for which the respondents shall ever remain grateful as in duty bound.

Filed today
20/7/90

Lucknow ;

Dated : 19/7

(Dr. Dinesh Chandra)
Counsel for the Respondents.

A25

In the Central Administrative Tribunal at Allahabad,

Circuit Bench, Lucknow.

Written Reply ~~Statement~~ on behalf of Respondent No. 1 to 3

In

O.A. No. 52 of 1990 (L)

Bishwas Nath Singh .... Applicant.

Versus.

Union of India & Others .... Respondents.

I, Paras Nath Misra aged about 50 years, Son of Sh. Kubur Nath Misra Supdt. of Post Offices, Raebareli, do hereby solemnly affirm and state as under :-

1. That the deponent is competent to file ~~swear~~ the written statement ~~affidavit~~ on behalf of all the respondent.

2. That the deponent has read the application filed by Shri Bishwas Nath Singh and has understood the contents thereof.

3. That the deponent is well conversant with the facts of the case deposed hereinafter.

4. That it will be worthwhile to give a brief history of the case as under :-

Brief History of the Case

One Shri Vir Pal Singh resident of Vill. Gautam Khera, Post Hathnasa, Raebareli had made a complaint to the

Post Master General Lucknow on 23.8.86 against Shri Bishwas Nath Singh EDBPM Hathnasa. It was complained that Shri Vir Pal Singh had deposited Rs. 265.80 in his Saving Bank Account No. 1154999 on 23.6.86 for which he was issued a receipt SB-28 No. 196606/46 by the applicant but the applicant did not return his pass Book to Shri Vir Pal Singh. The complaint was inquired into by Shri S.M. Rai, Complaint Inspector, Raebareli,., which revealed that a sum of Rs. 2500/- was misappropriated by the BPM by not accounting the deposits of Rs. 1000/- deposited in May 86 and Rs. 1500/- deposited on 23.8.86 in the Saving Bank Account of Sh. Vir Pal Singh, There was thus a difference of Rs. 2500/- in the balance at the credit of the depositor as indicated in the Post Office Records. As such an enquiry against the applicant was conducted and he was ordered to be put off duty vide SPO's Raebareli memo No. F-4/2/86/87 dt. 14.10.86. A charge sheet on the alleged misconduct was issued vide memo No. F-4/2/86-87 dated 11.11.87. On receipt of the Enquiry report the order of dismissal was passed by the deponent vide his office Memo No.F-4/2/86-87 dated 9.5.89. The applicant preferred an appeal against the dismissal order to the appellate authority i.e. DPS Allahabad which was rejected vide his No. Vig./APP-ED/28/89/2 dated 27.8.89.

<u>Parawise Comments</u>

5. That the contents of para 1 to 3 need no comments.

contd. .... 3...

A77

6. That the contents of para 4 (b) are admitted to the extent that the applicant Shri Bishwa Nath Singh was appointed as as Extra Deptt. Branch Post Master Hathnasa Raebareli vide Memo No.H/120/PW dated 23.7.83. Rest of the contents are not admitted.

7. That the contents of para 4 (b) are not admitted. It is, however, submitted that Shri Vishwa Nath Singh BPM Hathnasa (RBL) received Rs. 1500/- from Shri Virpal Singh on 23.6.86 for depositing the same in his Saving Bank Account No.1154999. A sum of Rs. 1000/- one also received by Shri Bishwa Nath Singh from Shri Vir Pal Singh for depositing in aforesaid account No. 1154999 in the month of May 86. But these amounts were not credited in the aforesaid Account by the officiel and as such Shri Bishwa Nath Singh was found guilty of misappropriation the aforesaid money amounting to Rs. 2500/-. He was ordered to be put off duty by memo no. F-4/2/86-87 dated 14.10.86. A charge sheet was issued to him under letter No. F-4/2/86-87 dated 11.11.87 for the said misconduct.

8. That the contents of para 4 (c) are not admitted. The deponent has no knowledge about any alteration between the applicant and Shri Vir Pal Singh. But it is submitted that no one by the name of Ram Sunder Singh was working as SPM Sarani. The allegation against respondent No. 2 is denied as the same is baseless and mischevious. When the complaint of Shri Vir Pal Singh regarding misappropriation of Rs. 2500/- which was addressed to the Post Master General, U.P. Circle, Lucknow was received in the office of respondent No. 2 through

8m

the P.M.G., U.P. Circle, Lucknow on 2.9.86, Complaint Inspector was asked to enquire into the matter. A photostat copy of the complaint dated 23.8.86 of Shri Vir Pal Singh is being filed as Annexure R-1.

9. That in reply to contents of para 4 (d) it is stated that during the preliminary investigation of the case by the complaint Inspector, misappropriation of Rs. 2500/- was found established against the applicant and he was put off duty on w.e.f. 27.10.86. Enquiry report of the complaint Inspector is being filed as Annexure R-2 . Application dated 1.11.87 was not received by any of the respondents.

10. That the contents of para 4 (f) are admitted to the extent that charge sheet was issued on 11.11.87. Rest of the contents are denied.

11. That the contents of para 4 (g) are admitted to the extent that the applicant approached the office of the respondent no. 2 to spare service of Shri Awadhesh Narain Singh who was working as office supervisor in the office of the Supdt. of Post Offices Raebareli to assist the applicant in his inquiry. The services Of Shri Awadhesh Narain Singh who was working as office Supervisor in the office of the deponant could not be spared and he was not permitted to be defence Asstt. in any case. However, Shri Bishwanath Singh had nominated Shri H.A. Khan SPM Tiloi (RBL) as his Defence Asstt. before the Inquiring Officer which was allowed by him.

12. That in reply to para 4(h) of the application it is stated that permission to Shri Audhesh Narain Singh to work as Defence Asstt. was not accorded because Shri Audhesh Narain Singh was working

as Office Supervisor in the office of Disciplinary authority and thus his services could not be spared due to administrative reasons.

13. That the allegation contained in para 4 (i) are denied. It is, however, submitted that the Inquiry officer, Shri B.P. Dixit was working as SDI (P) South Sub Dn. (RBL) and had no concern with the applicant and as such the allegation of any bias or prejudice is uncalled for and baseless. It is pertinent to point out that the said enquiry was started from 3.12.87 and when it was likely to be completed Shri Bishwa Nath Singh ~~md~~ submitted an application regarding change of the Inquiring officer namely Shri B.P. Dixit, which was received in the office of Discy. authority on 16.3.88. Photostat copy of the application is being filed as Annexure R-3. He further made a representation regarding change of E.O. on 19.3.88 which was forwarded to the Director Postal Services, Allahabad. The D.P.S. Allahabad rejected the representation as the changed office had not mentioned any enmity on bias against Enquiring officer. The E.O. was asked to observe prescribed norms and rules of enquiry. The letter of the Director Postal Services Allahabad is being filed as Annexure R-4.

14. That the contents of para 4 (j) & 4 (k) are not admitted. Submissions made in paragraphs 13 above are reiterated.

15. That the contents of para 4 (l) are admitted to the extent that a sum of Rs. 2500/- was credited voluntarily by Shri Bishwa Nath Singh on 8.10.86. Rest of the contents are denied. The complaint inspector made the inquiry at the Village and House of the applicant;

as such the question of threatening the applicant did not arise.

16. That the contents of para 4 (m) are not admitted. The applicant was given full opportunity to defend his case. Shri Sheo Mandir Rai, prosecution witness was examined on 14.3.88 in the very presence of the applicant. The applicant was given opportunity to cross examine the witness but he did not do so at his own sweet-will. The applicant was informed that another witness namely Shri Sunder Singh will be examined on 15.3.88 vide the order of the E.O. contained in proceeding sheet dated 14.3.88 which was signed by the applicant. The proceeding sheet is being filed as Annexure R-5. Shri Vishwa Nath Singh applicant wilfully absented himself from the inquiry on 15.3.88.

17. That the contents of para 4 (n) are admitted.

18. That the contents of para 4 (o) need no comments in view of the submissions made in the above paragraphs.

19. That the grounds indicated in para 5 of the petition have adequately been dealt with in the above paragraphs. The charge of mis-appropriation of amount was found proved against the petitioner.

20. That the contents of para 6 and 7 need no comments.

21. That in view of the submissions made in the above paragraphs, the relief sought for in para 8 and the interim relief prayed for in para 9 are not admissible.

A81

22. That the contents of para 10 to 12 need no comments.

Lucknow :

Dated : Signature of Respondent.

Verification

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of paras of this written statement are true to the best of my personal knowledge and those of paras are believed by me to be true. That nothing material facts has been concealed and no part of it is false, so help me God.

Signed and verified this the day of April, 1990 within the court compound at Lucknow.

Lucknow :

Dated : Signature of Respondent.

Case: O.52/199? Annexure A-1

A82

Case No. O.A. 52/9?

AUG 1986
3181

महोदय
उ०प्र० रायबरेली

श्रीमान पोस्टमास्टर जनरल
यू पी सरकिल लखनऊ

9/9

निवेदन है कि मेरा एक डाकघर बचत बैंक का खाता संख्या 11548 ई०डी० शाखा डाकघर हथिनासा में है। इस खाते में मैंने 23-6-86 को 150 रु० जमा किया था जमा करने के बाद इस खाते का बकाया रु० 6245.50 रु० हो गया था श्री शिवनाथ सिंह शाखा उप डाकपाल हथिनासा ने कहा कि इस खाते में ब्याज लगाना बाकी है। इस लिए उन्होंने पास बुक मेरी जमा कर लिया तथा मुझे रसीद नं० 46 ता० 23-6-86 को दे दी जिसमें भी बकाया 6245.50 रु० अंकों तथा शब्दों में जोड़ करके दे दिया। मैं रसीद लेकर डाकघर से चला आया एक सप्ताह बाद से डाकघर में जाकर पास बुक को पता लगाता रहा जब भी डाकघर में जाता तब यही जवाब मिलता कि पास बुक अभी ब्याज लग कर नहीं आई।

आज फिर डाकघर हथिनासा गया तो मैंने पास बुक मांगी उन्होंने मुझे पास बुक दिखाया जिसमें 23-6-86 को 150 रु० जमा किया था यह जमा के बाद बकाया भी 6245.50 रु० हो गया था परन्तु इस पास बुक पर तारीख की मोहर डाकघर की नहीं लगी थी। डाकपाल ने बताया कि तुम्हारी पास बुक में 23-6-86 की मोहर इस डाकघर में लगाना भूल गई थी इस कारण पास बुक सेलेक्शन पोस्ट गंज डाकघर से वापस आ गई है। मेरी पास बुक पहले डाकघर में दूसरा उसके पश्चात [illegible] घर जाकर पास बुक का बैलेंस जिसमें से मेरी पास बुक निकाल कर दिखाया।

अतः निवेदन है कि मेरी पास बुक दिलवाई जाय। मुझे संदेह है कि मेरी पास बुक में कुछ गड़बड़ी है इस लिए मुझे परेशान करते हैं।

10/9
CBC
1. Open case
2. Acke
3. Table m/o
Afrank 2/9

प्रार्थी
बीरपाल सिंह
ग्राम- गौतमन खेड़ा
पोस्ट- हथिनासा
जिला- रायबरेली ता० 23-?-86

Ex D-1

Photocopy attested
डाक अधीक्षक
रायबरेली मण्डल रायबरेली
229001

Annexure A-2 — [illegible].1990 (1) A83

भारतीय डाक विभाग

14/c (1)

सेवा में :-

डाक अधीक्षक रायबरेली
महोदय,

आई / ड. कार्यवाही / हथनासा शाखा डाकघर / 86-87
दि० 11.10.86.

विषय :- शाखा डाक पाल हथनासा द्वारा खाता संख्या 1154999 में 2500/- (दो हजार पांच सौ रु.) गबन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- सी० आर० एस० बी० / 39 / 86. दि० 25.8.86.

श्री बीर पाल सिंह ग्राम गौतम का खेड़ा पो० हथनासा जिला रायबरेली ने अपने शिकायती पत्र दि० 23.8.86 द्वारा सूचित किया था कि दि० 23.6.86 उप डाकपाल सरेनी को 1500/- जमा के बाद शाखा डाक० को खाता सं० 1154999 में 1500/- रसीद संख्या 46.3.86 देकर पाल ने उनकी पासबुक SB.28 रसीद ... वह (शाखा डाकपाल) पासबुक ब्याज हेतु ले ली थी परन्तु अब तक पासबुक नहीं दे रहे हैं। उपरोक्त पत्र उप डाकपाल सरेनी रायबरेली ने अपने क्रमांक सी. 21 / 86-87 दि० 23.8.86 के द्वारा श्रीमान के नाम से भेजा था जिसमें उप डाकघर लेजर उप डाकपाल ने स्पष्ट किया था कि 27.2.86 को खाता संख्या 1154999 के अनुसार 3765.50 (तीन हजार सात सौ पैंसठ रु० पचास पैसे) बकाया मात्र है तथा खातेदार को ... रु० 28 रसीद से ... दि० 23.6.86 शाखा डाक पाल हथनासा द्वारा दी गयी है उसमें बकाया 6265.50 (छ हजार दो सौ पैंसठ रु० पचास पैसे) है। उपरोक्त पत्र पत्रांक सी० आर० / एस बी 39 / 86-87 दि० 25.8.86 को परिवाद निरीक्षक को जांच हेतु प्राप्त हुआ था।

मैं सर्व प्रथम दि० 8.10.86 को जांच हेतु सरेनी डाकघर पहुंचा तथा वहीं से जांच का कार्य प्रारम्भ किया। जांच के दौरान सामने आये तथ्य निम्नवत हैं।

K ... [signature]

... रायबरेली

सरेनी उप डाक घर में उपलब्ध लेजर में अन्तिम बकाया 27.2.86 खाता सं० 1154999 में 3765.50 (तीन हजार सात सौ पैंसठ रु० पचास पैसे) है। तत्पश्चात को 1500/- जमा के पश्चात ... उक्त खाते में आज तक कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। रु० 40.50.

141c (iii) (2) A84

2. मैंने खातेदार श्री वीर पाल सिंह पुत्र गौतम सिंह ग्राम व पो० हथनासा का बयान, उप डाकघर हथनासा तथा श्री रामस्वरूप सिंह शाखा डाक पाल हथनासा तथा श्री सत्यनारायण ई.डी. मेल कैरियर सरेनी तथा श्री सत्यनारायण ग्राम व पो० हथनासा रायबरेली के सम्बन्ध लिया। इस पर दिनांक 8-10-86 के बयान में खातेदार ने अपने बयान पत्र दि० 23.8.86 से पहले आपने शिकायती पत्र दि० 23.8.86 के पत्र में खाते बयान दिया है। दि० 23.6.86 को खाता संख्या 1154999 में जमा करने के सम्बन्ध में उल्लेख किया था। परन्तु दि० 8.x.86 को लिखित बयान में खातेदार ने एक अन्य जमा 1000/- करने की बात लिखी है। खातेदार मई माह में करने के अनुसार मई माह में के लिखित बयान को याद उसे नहीं है। दि० 23.6.86 को दि० 1500/- जमा के बाद बकाया 6265.50 बताया जिसकी रसीद संख्या AH 196606/46 दि० 23.6.86 SB. 28 Book No. उसको दी गयी है। खातेदार ने यह भी उल्लेख किया है कि पासबुक खाता संख्या 1154999 उसे ब्याज लगाकर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रसीद सं. SB. 28 Book No. AH 196606/46 दि० 23.6.86 बकाया 6265.50 है जिसे जाँच हेतु उसने उसके पास मौजूद है प्रस्तुत भी किया है।

3. श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाक पाल हथनासा के लिखित बयान के अनुसार दि० 23.6.86 को श्री वीर पाल सिंह खाता सं. 1154999 में 1500/- जमा करने हेतु पासबुक तथा रुपया 1500/- दिए। पासबुक में वर्ष 85.86 का ब्याज पासबुक में जिसमें दर्ज नहीं था। शाखा डाक पाल ने पासबुक में दि० 23.6.86 को 1500/- जमा की कार्यवाही कर दी तथा बकाये की 5265.50 के स्थान पर 6265.50 पासबुक में त्रुटिवश लिख गया। पासबुक ब्याज हेतु लेने हेतु उसने SB. 28 R. AH. 196606/46 दि० 23.6.86 उसको पासबुक बकाये की जिसमें 5265.50 के स्थान पर त्रुटिवश 6265.50 लिख गया था जारी की।

क्रमशः 3.

डाक अधीक्षक
रायबरेली मंडल रायबरेली

contd. परन्तु खातेदार श्री वीर पाल सिंह ने पास
बुक ब्याज हेतु देने से इन्कार कर दिया क्योंकि
पासबुक अक्सर ब्याज लगाकर बहुत देर से
वापस होती है। शाखा डाक पाल के अनुसार
उसने पासबुक तथा 1500/- नकद खातेदार को
वापस कर दिया परन्तु रसीद जो खातेदार
को दे चुके थे वापस लेना भूल गये।
चूंकि रुपया तथा पासबुक दोनों खातेदार
को वापस दी जा चुकी थी अतः उस
जमा 1500/- दि० 23-6-86 न तो बचत
बैंक जनरल में दर्ज किया गया तथा न ही
उस दिन के हिसाब में। उसी दिन रसीद
का ध्यान आने पर शाखा डाक पाल ने त्रुटि
संख्या 16 दि० 23.6.86 द्वारा लेखा कार्यालय
सरेनी को सूचित किया था कि 2500/- खाता
सं. 154999 में जमा हिसाब में नहीं ले पाया
है। जमा करने की आज्ञा दी जाय परन्तु
ले० का० द्वारा कोई सूचना न आने पर
तथा उसने हिसाब ठीक करना नहीं आता था
अतः वह 2500/- जमा नहीं कर पाया।
अपने बयान में शाखा डाक पाल ने उल्लेख
किया है कि दि० 23.6.86 को 1500/-
जमा की बाद पासबुक में योग 1000/- से
गलत होकर 5265.50 के स्थान पर 6265.50
हो गया न कि खातेदार ने भूल से
कोई 1000/- जमा किया था। जांच करने पर वही
एकाउंट पासबुक सं. SB-28 रसीद सं.
AH 196606/46 में भी लिख दिया गया।
शाखा डाक पाल ने उपरोक्त रकम हेतु 8.x.86.
2500/- अवर्गीकृत में जमा भी
को मेरे समक्ष कर दिया।

4. मैंने शाखा डाकघर हथनासर के बचत बैंक जर्नल
दि० 23.6.86 का अवलोकन किया। कोई भी
जमा दि० 23.6.86 को नहीं दिखाया गया
है। शाखा लेखे में भी दि० 23.6.86 को
कोई जमा या निकासी बचत बैंक में
नहीं है।

8-4-...

True copy attested
डाक अधीक्षक

14/L.C(IV) (4) 186

SB.28 Book No. AH 196606/46 दि० 23.6.86 को खाता सं 1154999 हेतु ब्याज हेतु जारी की गयी है। जिस पर बकाया शब्दों तथा अंकों दोनों में 6265.50 शाखा डाक पाल के पद ~~हस्ताक्ष~~ हस्ताक्षर से अंकित है। परन्तु बी.ओ. लेजर के अनुसार रवानगी डाक में ऐसी कोई भी पासबुक लेखा कार्यालय को रवाना की हुई नहीं दिखाई गयी है।

5. मैंने उप डाक घर सरेनी में उपलब्ध रेकार्ड का परीक्षण किया। लेजर के अनुसार खाता सं. 1154999 में 27.2.86 को 150/- जमा के पश्चात कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। 27.2.86 को अन्तिम बकाया 3765-50 है। लेजर में वर्ष 85.86 का ब्याज नहीं दर्ज है। बी.ओ. डेली एकाउन्ट हथवासा दि० 23.6.86 में कोई भी SB.28 रसीद जारी नहीं दिखाई गयी है। दि० 25.6.86 के डेली एकाउन्ट में SB.28 सं. 46 पासबुक खाता सं. 1156048 तथा रसीद सं. 47 पासबुक खाता सं. 1154602 हेतु जारी की गयी है। दोनों ही पासबुकें बी.ओ. जर्नल में रवानगी में दि० 25.6.86 को दिखाई गयी हैं।

6. दि० 8.x.86 को शाखा डाक पाल ने 2500/- (दो हजार पाँच सौ रुपया) अनधिकृत (नागरिकों में) जमा कर दिया है। जिसको उप डाक पाल सरेनी ने ACC.67 संख्या 1862/37 दि० 9.x.86 को शाखा डाक पाल हथवासा के नाम काटकर के 9.x.86 को शाखा पर्ची पर अंकित करके शाखा डाक घर भेज दिया है।

7. शाखा डाक पाल के बयान के अनुसार दि० 23.6.86 को जमाकर्ता श्री वीरपाल सिंह अपने खाता संख्या 1154999 में 1500/- (एक हजार पाँच सौ रुपया) जमा करने आए थे। शाखा डाक पाल ने पासबुक में जमा की प्रविष्टि कर दी परन्तु अन्तिम बकाया योग करने में 3765.50+1500 = 5265.50 के स्थान पर गलत योग 6265.50 कर दिया तथा पासबुक ब्याज हेतु भेजने के लिए उसी गलत योग से (6265.50) SB.28 Book No 196606 की रसीद संख्या 46 जारी कर दिया। खातेदार द्वारा पासबुक ब्याज हेतु देने से इंकार करने पर शाखा डाक पाल ने 1500/- तथा पासबुक दोनों खातेदार को वापस कर दिया परन्तु जारी की हुई SB.28 रसीद संख्या 46 खातेदार से लेना रह गया। इसी गलती के कारण

कृ. प. उ.

Photocopy attested
डाक अधीक्षक
रायबरेली मण्डल रायबरेली

 18)

शाखा डाक पाल ने E.B.No. 16 दि० 23.6.86 अंकित करके उपडाक पाल सरेनी रायबरेली को भेजा था परन्तु उपडाक पाल सरेनी से कोई आदेश इस त्रुटि को ठीक करने हेतु प्राप्त नहीं हुए।

8. जमाकर्ता के पास SB.26 Book No. 196606 शाखा डाक पाल के रसीद संख्या 46 दि० 23.6.86 शाखा डाकपाल के हस्ताक्षर से बकाया 6265.50 मौजूद है। जमाकर्ता ने भी दि० 23.6.86 को मात्र 1500/- जमा करने की बात स्वीकार की है। इसके पूर्व भी जमाकर्ता ने उसी खाते में 1000/- जमा करने का बयान दिया है परन्तु दि० स्पष्ट रूप से बता पाने में असमर्थ है। चूँकि पासबुक न खातेदार दे पाया और न ही शाखा डाक पाल इत्यादि अतः निश्चित कर पाना असम्भव रहा कि खाते में 1000/- को जमा 23.6.86 के पूर्व हुआ था अथवा नहीं।

9. शाखा डाक घर के अभिलेखों में SB.26 Book No 196606 की रसीद संख्या 46 की कार्यालय प्रति पर बकाया 6265.50 ही अंकित है। परन्तु ~~2300~~ दि० 23.6.86 को शाखा लेखा, शाखा डाकघर जर्नल बचत बैंक जर्नल आदि कहीं भी जमा की प्रविष्टि नहीं है। उपडाक घर में उपलब्ध बी०ओ० स्लिप दि० 23.6.86 में भी 1500 या 2500 जमा की कोई प्रविष्टि नहीं है। दि० 23.6.86 की बी०ओ० डेली स्लिप में SB.26 Book No 196606 रसीद संख्या 46 खाता संख्या 1156048 तथा रसीद संख्या 47 पासबुक खाता सं 1154802 हेतु जारी की गयी अंकित किया गया है। जबकि वास्तव में रसीद सं. 46 पासबुक खाता सं. 1154999 हेतु दि० 23.6.86 को जारी की गयी है। खाता सं. 1154999 में उपडाकघर सरेनी व प्रधान डाकघर लालगंज के लेजर में बकाया 3765.50 ही है। 27.2.86 के बाद कोई भी लेन-देन इस खाते में नहीं हुआ है।

10. इस सम्बन्ध में समस्त उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि दि० 23.6.86 को खाता सं. 1154999 में 1500/- जमा हुआ परन्तु शाखा डाक पाल ने बकाया पर भी गलत योग किया अथवा 23.6.86 के पूर्व

Photocopy attested

मी. उपरांत खाते में 1000/- कोई जमा हुआ था। शाखा डाक पाल ने अपनी इस त्रुटि हेतु EB. 16 दि० 23.6.86 नोट करके उप डाकपाल सरेनी को भेजा परन्तु उसी दि० 2500/- आंकलित भी नहीं किया। इस प्रकार शाखा डाक पाल ने दि० 23.6.86 से 7.x.86 तक उक्त 2500/- का दुरुपयोग किया। शाखा डाक पाल को खाता धारी पासबुक ब्याज हेतु देने से इन्कार करने पर रसीद सं 46 वापस लेकर रद्द कर देनी चाहिए थी जो लेखा कार्यालय को भेजना चाहिए था परन्तु इस सम्बन्ध में शाखा डाकपाल ने कोई त्रुटि अंकित नहीं किया है। त्रुटि सं ~~[illegible]~~ 16 दि० 23.6.86 में शाखा डाक पाल ने खाता सं 1154999 में 2500/- जमा होने की बात स्वीकार की है।

इस प्रकार अवैध रूप से प्राप्ति के रूप में 2500/- दि० 8.x.86 को खाता सं 1154999 में जमा हेतु स्वीकृति आदेश (Restoration of misappropriate amount) जारी करना चाहिए तथा साथ में डाक पाल लालगंज को डुप्लीकेट पासबुक जारी करने हेतु आदेश देना चाहिए। शाखा डाक पाल का चरित्र संदेहास्पद होने के कारण उसके पूर्व के कार्यों का सत्यापन भी करा लेना आवश्यक है। निम्न लिखित अभिलेख संलग्न किए जा रहे हैं।

1. पत्रांक सी.ना/86.87/सरेनी दि० 23.8.86.
2. शिकायत पत्र विरपाल सिंह दि० 23.8.86.
3. फोटो स्टेट कापी SB.28 रसीद सं 46 दि० 23.6.86.
4. बयान श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाक पाल व्यामापुर रायबरेली दि० 8.x.86.
5. बयान श्री वीर पाल सिंह ग्राम गौतमपुर डाक घर स्थानान्तर जि० रायबरेली दि० 8.x.86.
6. बयान श्री शिवचरन सिंह डाक सहायक सरेनी दि० 9.x.86.
7. प्रमाण पत्र UCR दि० 9.x.86. उप डाक पाल सरेनी
8. SB.28 Book No 196606 रसीद संख्या 46 दि० 23.6.86 धनराशि 6265.80 की रसीद जमाकर्ता प्रति।

Photo copy attested

[signature]

सहा. निरीक्षक
डाकघर ... रायबरेली

20.4.300

14/c (VII) (7) A89

9. बी ओ डी फाइजाबाद हथगाम दि० 23.6.86.
25.6.86.
10. " "
8.x.86.
11 " "

12. बी ओ दलीप हथगाम दि० 9.x.86.

13. लेजर कापी सरेनी खाता सं. 1154999 बकाया 3765.50

14. " प०SAS बद्री लालगंज खाता सं 1154999

बकाया 3937.50.

15. त्रुटि पुस्तिका हथगाम शाखा डाकघर 24.9.80 से 23.6.86.

16. SB. 28. BOOK No 196606 रसीद सं. 1 से 50 तक प्रयुक्त

17. बचत बैंक जनरल हथगाम शाखा SAS घर 22.7.85 से 10-10.86 तक प्रयुक्त

18. बी ओ फाइजाबाद हथगाम शाखा SAS घर अगस्त 85 से 8.x.86 तक

19. मांग बुक सरेनी उप SAS घर 1.4.86 से 12/86. तक

20. बी ओ जनरल हथगाम शाखा डाकघर दि० 12.9.85 से 8.x.86 तक

संलग्नक (20) अपरांत

Photocopy attested
डाक निरीक्षक
रायबरेली ... रायबरेली
229001

[signature] 12/10/86
Co...
R... 229001

Annexure-A-3 24/C 16.3.88 O.A. 527/1990

M. J. Siddique
SPOs Rae bareli

(8)

Kindly change E.O.
Bhagawati Prasad Dixit Case F 4/2/86-87
Bhagawati Prasad threatening abusing
me.

Bishwanath Singh
Actg. BPM.
HATHNASA

As the reason is not elucid, the representation be opposed of no action possible. Also direct enquiry & allied enquiries the to finalize case earlier.
16/3/88

Photocopy attested

[signature]
-229001

Annexure - A-4

A-91
6-A-52-of-1990

फोटो-7/Corr.-7

भारतीय डाक-तार विभाग/INDIAN P & T. DEPARTMENT

कार्यालय/Office of the

कार्यालय निदेशक डाक सेवा
इलाहाबाद
Office of Director Postal Services
Allahabad-211001

M/C

To,
Shri M. J Siddiqui
Supdt of Po's
Rae Bareli

No Vig/17-Misc/0012 dt at Alld. The 21-11-88.

Subject:- change of I.O. against Shri Vishwa-Nath Singh, EX ED BPM Hathnasa, Rae Bareli.

Ref:- your D.O. No. F4/2/85-86 dt 5.10.88.

The case has been examined and it has been found that if in case the disc. authority is satisfied that the I.O is working judiciously without any bias and then he is himself competent to dispose his application. If there is any grievance only then he will come up with separate representation otherwise CDA will complain omission in his appeal. The charged officer has not mentioned any enmity or bias. The I.O may be asked to observe prescribed norms and ~~Rules of Enquiry~~

सहायक निदेशक डाक सेवा
इलाहाबाद
Asstt. Director Postal Services
Allahabad-211001

Photo copy attested

रायबरेली ... रायबरेली
229001

Annexure – A-5

(40) A92

जाँच कार्यवाही दिनांक 14.3.88 O.A. 527-1990

आज दिनांक 14.3.88 को श्री बिशन नाथ सिंह कार्यवाहक स्टेशन मास्टर इलाहाबाद के विरुद्ध आरोप पत्र (मानक प्रपत्र-5) जिसका पत्र के क्रम 8 के अंतर्गत की जारी जाँच कार्यवाही निम्न व्यक्ति उपस्थित हुए :-

1. श्री के.एन. तिवारी — प्रस्तुतकर्ता अधिकारी
2. श्री बिशन नाथ सिंह — आरोपित कर्मचारी
3. श्री [illegible] — अभियोजन साक्षी

आज प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री तिवारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न अतिरिक्त अभिलेख प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की तथा प्रार्थना पत्र प्रेषित किया कि यह अभिलेख प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाय। इसी प्रकार उन्होंने अभियोजन पक्ष से एक अन्य गवाह श्री सुन्दर सिंह को अतिरिक्त साक्षी के रूप में बुलाने के लिए आवेदन किया जिसे स्वीकार किया गया तथा श्री सुन्दर सिंह को बयान प्रस्तुत होने के लिए सूचना भेजी गयी। निम्न अतिरिक्त अभिलेख प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी गई :-

1. श्री बिशन नाथ सिंह स्टेशन मास्टर इलाहाबाद का [illegible] 16.8.10/86 (Ex S-11)
2. SB-28 स्टीलपुल से नम्बर 106606 जिसमें 13.3.88 [illegible] नम्बर 46 ता. 23.6.86 जारी की गई थी (Ex S-12)
3. स्टेशन मास्टर इलाहाबाद [illegible] नम्बर 46 की कार्बन प्रति जो उन्होंने टेलर डाकघर को प्रेषित की थी (Ex S-13)
4. इलाहाबाद डाकघर की [illegible] (Ex S-14)

आज बयान हेतु श्री [illegible] उपस्थित नहीं हुए। अभियोजन पक्ष की ओर से श्री बिशन नाथ सिंह को बयान देने के लिए कहा गया परन्तु उन्होंने आज पुनः [illegible] [illegible] अपना बयान देने में असमर्थ हैं। [illegible] श्री बिशन नाथ सिंह ने बयान नहीं दिया। इस परिस्थिति में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने श्री बिशन नाथ सिंह को गवाही से [illegible] की प्रार्थना की जिसे स्वीकार किया गया। अन्य अभियोजन साक्षी श्री [illegible] का बयान दर्ज किया गया।

लगभग 1000 बजे श्री सुन्दर सिंह अभियोजन साक्षी को बयान [illegible] तथा उनके बाद आरोपित कर्मचारी तथा तदुपरान्त बचाव पक्ष के साक्षियों के बयान लिए जायेंगे। बचाव साक्षियों को आज की तिथि हेतु ही सूचना भेजी गई थी परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अतः बचाव पक्ष उन्हें प्रस्तुत करने में असमर्थ। दिनांक 15.3.88 को उन्हें साथ लेकर आवें अन्यथा उन्हें साक्षियों में पुनः नहीं बुलाया जायेगा। आरोपित कर्मचारी चाहें तो अंग्रेजी सहायक को भी साथ लेकर आ सकते हैं जो जाँच कार्यवाही जारी रहेगी।

[signature] 14/3/88

Noted copy attested

[illegible] रायबरेली

[illegible] 14-3-88

[illegible] 14/3/88

[illegible] 14/3/88

ब अदालत श्रीमान Central Administrative Tribunal, Allahabad Circuit Bench Lucknow महोदय

[वादी अपीलान्ट]
श्री Bishwanath Singh
प्रतिवादी [रेस्पाडेन्ट] V/S U.O.I. & ors

वकालतनामा

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES 2 Rs.

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES 2 Rs.

COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE 1 Re.

F.T.

21/1/93

बनाम

(प्रतिवादी रेस्पाडेन्ट)

न. मुकदमा O.A. 52 सन् 1990 (L) पेशी की ता० Revised on 15/3/93 १९ ई०

ऊपर लिखे मुकद्मा में अपनी ओर से श्री Jagat Narain Adv. वकील

व Umesh Chandra Shukla Adv. महोदय एडवोकेट

को अपना वकील नियुक्त करके प्रतिज्ञा (इकरार) करता हूं और लिखे देता हूं इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पैरवी व जवाबदेही व प्रश्नोत्तर करें या कोई कागज दाखिल करें या लौटाय या हमारी ओर से डिगरी जारी करावें और रुपया वसूल करें या सुलहनामा व इकबाल दावा तथा अपील निगरानी हमारी ओर से हमारी या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करें और तसदीक करे मुकद्मा उठावे या कोई रुपया जमा करें या हारी विपक्षी (फरीकसानी) का दाखिल किया हुआ रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर युक्त (दस्तखती) रसीद से लेवे या पंच नियुक्त करे—वकील महोदय द्वारा की गई वह सब कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगा मै यह भी स्वीकार करता हूं कि हर पेशी पर स्वयं या किसी अपने पैरोकार को भेजता रहूंगा अगर मुकद्मा अदम पैरवी में एक तरफा मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरे वकील पर नहीं होगी इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

नाम अदालत ...
मुकद्मा नं० ...
नाम फरीकेन ...

हस्ताक्षर विश्वनाथ सिंह

साक्षी (गवाह) .... (गवाह)

दिनांक 21 महीना 1 सन् १९93 ई०

स्वीकृत

D94

228/93

In the Court of Central Administrative Tribunal, Lucknow.

Circuit Bench, Lucknow.

O. A. No. 52 / 1990 (L)

1 RUPEE 50 PAISE COURT FEE INDIA

B. P. 205/93

Bishwa Nath Singh .... Applicant.

Vs.

Union of India & Others .... Respondents.

Application for summoning records

The humble application on behalf of the applicant begs to state as under :-

1. That in the abovenoted case the following records may kindly be summoned from Posts & Telegraph Department, Rae Bareily as such under mentioned :-

(a) Daily account of dated 23.6.86.

(b) Daily Account Register .

(c) Error Book .

(d) Other Concerening documents.

2. That if the abovementioned documents are not summoned , the applicant will suffer from irrepairable loss .

3. That it would be expedient in the interest of justice summoning of concerning records is essential .

Wherefore , it is most respectfully prayed that the Hon'ble Court may kindly be pleased to summon the abovementioned records in the interest of Justice.

Lucknow ;
Dated ; 15th March, 1993.

Counsel for the Applicant.

Jagat Narain Dixit
(Jagat Naraian Dixit)

Advocate.

F.T. 15/3/93

Place before the Hon'ble Bench on for orders date fixed.
15/3/93

A95

In the Central Administrative Tribunal at Allahabad,
Circuit Bench, Lucknow.

Rejoinder Affidavit
In re;

O.A. No. 52 / 1990 (L)

COURT FEE
भारत INDIA
दो रुपये
TWO RUPEES

Bishwa Nath Singh ... ... Applicant.

Versus

Union of India & Others . ... .. Respondents.

I, Bishwa Nath Singh, aged about 48 years, Son of late Shri Lok Nath Singh, resident of Village Bathmasa, District - Rae-Bareli, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under :-

1. That the deponent is the applicant in the abovenoted case and as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case.

2. That the contents of paras 1to 3 and 5 of the Counter Affidavit need no commenDs.

3. That the contents of para4 of the Counter Affidavit are denied to the extent of misappropriation of amount Rs. 2500/- and the rest i.e. procedural conduct is admitted.

4. That the deponent was appointed on 15.6. 1976 as an Adhoc Employee because it can be proved by the Salary Register. Although it is admitted by the respondents that the deponent (Applicant) was appointed on 23.7. 1979.

विश्वनाथसिंह

2...

5. It is admitted that the complainant one Shri VeerPal Singh gave Rs. 1500/- to one Shri Vishwa Nath Singh, BPM, Hathmasa on 23. 6. 86 for depositing the same in his Saving Bank Account No. 1154999 but due to alteration, arose between Complainant and deponent, the amount of money, noted above, was refunded to the complainant at the spur of moment. It would be relevant to mention here that deponent was mentaly disturbed at the time of occurance, as well as mental disturbance of the deponent due to said death of his father, late Shri Lok Nath Singh, who was expired on 20. 6. 86 forgot to take back the said S.B. 28 Receipt No. 46.

As to receiving a sum of Rs. 1000/- by Sri Vishwa Nath Singh from Shri Veer Pal Singh is entirely an imaginary blame because there is no proof in black and white. Even though the complainant is unable to mention the day and date of depositing of Rs. 1000/- in the month of May. This shows that the complainant as well as departmental authority/ ies want to take advantage of Clerkal mistake. Which was occured in the Receipt No. 36

In this way total amount of Rs. 2500/- to be mis-appropriated by the applicant (deponent) is only result of the conspiracy as well as the product of imagination of the complainant/ authorities of the department.

It is admitted that the applicant was ordered to be put off duty by Memo No. F- 4/ 2/ 86- 87 dt. 14. 10.86.

It is also admitted that the Chargesheet was issued to him under letter No. F- 4/ 2/ 86- 87 dt. 11.11.87 for

3...

Date 15/3/93

विश्वनाथ सिंह

A97

the alleged misconduct.

6. It is submitted that the name of S.P.M. was Sunder Singh but not Ram Sunder Singh, it is typing mistake.

7. That the contents of Para 9 of C.A. are not admitted except the applicant was put off duty w.e.f. 27.10.86. The report of the Complaint Inspector is not impartial because the basis of the report is not true, in as much as W.S. made by the applicant were prepared under undue influence of the Complaint Inspector.

8. That there is no need to comment on para 10 of the C.A.

9. That it is admitted in the Para 11 of the C.A. that the Respondent No. 2 i.e. Supdt. of Post Offices, Rae Bareli, denied to provide services of one Sri Awadhesh Narain Singh, as Defence Asstt. to the deponent which is apparently violation of Constitutional rights.

10. That as to the contents of para12 of C.A. is only excuse and it shows despotic and malafide intention of the disciplinary authority.

11. That the contents of Para 13 of the C.A. are not admitted. The allegation made against Enquiry Officer namely Sri B.P. Dixit is true. As it is appered from Annexure R-3 dt. 16.3.88 in which applicant ~~'s rights,~~ writes " Bhagwati Prasad threatening abusing me ".

It is also appeared from Annexure No. R-4, " if there is any grievence only then he will come up with seperate representation otherwise E.D.A. will complain omission in his Appel. "

12. That the contents of Para 14 of the Counter Affidavit is only repeatition of Para13 of the C.A. which is absolutely false excuse. This is why the contents are not admitted.

4..

विश्वनाथ सिंह

A98

13. That the contents of Para15 of C.A . partly accepted i.e. to the extent of having credited sum of Rs. 2500/- by Vishwa Nath Singh on 9. 10. 86 under the compulsion and threatening to get him dismiss from service .

14. That the contents of Para 16 of Counter Affidavit which is the reply of 4 (M) of the Application is not admitted. The applicant was not allowed to cross examine the prosecution witnesses namely Shri Shiv Nandir Rai (C.I.) and Sri Sunder Singh , S.P. M. and as such the applicant (Deponent) was not afforeded full opportunity to prove his innocence and defend himself from charges . As such all the departmental Enquiry Rules , Principles of Natural justice and provisions laid down in Constitution of India have been violated by the respondents.

15. That the contents of Para17 of the C.A. are admitted .

16. That the contents of Para 18 of C.A. are denied .Hence contents of para 4 (O) of the application are reiterated.

17. That the reply of para 19 of C.A. the deponent is contesting bitterly (denying) and hence ground reiterated . The alleged charge of misappropriation of amount Rs.2500/- against the deponent is not proved.

18. That the contents of para 20 of C.A . needs no comment.

19. That the content s of Para 21 of C.A . are denied and hence deponent prays for the reliefs enshrined in para 8 & 9 of the Application .

20. That the contents of para 22 of the C.A. needs no comments.

Deponent

विश्वनाथ सिंह

Lucknow ;
Dated ; 15/3/93

15/3/93

Contd. on 5...

A99

(5)

Verification

I, the abovenamed deponent do hereby verify that the contents of Paras 1 to 13 and 17 & 18 are true to my personal knowledge and those of Paras 14 to 16 are based on legal information which are believed by me to be true and those of Paras 19 ~~to~~ are true to legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed therein. So help me God.

Signed and verified this the day of 1993 within Court Compound at Lucknow.

विजय नारायण सिंह
Deponent

Lucknow.

Dated ; 15/3/93

I identify the deponent who has signed before me.

Jagat Narain Dixit
Adv.

Advocate.

R. Dhiaeda
15/3/93